विषय-सूची

पृष्ठ सं.

निदेशक मंडल 3

कार्य निष्पादन विशेषताएँ 4

अध्यक्ष का संबोधन 5

निदेशक की रिपोर्ट 7

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट 21

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट 26

कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र 40

निगमित शासन रिपोर्ट पर परिशिष्ट 41

पुरस्कार और प्रमाण 42

वित्तीय विशेषताएं 43

तुलन पत्र 46

लाभ और हानि लेखा 47

वार्षिक लेखा अनुसूची 'क' से अनुसूची 'त' 48

लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ-अनुसूची 'थ' 62

प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां -अनुसूची 'द' 66

रोकड़ प्रवाह विवरण 78

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 79

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ 83

इरकॉन तथा उसकी 100% सहायक कंपनी,
इरकॉन आईएसएल के समेकित वित्तीय विवरण:

वित्तीय विवरण (समेकित) 86

समेकित तुलन पत्र 87

समेकित लाभ और हानि लेखा 88

वार्षिक लेखा अनुसूची 'क' से अनुसूची 'थ' (समेकित) 89

लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ-अनुसूची 'ध'(समेकित) 103

प्रकटनों सहित लेखों में टिप्पणियां -अनुसूची 'न'(समेकित) 107

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण 119

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर समेकित वित्तीय विवरण 120

पंजीकृत कार्यालय
प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,साकेत,
नई दिल्ली-110017

कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)
ललिता गुप्ता

मुख्य बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- एचडीएफसी बैंक

सांविधिक लेखापरीक्षक
वाही एंड गुप्ता,
सनदी लेखाकार,
होटल रैक्स बिल्डिंग (ओबीसी बिल्डिंग),
दरियागंज,
नई दिल्ली-110002

स्टाक एक्सचेंज, जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं

मुम्बई स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभोए टावर,
25वाँ तल, दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई-400001

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड,
डी एस ई हाऊस,
3/1 आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली-110002

साकेत, नई दिल्ली स्थित इरकॉन का निगमित कार्यालय भवन

निदेशक मंडल

(20.09.2011)

अध्यक्ष

ए.पी.मिश्रा
अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

पूर्णकालीन निदेशक

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

हितेश खन्ना
निदेशक निर्माण

के.के. गर्ग
निदेशक वित्त

दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना

अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

बी.एन. राजशेखर
अंशकालीन निदेशक (सरकारी)

डॉ.जी वी.राव
स्वतंत्र निदेशक

ब्रिजमोहन शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर (डॉ.) एस. एस. चटर्जी
स्वतंत्र निदेशक

पांच वर्षों के दौरान निष्पादन

₹ करोड़ में

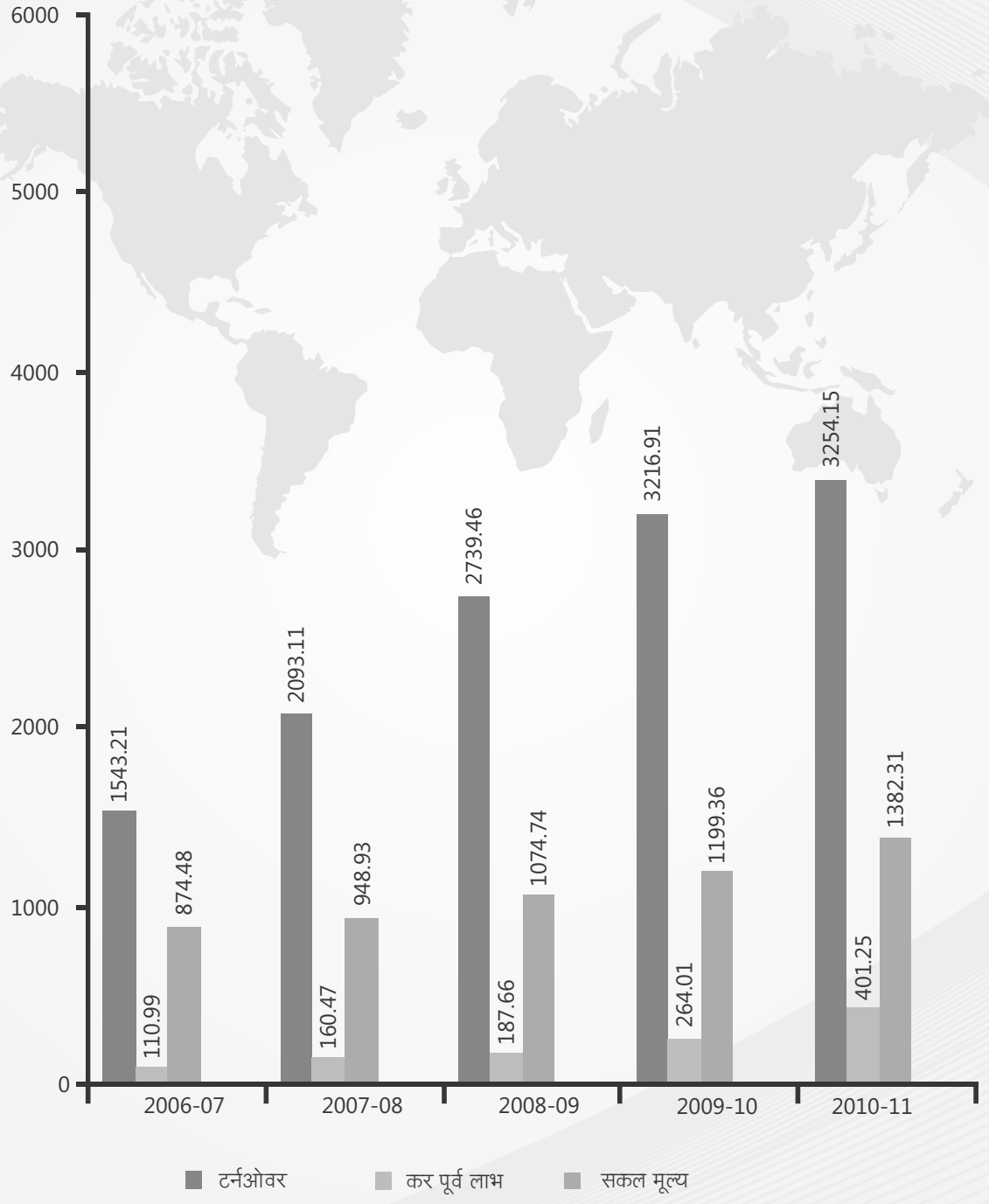

अध्यक्ष का भाषण

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 35वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। वर्ष 2010-11 एक बार फिर आपकी कंपनी के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है और इसके कारण आप गर्व का अनुभव कर रहे हैं जैसा कि कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों तथा निदेशक की रिपोर्ट में देखा जा सकता है जो कि पहले ही आपको उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय विशेषता

आपकी कंपनी वर्ष 1977-78 से निरंतर प्रत्येक वर्ष लाभ अर्जित कर रही है। किन्तु इसने वर्ष 2009-10 में पहली बार ₹ 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और एक वर्ष के भीतर ही कंपनी ने ₹ 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। इस प्रकार, आपकी कंपनी अपने लाभ को एक वर्ष में लगभग 52% तक बढाने में सक्षम रही है जो वर्ष 2009-10 में ₹ 264 करोड़ से बढ कर वर्ष 2010-11 में ₹ 401 करोड़ हो गया है, हालांकि वर्ष 2010-11 का ₹ 3254 करोड़ का कुल टर्नओवर वर्ष 2009-10 के टर्नओवर से केवल आंशिक रूप से ही अधिक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय के प्रति विदेशी परियोजनाओं का अंशदान निरंतर बढा है जो वर्ष 2008-09 में 30% से बढ कर वर्ष 2010-11 में 49% हो गया है। इसी प्रकार, आपकी कंपनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 427 करोड़ का अब तक का अधिकतम विदेशी विनिमय भी अर्जित किया है जो वर्ष 2009-10 में अर्जित विदेश विनिमय से 62% अधिक है। आपकी कंपनी को पूर्ण विश्वास है कि वह एक और व्यापक मूल्य वाली विदेशी परियोजनाओं को प्राप्त करके तथा दूसरी ओर घरेलू क्षेत्र में प्रचालनिक कुशलता में संवर्धन करके अपने लाभ के स्तरों को बनाए रखेगी।

उत्कृष्ट वित्तीय स्थिति को देखते हुए, निदेशक मंडल को ₹ 9.898 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 240% की दर से लाभांश की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है और इसकी घोषणा इस वार्षिक साधारण बैठक में की जाएगी। यह निदेशक मंडल द्वारा घोषित तथा फरवरी में भुगतान किए गए 260% अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। इस प्रकार इस वर्ष का कुल लाभांश कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर रिकार्ड 500% रहा है, जो ₹ 49.49 करोड़ है।

विकास विशेषता

पिछले पांच वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी ने टर्नओवर की दृष्टि से 23.33% तथा कर पूर्व लाभ की दृष्टि से 29.33% की मिश्रित विकास दर रिकार्ड की है ।

परियोजना विशेषता

इरकॉन मलेशिया में ₹ 4000 करोड़ मूल्य पर दोहरी रेलपथ रेल परियोजना को निष्पादिन कर रही है। सेरेम्बन से सुंगई गदूट स्टेशन तक परियोजना का चरण-I कार्यक्रम के अनुसार 30 अप्रैल 2011 को आरंभ हो गया है। श्रीलंका में चार रेल परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है और इनमें ₹ 2000 करोड़ मूल्य का कार्य प्रगति पर है। तटीय रेललाईन स्तरोन्नयन परियोजना का गल्ले-मतारा खंड का कार्य पूरा हो गया है तथा 16 फरवरी 2011 को इसे प्रचालन के लिए खोल दिया गया है। इथोपिया, अफगानिस्तान तथा अल्जीरिया में भी परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। हाल ही में, आपकी कंपनी ने श्रीलंका में 86.50 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सिगनलिंग एवं दूरसंचार परियोजना प्राप्त की है।

भारत में वर्ष के दौरान पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं में महाराष्ट्र में पिंपलगांव-धुले को चार लेन का बनाना, तमिलनाडु में सड़क स्तरोन्नयन परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के पंछी गूजरां से पानीपत खंड को छह लेन का बनाना, तथा रेवाड़ी-अजमेर का आमान परिवर्तन शामिल हैं । वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में रेल मंत्रालय के लिए राय बरेली (उ.प्र) में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना का कार्य तथा पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवो-रंगपो नई रेल लाईन परियोजना शामिल है। अप्रैल, 2011 में आपकी कंपनी ने ₹ 624 करोड़ मूल्य पर राजस्थान में 26 सड़क ऊपरी पुलों के निर्माण की एक परियोजना प्राप्त की है।

आपकी कंपनी बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के साथ-साथ विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में निरंतर अपना योगदान दे रही है।

प्रचालनिक विशेषता

रेलवे तथा राजमार्ग कंपनी की सक्षमता के निरंतर प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजमार्ग निर्माण कार्यों की तुलना में रेलवे निर्माण कार्यों के अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है और रेल निर्माण कार्यों से प्रचालनिक आय वर्ष 2008-09 में 55% से बढ कर वर्ष 2010-11 में 64% हो गई है।

वर्ष 2004-05 से आपकी कंपनी ने संयुक्त उद्यमों(जेवी) तथा सहायक कंपनी के माध्यम से भी कुछ परियोजनाओं को आरम्भ किया है। ये परियोनाएं हैं:

(क) मोजांबीक में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी (सीसीएफबी) को बीओटी के माध्यम से मोजांबीक सरकार द्वारा प्रदान की गई बेरा रेल कंसेशन परियोजना और इसमें इरकॉन का इक्विटी अंशदान 25% है।

(ख) महाराष्ट्र में पिंपलगांव-धुले सड़क परियोजना का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बीओटी आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी को प्रदान किया गया है जिसमें इरकॉन का इक्विटी अंशदान 50% का है। इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और टोल प्रचालनों से वास्तविक राजस्व अनुमानित मूल्य से अधिक है।

(ग) वर्ष 2009 में इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड(इरकॉन आईएसएल)' के माध्यम से भारतीय रेल के लिए बहु-उद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया है। इरकॉन की सहायक कंपनी ने इस वर्ष के दौरान ₹ 9.12 लाख का अपना पहला करपूर्व लाभ अर्जित किया है तथा आगामी वर्षों में और बेहतर लाभ अर्जित करने की संभावना है।

आपकी कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में तथा ऊपर उल्लिखित बहु-उद्देशीय परिसरों और राय बरेली में रेल डिब्बा कारखाने के निर्माण के लिए अभिकल्प और आरेखण में हरित भवन विशेषताओं को शामिल करके पर्यावरण सहिष्णु उपायों के माध्यम से स्थित विकास की ओर कदम उठाए हैं।

आभारोक्ति

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इरकॉन परिवार के वर्तमान तथा भूतपूर्व सभी सदस्यों की हार्दिक सराहना करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरुप ही आपकी कंपनी के गौरव में वृद्धि हुई है। मैं अपने गणमान्य शेयरधारकों और रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके सहयोग तथा समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं रेलवे बोर्ड तथा अन्य सरकारी निकायों, दूतावासों , बैंकरों और ग्राहकों को विशेष धन्यवाद देता हूं।

कंपनी के बोर्ड में अपने माननीय सहकर्मियों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके तथा इरकॉन से संबंधित अन्य सभी के आत्मविश्वास तथा सहयोग से आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में और नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

ए.पी.मिश्रा
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.09.2011

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

कम्पनी के निदेशकों को वित्त वर्ष 2010-11 की कम्पनी की 35वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने ₹ 3254 करोड़ के अब तक के अपने अधिकतम टर्नओवर को प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, कर पूर्व आय में पिछले वर्ष 2009-10 में ₹ 264 करोड़ की राशि में 51% की व्यापक वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2010-11 में ₹ 401 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ में लगभग 32% की वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौते ज्ञापन के अंतर्गत अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी **''उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन रेटिंग''** बनाए हुए है। ₹ 23.76 करोड़ के प्रस्तावित लाभांश सहित वर्ष 2010-11 के लिए कुल लाभांश की राशि [₹ 49.49 करोड़] है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

वित्तीय निष्पादन संकेतक

(₹ करोड़ में)

		2010-11	2009-10	% वृद्धि
1	कुल आय/सकल बिक्री	**3254**	3217	1.15
2	कुल प्रचालन आय*	**3175**	3153	0.70
3	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	**1577**	1196	31.86
4	कर पूर्व लाभ	**401**	264	51.89
5	कर पश्चात लाभ	**240**	182	31.86
6	सकल उपांत	**440**	305	44.26
7	निवल सम्पत्ति	**1382**	1199	15.26
8	प्रति शेयर आमदनी	**242.99**	184.06	32.02
9	कुल विदेशी विनिमय आमदनी (₹ में)	**1545**	1261	22.52
10	विदेशी विनियम निर्गम	**1118**	997	12.14
11	निवल विदेशी विनियम आमदनी	**427**	264	61.74
12	लाभांश	**49.49**	36.62	35.14

**2010-11 में ₹3.37 करोड़ तथा 2009-10 में ₹ 4.38 करोड़ के गैर आवंटित प्रचालन आय शामिल है (अनुसूची-ट में लेखों के नोट के पैरा-7 का संदर्भ लें)।*

घरेलू क्षेत्र में, परियोजनाओं से प्रचालन आय में 20% की गिरावट हुई है जो वर्ष 2009-10 में ₹ 1952 करोड़ से घटकर 2010-11 में ₹ 1595 करोड़ हो गई है। निवल संपत्ति में निवल लाभ के अनुपात में वृद्धि हुई है जो 15.19% से बढ़कर 17.04% हो गई है तथा टर्नओवर से कर पूर्व लाभ के अनुपात में भी वृद्धि हुई है जो 8.21% से बढ़कर 12.33% हो गया है।

विदेशी मुद्रा अर्जन

निवल विदेशी मुद्रा अर्जन में 62% की व्यापक वृद्धि हुई है जो वर्ष 2009-10 में ₹ 264 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 427 करोड़ हो गई है।

लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए फरवरी, 2011 में ₹ 9.898 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूँजी पर ₹ 26 प्रति शेयर की दर से (260%) ₹ 25.73 करोड़ के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को फरवरी, 2011 में किया गया था । निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के विचारार्थ ₹ 24 प्रति शेयर की दर से ₹ 23.76 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 240% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है । इस प्रकार, 2010-11 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक ₹ 10 के शेयर के लिए ₹ 50 की दर से ₹ 49.49 करोड़ हो गया है जो ₹ 240.51 करोड़ के कर पूर्व लाभ का लगभग 20.58% है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2010-11 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग ₹ 332.51 करोड़ हो गया है।

विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि (₹ करोड़ में)

		2010-11	2009-10
1	अंतरिम लाभांश	**25.73**	20.98
2	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**23.76**	15.64
3	अंतरिम लाभांश पर कर	**4.28**	3.56
4	प्रस्तावित अंतरिम लाभांश पर कर	**3.85**	2.66
5	आवासीय परियोजना आरक्षित निधि से अंतरण	**4.80**	0.15
6	विदेशी परियोजना आरक्षित निधि से अंतरण	**2.90**	25.00
7	सामान्य आरक्षित निधि से अंतरण	**190.65**	164.49

आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3579.53 करोड़ मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं जिनमें से ₹ 1082.51 करोड़ के कार्य विदेशी परियोजनाओं से संबंधित हैं। 31.03.2011 को कार्य का भार लगभग ₹ 13017 करोड़ है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं

वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी ने विदेशों में चार परियोजनाएं पूरी की हैं - दो परियोजनाएं मोजांबिक में यथा ₹ 179.72 करोड़ के मूल्य पर केन्द्रीय मोजांबिक में 670 किमी केप गेज रेल पथ का जीर्णोधार तथा ₹ 31.4 करोड़ मूल्य पर बेयरा रेल गलियारे की सेना लाईन के लिए स्टोन बेलेस्ट की आपूर्ति का कार्य; एक परियोजना श्रीलंका में यथा, 36.24 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर कोलंबो-मतारा तटीय रेल लाईन चरण-I (गल्ले-मतारा खंड) का स्तरोन्नयन; तथा एक परियोजना इथोपिया में यथा, ₹ 106.68 करोड़ मूल्य पर डेरा-मेचारा सड़क स्तरोन्नयन संविदा-I का कार्य।

ख. नई/चालू विदेशी परियोजनाएं :

नई परियोजनाओं सहित नौ परियोजनाएं प्रगति पर हैं - मलेशिया में दो, श्रीलंका में चार तथा इथोपिया, अफगानिस्तान तथा अल्जीरिया में एक-एक परियोजनाएं।

मलेशिया

1. आपकी कंपनी 31 दिसंबर 2011 तक बढ़ाए गए पट्टा एवं अनुरक्षण ठेके के रूप में मलेशियन रेलवे प्रणाली (केटीएमबी) पर 25 मीटर गेज डीजल इंजनों के प्रचालन का कार्य जारी रखे हुए है ।

मलेशिया में सेरेम्बन रेलवे स्टेशन भवन

2. कंपनी को ₹ 4084 करोड़ (लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर रेल मंत्रालय, मलेशियन सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में मलेशिया में एक रेल पथ-दोहरीकरण परियोजना प्रदान की गई थी। 156 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सेरेम्बन से सुंगई गडूत तक परियोजना के चरण 1 का कार्य 30 अप्रैल 2011 को पूरा हो गया है और 24 मई 2011 से यात्री रेल प्रचालन का उद्घाटन किया गया तथा इसका प्रचालन आरम्भ हो गया है। मार्च 2011 को समग्र कार्य की वास्तविक प्रगति 67.72% है। स्थल पर कब्जा लेने के लिए कुछ दूरस्थ स्थलों में विलम्ब हुआ है किन्तु इस कार्य के वर्ष 2012 को पूरा होने की संभावना है।

मलेशिया में वायडक्ट पर स्टेशन भवन

श्रीलंका

3. आपकी कंपनी ने ऋण की भारतीय तर्ज पर 78 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर कोलम्बो मतारा तटीय रेलवे लाइन के स्तरोन्नयन के लिए परिवहन मंत्रालय श्रीलंका के साथ एक संविदा में प्रवेश किया था। यह कार्य दो चरणों में किया गया था। परियोजना का चरण-।(गल्ले-मातारा खंड) 36.24 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर आरंभ किया गया था, को फरवरी, 2011 में पूरा कर लिया गया है। इस खंड पर यात्री यातायात 16 फरवरी 2011 को आरम्भ हो गया है। भावी ऋण व्यवस्था के अनुमोदन के पश्चात भारतीय आयात निर्यात बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच 11.3.2010 को 41.76 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के चरण -II के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अग्रिम राशि का भुगतान करने पर, उपर्युक्त संविदा अक्टूबर 2010 को प्रचालन में आई और वर्तमान में इसका कार्य प्रगति पर है जिसके मई 2012 तक पूरा होने की संभावना है।

कोलम्बो-मतारा तटीय रेल लाइन

4. कंपनी ने ओमनथाई से पल्लई (185.36 मिलियन अमरीकी डालर); मधु रोड से तलई मन्नार(149मिलियन अमरीकी डालर); तथा मडवाच्चिया से मधु रोड(81.31 मिलियन अमरीकी डालर)मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में भारतीय ऋण व्यवस्था द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली रेल

श्रीलंका में उत्तरी परियोजनाओं का उद्घाटन समारोह

लाईन के पुनर्स्थापन के लिए, श्रीलंका परिवहन मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय एग्जिम बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही संविदा प्रचालनिक होगी।

भारतीय आयात निर्यात बैंक तथा श्रीलंका सरकार के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर होने, तथा कंपनी को अग्रिम राशि का भुगतान किए जाने के पश्चात से परियोजनाएं मार्च 2011 में प्रचालन में आई हैं। ये परियोजनाएं 24 से 30 महीनों की अवधि में पूरी हो जाएंगी (अर्थात मार्च 2013 से सितंबर 2013 तक)।

इथोपिया

5. आपकी कंपनी ने ₹ 66.3 करोड़ के मूल्य पर इथोपियन विद्युत ऊर्जा निगम (ईईपीसीओ) के लिए उप-स्टेशन के परीक्षण व प्रचालन आरंभ होने के लिए पर्यवेक्षण व उप-स्टेशन उपकरणों की खरीद के लिए अगस्त, 2008 में एक परियोजना प्राप्त की थी। कंपनी ने मार्च, 2010 में अभिकल्प कार्य तथा उपकरणों की आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया है और परीक्षण व प्रचालन आरंभ होने का पर्यवेक्षण कर रही है। कुल नौ सबस्टेशनों में से, कुछ सब-स्टेशनों में ईईपीसीओ द्वारा इरैक्शन कार्य अभी भी किया जा रहा है। आपकी कंपनी परीक्षणों तथा कार्य आरंभ पर निगरानी रख रही है।

अफगानिस्तान

6. आपकी कंपनी को 28 दिसंम्बर, 2008 में उर्जा एवं जल मंत्रालय, अफगानिस्तान में मौजूदा मजार-ए-शरीफ उपस्टेशन पर 220/20 कि.वा. के नए एबैक उपस्टेशन की आपूर्ति और संस्थापन तथा बे विस्तार का कार्य प्राप्त हुआ था। परामर्शदाता द्वारा आरेखणों/अभिकल्पों को देरी से स्वीकृति दिए जाने के कारण परियोजना की प्रगति को धक्का लगा है। इन स्वीकृतियों के पश्चात वास्तविक कार्य अप्रैल, 2010 में आरंभ हुआ। मजार-ए-शरीफ में सिविल निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं जबकि एबैक में सिविल निर्माण कार्य 95% तक पूरे हो गए हैं। दोनों ही स्थलों में इरैक्शन कार्य प्रगति पर हैं । परियोजना का मूल्य ₹ 40.8 करोड़ है और इस कार्य के जनवरी 2012 तक पूरा होने की संभावना है।

अल्जीरिया

7 आपकी कंपनी को 230 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर अल्जीरिया सरकार से ओयडस्ले तथा यल्लेल के बीच 93 किमी के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य का ठेका प्राप्त हुआ था। इस कार्य में अल्जीरिया रेलवे के अल्जीर-ओमन खंड पर आयडस्ले से यल्लेल तक दूसरी लाईन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाईन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि मार्च 2013 है।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

बांग्लादेश, श्रीलंका, मध्य पूर्व देशों, म्यानमार, नेपाल तथा अफ्रीकी देशों में ठेके प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित उपाय किए जा रहे हैं ।

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष के दौरान भारत में 10 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-।, हरियाणा के पंछी गुजरां से पानीपत खंड के कि.मी. 66.000 से कि.मी. 86.000 को छह लेन का बनाना;

ख) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए झांसी में विवाहित कार्मिक आवास परियोजना;

ग) पूर्व पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी-अजमेर खंड पर विद्युतीय कार्य सहित आमान परिवर्तन कार्य;

घ) रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला का विस्तार।

ड.) कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाना के लिए व्हील शाप की स्थापना।

च) ओएनजीसी मंगलौर पेट्रो केमिकल लिमिटेड, मंगलौर, कर्नाटक में कार्गो सड़क निष्पादन कार्य;

छ) तमिलनाडु में नागापटिनम से कट्टूनवादी तक सड़क का स्तरोन्नयन तथा नागापटिनम, तितुथुरईपुंडी तथा मुथुपेट पर नया बायपास(टीएनआरएसपी-02)(एसएमजे, इंडोनेशिया के साथ संयुक्त उद्यम में)।

ज) चरण दो गलियारे(केन्द्रीय सचिवालय से गुड़गांव तक)(संविदा बीटी-2)के रेलपथ निर्माण कार्य के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरम्भ करना।

झ) टालीगंज-गरिया खंड में कर्षण तथा आग्जीलरी उपस्टेशन के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरम्भ करना।

ट) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक के पिंपलगांव-धुले खंड को चार लेन का बनाना।

तीन परियोजनाएं 31 मार्च 2011 के पश्चात पूरी हुईं। ये परियोजनाएं हैं:

क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए उत्तरी क्षेत्र(जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब)में सड़क उपरि पुलों का निर्माण।

ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए तमिलनाडु राज्य में पहुंच मार्गों व पुलियाओं के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के मदुरै-कन्याकुमारी खंड में सड़क उपरि पुलों का निर्माण।

ग) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना चरण-II परियोजना(संविदा बीई-8)-जहांगीरपुरी, मुंडका, अंबेडकर कॉलोनी(अंतरराष्ट्रीय सहयोग जापान बैंक द्वारा वित्तपोषित) तथा बॉटनिकल पार्क(नोएडा) और सुशांत लोक(गुड़गांव)(गैर-जेबीआईसी वित्तपोषित)पर प्राप्त-सह-कर्षण-सह-ऑग्जलरी मुख्य उपस्टेशन के लिए आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरम्भ का कार्य।

ड. नई भारतीय परियोजनाएं

वर्ष 2010-11 के दौरान आपकी कंपनी ने भारत में अतिरिक्त निर्माण कार्यों सहित छः नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं। ये परियोजनाएं हैं :

क) ₹ 56 करोड़ मूल्य पर पूर्वी रेलवे के सियालदा डिविजन पर घोल्सापुर(बेहाला) में नए इंडोर स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण कार्य;

ख) ₹ 72.72 करोड़ के मूल्य पर संपर्क परियोजना के अंतर्गत(आपकी कंपनी तथा एस पी संग्ला कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.(एसपीएससीपीएल) के बीच गैर-निगमित संयुक्त उद्यम के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य में दुनेरा-दुरबा-बसोकी-भदरवा सड़क पर बसोली(किमी 14.74) पर रावि नदी के उपर 592 मीटर लंबे तारयुक्त प्रमुख स्थायी पुल का निर्माण कार्य;

ग) ₹ 344 करोड़ मूल्य पर राय बरेली में नए रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना;

घ) जोगबनी (बिहार) से बीरतनगर (नेपाल) के बीच 238 ₹ करोड़ मूल्य दर रेल संपर्क का निर्माण;

ड.) ₹ 1339.5 करोड़ मूल्य पर सिवोक-रंगो नई रेल लाईन परियोजना तथा अतिरिक्त कार्य;

च) ₹ 446.72 करोड़ मूल्य पर दिल्ली-नेपाल सीमा पर बारडिबस तक विस्तार सहित जयनगर(भारत)-बीजलपुरा(नेपाल) खंड के आमान परिवर्तन द्वारा ब्रॉड लाईन का निर्माण;

वर्ष की समाप्ति के तत्काल पश्चात, कंपनी को ₹ 624 करोड़ मूल्य पर राजस्थान में 26 सड़क उपरिपुलों के निर्माण की **एक परियोजना** अप्रैल 2011 को प्राप्त हुई है।

रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाना

च) संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से परियोजनाएं

मोजांबिक

आपकी कंपनी मोजांबिक में संयुक्त उद्यम कम्पनी डोस कमीनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी) को परिवहन मंत्रालय (सीएफएम), मोजांबिक सरकार द्वारा प्रदान किए गए मोजांबिक में बेरा रेल रियायत परियोजना के अंतर्गत रेल पुनर्वास तथा आपूर्ति के विभिन्न कार्य कर रही है, जिसमें आपकी कंपनी की 25% की इक्विटी हिस्सेदारी है तथा राइट्स की 26% की और मोजांबिक के रेल उपक्रम, सीएफएम की 49% की इक्विटी हिस्सेदारी है।

इस संयुक्त उद्यम कंपनी में इरकॉन की वित्तीय प्रतिबद्धता इस प्रकार है:

	आज की तारीख को कुल प्रतिबद्धता (मिलियन अमरीकी डालर)
इक्विटी	1.250
शेयरधारकों का ऋण	16.685
कुल	17.935

उपर्युक्त ऋण पर देय ब्याज की 4.396 मिलियन अमरीकी डालर की राशि को उपर शामिल नहीं किया गया है और उसे ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है।

पुनर्वासन कार्य की समाप्ति में कथित देरी के कारण संबंधित प्राधिकरण(परिवहन एवं संचार मंत्रालय, मोजांबिक सरकार) द्वारा कंसेशन को समाप्त किए जाने के लिए सीसीएफबी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर सीसीएफबी द्वारा दिया गया है। प्रमुख शेयरधारकों (इरकॉन तथा राइट्स) द्वारा सीसीएफबी में अपनी स्टेक को बेचकर संबंधित प्राधिकरण, सीसीएफबी के शेयरधारकों तथा सीसीएफबी के बीच मैत्रीपूर्ण समाधान पर चर्चा हो रही है। अपने स्टेक को बेचने पर कंपनी को किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा।

भारत

'इरकॉन-सोमा टॉलवे प्राइवेट लिमिटेड' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन 19 अप्रैल, 2005 को इरकॉन तथा सोमा इन्टरप्राइस लिमिटेड (निर्माण कंपनी) की 50% की इक्विटी साझेदारी के साथ की गई थी। यह कंपनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के पींपलगांव-धूले खंड को चार लेन का बनाने की बीओटी परियोजना निष्पादित कर रही है।

आईएसटीपीएल में निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	आज की तारीख को कुल वितरण (₹ करोड़ में)
इक्विटी (आईएसटीपीएल की इक्विटी में इरकॉन के 50% शेयर के अनुपात में)	63.87
असुरक्षित ऋण	10.00
निगमित गारंटी (₹ 200 करोड़ तक प्रतिबद्ध)	30.00
कुल	103.87

यह परियोजना सफलतापूर्ण संपन्न हो गई है और आईएसटीपीएल सड़क के इस संपूर्ण भाग में टोल अर्जित कर रही है। वर्तमान में 118.158 किमी के सम्पूर्ण खंड से प्रति दिन लगभाग ₹ 38 लाख का टोल एकत्र किया जा रहा है।

छ) सहायक कंपनी

आपकी कंपनी ने 30 सितम्बर, 2009 को "इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड" (इरकॉन आईएसएल) नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया था। इरकॉन आईएसएल ने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10 करोड़ है और उसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 4.9 करोड़ है।

इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य - जैसाकि कंपनी के पंजीकृत चार्टर में दर्शाया गया है अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को निष्पादित करना; निर्माण - प्रचालन - हस्तांतरण (बीओटी), निर्माण - स्वामित्व - प्रचालन - हस्तांतरण (बीओओटी), निर्माण - पट्टा - हस्तांतरण (बीएलटी), आदि या अन्यथा या कोई अन्य योजना या अवसंरचनात्मक परियोजना की संबंधित क्षेत्र में तथा अन्य अनुषंगी क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण कार्य करना; भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास तथा सुधार आदि कार्य करना; तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी मुद्दे।

इरकॉन आईएसएल ने रेल प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा चिह्नित 23 स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों का निर्माण कार्य भी आरंभ किया है।

7 स्टेशनों का कार्य पूरा हो गया है तथा इरकॉन आईएसएल 7 बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर लेने की प्रक्रिया में है। शेष 14 स्टेशनों पर कार्य समाप्ति के अंतिम स्तर पर है। स्थानीय प्राधिकरणों से क्लियरेंस प्राप्त न होने के कारण 2 स्टेशनों पर निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका, और यह क्लियरेंस शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने ₹ 7.2 करोड़ की कुल लागत पर ''म्यानमार के चिन राज्य में एक सड़क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु तकनीकी सेवायें उपलब्ध कराने'' के लिए इरकॉन आईएसएल को अभिकल्प परामर्शदाता नियुक्त किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 जुलाई, 2011 को विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है।

आपकी कंपनी किसी सदस्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर इरकॉन आईएसएल का तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा, निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.ircon.org) पर भी उपलब्ध कराई गई है और यह कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों में कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा जांच किए जाने के लिए उपलब्ध रहेगी। इस वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी की समेकित वित्तीय विवरण में उसकी सहायक कंपनी के लेखे भी शामिल हैं। आपकी कंपनी की प्रमुख वित्तीय गतिवधियों का सारांश समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची-एस में लेखों पर नोट के पैरा-9 (घ) पर उपलब्ध है।

ज) लेखांकन उपचार का प्रकटन - बंद ईराक परियोजना के बकाया देय

आस्थगित ईराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैंक-टू-बैंक आधार पर उप ठेकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा (1 अमरीकी डालर = ₹ 35.802) पर परिवर्तित किया जाता है, जैसाकि पिछले वर्ष किया गया था, एएस-11 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार तुलन पत्र की तारीख की दरों के स्थान पर । यदि एस-11 का अनुसरण किया जाता तो वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 3.95 करोड़ अधिक होता। इसका ब्यौरा अनुसूची-ट में लेखों संबंधी नोट के पैरा-12 में दिया गया है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, समावेशन और अनुसंधान एंव विकास

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक 'इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष' स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरेखण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रौद्योगिकीय विकासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मध्यकालीन अनुसंधान एवं विकास योजना तैयार की है। आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रूप में विभिन्न

सिलीगुडी में बहुउद्देशीय परिसर का चित्र निर्मित

दीघा में बहुउद्देशीय परिसर का चित्र निर्मित

परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है। इन पद्धतियों तथा अभिकल्पों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन में प्रौद्यागिकीय क्षमताओं, कुशलता, मितव्ययिता तथा सृजनात्मकता में संवर्धन करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

विसूचीकरण

रेल मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2010 के अपने पत्र के तहत सूचित किया है कि आपकी कंपनी के शेयर विसूचीकृत होंगे। निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति, पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प, एजीएम की संवीक्षक रिपोर्ट पर आधारित घोषणा के संबंध में, एसईबीआई (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियमन, 2009 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत औपचारिकताओं को 22 सितम्बर, 2010 को पूरा कर लिया गया था। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात इरकॉन के आवेदन के प्रत्युत्तर में दिनांक 29.12.2010 तथा 16.02.2011 के अपने पत्रों के तहत क्रमशः मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज तथा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तत्पश्चात, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक शेयरधारकों को 15 जुलाई, 2011 को व्यक्तिगत आमंत्रण पत्र भेजे थे ताकि विसूचीकरण के लिए उनकी सहमति प्राप्त की जा सके और विसूचीकरण के पश्चात भी वे इक्विटी शेयरों के धारक बने रह सकें; या मर्चेंट बैंकरों द्वारा परिकलित निकासी मूल्य के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्य पर अपने इक्विटी शेयरों को बेच सकें। विसूचीकरण के लिए तथा विसूचीकरण के पश्चात भी इक्विटी शेयरों के धारक बने रहने के लिए दोनों सार्वजनिक शेयरधारकों से स्वीकृति तथा सहमति पत्र सहित प्रमोटरों का शपथ पत्र कंपनी को 10 अगस्त, 2011 को प्राप्त हुआ था। मर्चेंट बैंकरों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के शीघ्र पश्चात दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को 31 अगस्त, 2011 से पूर्व विसूचीकरण के लिए अंतिम आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां बाहरी शिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए अधिकारियों को प्रख्यात संस्थानों के साथ नामित किया जाता है।

अवसंरचना विकास के क्षेत्र में गतिवधियों में वृद्धि के कारण अनुभवी श्रमशक्ति में कमी हुई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 64 तकनीकी तथा व्यवसायिक रूप से योग्य कार्मिकों की भर्ती की है, हालांकि कंपनी से ऐसे 100 योग्य कार्मिकों ने त्याग पत्र भी दिया है।

31 मार्च 2011 को कार्मिकों की कुल संख्या 1678 है जिनमें 128 कार्मिक प्रतिनियुक्त पर हैं तथा इनमें से अधिकतर (94) को विदेशी परियोजनाओं में लगाया गया है । 1408 नियमित कार्मिकों में से 1239 कार्मिक भारतीय परियोजनाओं पर तैनात हैं। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 85 है, जिनमें से 43 कार्यपालक हैं। कंपनी के 786 (46.95%) कार्मिक इंजीनियर हैं।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एक बार शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय में कर्मचारियों को होम्योपैथी द्वारा निःशुल्क परामर्श तथा दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। निगमित कार्यालय में पुरुष व महिला दोनों वर्ग के कर्मचारियों के लिए बैचों में लगभग छह महीने की योग की कक्षायें चलाई जाती हैं। कंपनी का विभिन्न रिजोर्टों के साथ अनुबंध है ताकि कर्मचारियों को रियायती दरों पर रिजार्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है जो किसी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करती है, चाहे वह अनौपचारिक ही क्यों न हो ताकि समस्या को आरंभ में ही समाप्त किया जा सके। महिला दिवस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर, आपकी कंपनी ने महिला कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं तथा इनके समाधान पर बल देते हुए महिला दिवस का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस की सहायता से महिला कर्मचारियों के लिए संक्षिप्त स्वरक्षा प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया था।

इरकॉन की महिला कर्मचारियों को सामाजिक गतिविधियों तथा खेलकूद में रुचि दिखाने के लिए रेल महिला कल्याण संगठन द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है।

28 अप्रैल, 2011 को 35वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों तथा चुनिंदा परियोजनाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

अनुपालन

राष्ट्रपति का आदेश

वर्ष 2010-11 के दौरान कोई राष्ट्रपति आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

राजभाषा

हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। कंपनी की द्विभाषीय वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। सभी

कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा उपलब्ध है। हिन्दी भाषा में समान टेम्पलेट की सुविधा प्राप्त करने के लिए यूनिकोड सहिष्णु सॉफ्टवेयर तथा फॉन्ट प्रयोग किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को यूनिकोड प्रणाली में हिन्दी कुंजीपटल प्रशिक्षण/अभ्यास (आशुलिपिक तथा सहायक) उपलब्ध कराया जा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी तिमाही बैठकें तथा कार्यशालायें आदि नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी तथा एक सहायक जन-सूचना अधिकारी के साथ-साथ कंपनी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्यालय के एक राज्य स्तरीय जन-सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट में डाल दी गई है । प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रूप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975, जिसे 31 मार्च, 2011 की अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया है, के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के प्रावधानों के अनुसार 2010-11 के दौरान प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रतिमाह 5 लाख रुपए या अधिक पारिश्रमिक किसी भी कार्मिक ने प्राप्त नहीं किया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी में निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी सीएसआर दिशा-निर्देश की तर्ज पर सीएसआर नीति तथा संरचना विद्यमान है। वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी ने दीर्घकालीन व्यवसाय योजना के अनुरुप दीर्घकालीन निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना तैयार की है।

निदेशक मंडल ने अप्रयुक्त बजट को प्रत्येक वर्ष से अगले वर्ष में अग्रेषित करने के लिए प्रावधान सहित 2009-10 तथा 2010-11 प्रत्येक वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधियों के प्रति हर वर्ष कंपनी के निवल लाभों के 0.5% को आवंटन किया था । वर्ष 2010-11 के लिए कंपनी तथा रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित सीएसआर परियोजनाएं समय पर पूरी हो गई हैं।

निदेशक मंडल ने वर्ष 2011-12 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट के प्रति ₹ 3 करोड़ की न्यूनतम राशि के मद्देनजर निवल लाभ (2010-11 का) का 2% आबंटित किया है। आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां ₹ 3 करोड़ की आबंटित निधि के साथ वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रतिबद्ध हैं और परियोजनाओं के क्षेत्र में चुनिंदा स्थलों में निम्नलिखित 5 क्षेत्रों पर बल देंगी यथा कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए आईटीआई, धौलपुर पर अवसंरचना तथा अन्य लॉजिस्टिक का विकास; चुनिंदा स्टेशनों पर चिह्नित स्कूलों को पुस्तकें, बैग, शुल्क आदि का वितरण; सौर ऊर्जा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/एम्बुलेंस; तथा पौध- रोपण/पार्कों का अनुरक्षण/आपदा के दौरान सहायता।

ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरण महत्व तथा निरन्तर विकास

ऊर्जा संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय भवन में विभिन्न अत्याधुनिक प्रणालियां संस्थापित की गई हैं तथा पर्यावरण सहिष्णु तकनीकों को अपनाया गया है।

वर्ष 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य, यथा कंपनी के चिह्नित कार्यालयों तथा कार्यशाला भवनों का ऊर्जा लेखापरीक्षा तथा सुझावों के कार्यान्वयन को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। कंपनी ने 18 बहुउद्देशीय परिसरों के अभिकल्प/आरेखण में हरित भवन विशेषताओं को भी शामिल किया है।

आपकी कंपनी में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण नीति विद्यमान है। वर्ष के दौरान निगमित सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण मैनुअल का निर्माण किया गया है और उसे जारी भी किया गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

कर्मचारियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरुकता के परिणामस्वरुप निगमित कार्यालय में ऊर्जा की खपत में व्यापक रुप से कमी हुई है। इस परियोजना से पेड़ों के पौध-रोपण तथा वायु व जल प्रदूषण को नियंत्रित करके पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने मे भी सहायता मिली है।

सतर्कता गतिविधियां

सतर्कता विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए पूर्णकालीन मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है। इंजीनियरों वाले सतर्कता दल के अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं और ये सतर्कता से संबंधित सभी मुद्दों पर शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं। सतर्कता विभाग निवारक तथा दंडात्मक दोनों कार्यों को देखते हैं जिसमें अनुचित पद्धतियों/कदाचार आदि को रोकने के लिए उपाय तथा खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रणाली सुझाना शामिल है।

वर्ष 2010-11 के दौरान संक्षेप में सतर्कता गतिविधियों में शामिल हैं, आंतरिक शिकायतों तथा जन साधारण, जन प्रतिनिधियों, कार्य एजेंसियों आदि द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों की जांच तथा निवारण; वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्य स्थलों पर नियमित/औचक निवारक निरीक्षण; प्रमुख तकनीकी परीक्षक द्वारा उठाए गए पैरों का निपटान; कर्मचारियों की अचल परिसंपत्ति रिटर्न की संवीक्षा; दंडात्मक सतर्कता मामलों का निपटान; सतर्कता संबंधी मामलों में जागरुकता पैदा करने के लिए कार्यपालकों तथा परियोजनाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए सतर्कता प्रशिक्षण।

सतर्कता पोर्टल का विकास प्रगति पर है। इस पोर्टल से आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर पाना संभव होगा। पारदर्शिता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए कंपनी प्रौद्योगिकी उपयोग के अंतर्गत ई-टेंडरिंग/ई-प्रापण को विकसित कर रही है।

सुव्यवस्थित सुधारों के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे निविदा दस्तावेजों को रखने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने, सतर्कता क्लियरेंस के लिए प्रारूपों का मानकीकरण तथा कर्मचारियों के लिए उन्हें इंटरनेट पर लोड करना आदि।

गुणवत्ता प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्च्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है । 2009-10 के दौरान कंपनी को टीयूवी द्वारा अद्यतन संशोधित कोड आई.एस.ओ 9001-2008 के अनुसार पुनःप्रमाणित किया गया है। पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा का अगला दौर अगस्त, 2011 में देय है जिसके लिए क्यूएमसी हेतु मौजूदा प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है ताकि सुधार व स्तरोन्नयन किया जा सके।

गुणवत्ता प्रबंधन विभाग इसके लिए आईएसओ 14001:2004 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा का प्रथम स्तर अप्रैल, 2011 में आयोजित किया गया है और लेखापरीक्षा का दूसरा स्तर शीघ्र ही किया जाएगा।

निगमित गुणवत्ता परिषद तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं ताकि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके।

सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ईआरपी का विकास

आपकी कंपनी परियोजनाओं तथा निगमित कार्यालय के बीच डाटा संप्रेषण के लिए समर्पित पट्टा लाइन सर्किट वाले एक अत्याधुनिक डाटा केन्द्र को अनुरक्षित कर रही है। यह डाटा केन्द्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए सुरक्षित रुप से सुरक्षित उच्च गति लेन तथा वेन सम्पर्कता के लिए नेटवर्क तथा इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। केन्द्रीकृत रुप से तथा सुरक्षित तौर पर प्रयोक्ता डाटा के प्रभावी प्रबंधन के लिए थिन-क्लाइंटसाल्यूशन आधारित लीनक्स का प्रयोग कर रहा है।

ऑन-लाइन प्रगति रिपोर्टिंग (ओपीआर) प्रणाली वाली परियोजना प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकों के आरेखणों तथा अभिकल्पों का निर्माण, कंपनी में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के स्थापन का कार्य प्रगति पर है।

पुरस्कार

कंपनी को वर्ष 2010 के लिए परिवहन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर तथा दैनिक समाचार एवं विश्लेषण (डीएनए) द्वारा संस्थापित ''भारत गौरव पुरस्कार'' के अंतर्गत ''कांस्य'' ट्रॉफी प्रदान की गई है। ये पुरस्कार 13 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा इरकॉन के प्रबंध निदेशक श्री मोहन तिवारी को प्रदान किया गया था।

एकीकृत रिपोर्ट

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अपेक्षानुसार "कार्पोरेट शासन रिपोर्ट" तथा प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है तथा इन्हें क्रमशः इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" तथा "ग" के रूप में रखा गया है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी की गतिविधियों, उसके व्यावसायिक परिवेश, लक्ष्य एंव उद्देश्यों, दृष्टिकोण, प्रचालनिक निष्पादन, उसके संसाधनों व प्रणालियों, विशेषताओं, अवसरों, सीमाओं, जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं, नीतियों, भावी सम्भावनाओं आदि का प्रारूप प्रस्तुत करती हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन के दर्शन, निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं।

(i) सूचीकरण करार के खण्ड (i) (डी) (ii) के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार सहिंता (अनुलग्नक 'ग'-1 पर) के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र; और

(ii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 (V) के उपखण्ड (क) से (घ) तक(अनुलग्नक 'ग'-2 पर) के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र;

(iii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 (vii) के अनुसार सनदी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित खडं 49 के प्रावधनों के अनुसार निगमित शासन

(अनुलग्नक ग-3 पर) के अनुपालन का प्रमाण पत्र।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

1. वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो।
2. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2010-11 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।
3. जैसा कि वार्षिक लेखा में घोषित है, परिसंपतियों की सुरक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. वार्षिक लेख-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल

अप्रैल 2010 से मार्च, 2011 के दौरान निदेशक मंडल की आठ बैठकें आयोजित हुईं थीं जिनमें प्रत्येक तिमाही में दो बैठकें आयोजित की गई थी अर्थात, जून, 2010, सितम्बर, 2010, दिसम्बर, 2010 तथा मार्च, 2011 को समाप्त तिमाही में आयोजित की गई थीं ।

वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित निदेशक पदमुक्त हुए :-

1	श्री एस.एस. खुराना अंशकालीन अध्यक्ष(सरकारी)	दिनांक 31/05/2010 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद से पदमुक्त हुए । वह दिनांक 16/03/2009 (पूर्वाह्न) से 31/05/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।
2	श्री आर. सुब्रमणयन अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	28/06/2010 (अपराह्न) को 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए। वह दिनांक 29/06/2007 (पूर्वाह्न) से 28/06/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।
3	श्री ए.के.तिवारी अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	दिनांक 31/08/2010 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद से पदमुक्त हुए । वह दिनांक 19/01/2009 (पूर्वाह्न) से 31/08/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।
4	श्री आर.के. चोपड़ा, अंशकालीन अध्यक्ष (सरकारी)	दिनांक 30/09/2010 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद से पदमुक्त हुए । वह दिनांक 11/06/2010 (पूर्वाह्न) से 30/09/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।
5	श्री एन. पार्थासारथी अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	30/09/2010 (अपराह्न) को 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करने के पश्चात निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए। वह दिनांक 01/10/2007 (पूर्वाह्न) से 30/09/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।
6	श्री मदन लाल निदेशक (निर्माण)	दिनांक 31/12/2010 (अपराह्न) को अधिवर्षिता के कारण निदेशक के पद से पदमुक्त हुए । वह दिनांक 23/04/2007 (पूर्वाह्न) से 31/12/2010 (अपराह्न) तक इस पद पर रहे ।

आज की तारीख को निम्नलिखित निदेशकों ने पद ग्रहण किए हुए हैं।

1	श्री ए.पी. मिश्रा, अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	27/10/2010 (पूर्वाह्न) से आगे
2	श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक	01/02/2009 (पूर्वाह्न) से आगे
3	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	03/11/2009 (पूर्वाह्न) से आगे
4	श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	16/04/2010 (पूर्वाह्न) से आगे
5	श्री हितेश खन्ना, निदेशक निर्माण	07/03/2011 (पूर्वाह्न) से आगे
6	डॉ0 जी.वी. राव, अंशकालीन निदेशक (गैर-सरकारी)	08/10/2010 (पूर्वाह्न) से आगे
7	श्री बी.एम. राजशेखर, अंशकालीन निदेशक (सरकारी)	25/10/2010 (पूर्वाह्न) से आगे

लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2010-2011 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं -

सांविधिक लेखापरीक्षक :	
वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	कम्पनी के लिए समग्र रूप से
भारत में शाखा लेखापरीक्षक	
श्री रविवर्मा एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट्स, जम्मू, (जम्मू और कश्मीर)	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र और पंजाब, आरसीएफ कपूरथला, लुधियाना उपस्टेशन (श्रीनगर क्षेत्र के रूप में नामित) की सभी परियोजनाओं के लिए।
प्रकाश और संतोष, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	यूपी-01, यूपी-04, यूपी-05, इलाहबाद परियोजनाएं, ग्वालियर, एमएपी झांसी, लखनऊ, मुगलसराय, आदि (कानपुर क्षेत्र के रूप में नामित)
ए.एन. चटर्जी एण्ड कम्पनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
पाठक एचडी एण्ड एसोसिएट्स, मुम्बई (महाराष्ट्र)	पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
ए.आर.विश्वनाथन एण्ड कम्पनी, बंगलौर (कर्नाटक)	दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
विदेश में शाखा लेखापरीक्षक	
वाही एण्ड गुप्ता, नई दिल्ली	मलेशिया में सभी परियोजनाएं
मैनबेरे ल्यूल एण्ड कम्पनी, इथोपिया	इथोपिया
ऑडीकोंटास, ल्डे, बेरा	मोजांबिक
एस.एन. नन्दा एण्ड कम्पनी, अफगानिस्तान	अफगानिस्तान
फिडेसियेर डी'एक्सपर्टीस कम्पटेबल फिडैक्सा	अल्जीरिया
जयासिन्हे एंड कंपनी, कोलंबो, श्रीलंका	श्रीलंका

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, विभिन्न बैंकों, राजदूतावासों, आप्रवासन प्राधिकारियों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं । इस अवसर पर हम प्रख्यात पूर्वाधिकारियों का नम्रतापूर्वक स्मरण करते हैं, और उनकी भूरि-भूरि सराहना करते हैं ।

इस अवसर पर हम इस कम्पनी के कर्मचारियों की सक्षमता तथा कृतज्ञता पर अपने विश्वास की पुनःपुष्ट करते हैं और हम कंपनी के उत्कृष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके अथक प्रयासों और गुणवत्ता के प्रति उनके समर्पण के लिए उनके आभारी हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08. 2011

के.के. गर्ग
निर्देशक वित्त

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

आपकी कंपनी टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे और राजमार्ग निर्माण कार्य की विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में निरन्तर क्षेत्रक अगुआ बनी हुई है। कंपनी अपनी स्थापना के दूसरे वर्ष से ही लगातार वर्ष प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रही है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से एक है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान कर रही है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् सन् 1985 से इसने उत्तरोतर विविध कार्यों तथा सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक कॉम्लेक्स के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है।

आपकी कंपनी ने पिछले 35 वर्षों से देश और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भूभागों और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में कार्य निष्पादित करने के लिए जानी जाती है।

इरकॉन एक अनूसूची 'क' की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है तथा मिनिरल श्रेणी -I की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है जिसे, वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रुप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है, और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। जी हां, यह रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विनियमित है। ऐसा मुख्य रुप से सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रुप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सरकार सामान्य रुप से सरकारी कंपनियों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी कंपनी को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यवसाय वातावरण

पिछले निकट तीन वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को दो लगातार तीव्र झटकों को सहना पड़ा है अर्थात वैश्विक वित्तीय संकट तथा अनियमित मानसून के कारण कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के कारण घरेलू क्षेत्र में नकारात्मक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था इन संकटों से निपटने में सफल रही है और अपनी प्रतिबद्धता व शक्ति के माध्यम से इस आर्थिक तनाव को सह पाई है। वास्तविक दृष्टि से भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2010-11 में 8.6% तक बढ़ने का अनुमान है।

व्यापक तथा समेकित आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना अर्थव्यस्था का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए अनेक परियोजनाएं तथा योजनाएं आरंभ की हैं। इरकॉन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापक अवसर विद्यमान हैं :

रेलवे : समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) परियोजना में मुम्बई से रेवाड़ी तक पश्चिमी कॉरीडोर तथा लुधियाना से दनकुनी तक पूर्वी कॉरीडोर। पश्चिमी कॉरीडोर संरेखण के साथ, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर भी विकसित हो रहा है। समर्पित मालभाड़ा परियोजनाओं का वित्तपोषण द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा किए जाने की संभावना है। आदर्श स्टशनों को विकसित करके विश्वस्तरीय स्टेशनों का विकास तथा यात्री सुविधाओं का स्तरोन्नयन। भारतीय रेलवे सस्ते टैरिफ पर बिजली प्राप्त करके प्रचालनिक व्ययों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए अपने स्वयं के ताप ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की भी योजना बना रही है।

सड़कें : राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के विभिन्न घटक जैसे उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा, पोत संपर्कता परियोजनाएं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, एनएचडीपी चरण III से VII । इसके अतिरिक्त, न्यूनतम स्वीकार्य दो-लेन मानक तक संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को विकसित करना, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास, प्रगतिरत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएनजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण के कार्य की भी योजना है।

समपारों पर सुरक्षा के लिए अधिक बल देते हुए बड़ी संख्या में सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाना है। सड़क ऊपरी पुलों के निर्माण में अच्छे ट्रैक रिकार्ड के साथ इरकॉन, इनमें से अनेक सड़क उपरी पुलों के लिए निष्पादन एजेंसी की भूमिका निभाएगी।

मेट्रो : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बंगलुरु, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता आदि में मेट्रो रेल परियोजनाएं।

विद्युतीय परियोजनाएं : रेल विद्युतीकरण तथा अति उच्च वोल्टता 765 किलो वॉट उप स्टेशन के क्षेत्र में बीओटी/बीओओटी/बीओएलटी के अंतर्गत परियोजनाएं।

आपकी कंपनी पहले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, भारतीय रेलवे के लिए सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पोत संपर्कता परियोजना, विद्युतीय उप-स्टेशनों, रेल विद्युतीकरण, ऊर्जा आपूर्ति वितरण नेटवर्क तथा औद्योगिक विद्युतीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है।

कंपनी मलेशिया, श्रीलंका, एल्जीरिया, अफगानिस्तान तथा इथोपिया में भी परियोजनायें निष्पादित कर रही है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यानमार, नेपाल, वियतनाम तथा अन्य मिडिल ईस्ट के देशों तथा अफ्रीकी देशों में भी अवसर विद्यमान हैं।

दृष्टिकोण

वर्ष 2011-12 के लिए रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

विजन

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

1. भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।
2. सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

उद्देश्य

1. कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के आकार व मूल्य को बढ़ाना ताकि वर्ष 2011-12 तक ₹ 3500 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया जा सके।
2. लगाई गई पूँजी से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2010-11 में कंपनी ने अब तक की सर्वाधिक कुल आय अर्जित की है यथा ₹ 3254 करोड़ है जो वर्ष 2009-10 में प्राप्त ₹ 3217 करोड़ की कुल आय से अधिक है। कुल आय (₹ 3175 करोड़) का लगभग 98% निर्माण प्रचालनों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 50% (₹ 1577 करोड़) विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 3153 करोड़ की प्रचालन आय के प्रति विदेशी परियोजनाओं (₹ 1196 करोड़) से 38% अंशदान से अधिक है। स्पष्ट शब्दों में पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। कर पूर्व लाभ 2009-10 में ₹ 264 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹ 401 करोड़ हो गई है जो 51% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान निवल आय में 15.26% की वृद्धि हुई है तथा सकल मार्जिन में 44% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर आमदनी 2009-10 में ₹ 184.06 से बढ़कर 2010-11 में ₹ 242.99 हो गई है जो कि 32% की वृद्धि है। कंपनी ने 2010-11 में शुद्ध विदेशी विनिमय से ₹ 427.61 करोड़ अर्जित किए हैं जो कि वर्ष 2009-10 में अर्जित ₹ 264 करोड़ से अधिक है और 62% की भारी वृद्धि को दर्शाता है।

निदेशक मंडल ने ₹ 24 प्रति शेयर (240%) की दर से लाभांश की घोषणा व भुगतान पर विचार करने की सिफारिश की है। कंपनी ने पहले ही फरवरी, 2011 में ₹ 26 प्रति शेयर (260%) की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वार्षिक आम बैठक की घोषणा के पश्चात देय ₹ 23.76 करोड़ का लाभांश तथा पहले से भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (₹ 25.73 करोड़), मिलकर वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 49.49 करोड़ का कुल लाभांश होगा, जो कि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 500% है।

प्रचालनिक निष्पादन

रेलवे और राजमार्ग लाभ के मूल क्षेत्र बने हुए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रचालन आय-रेल से 64%, हाईवे से 29% तथा शेष 7% भवनों, विद्युत उप स्टेशनों आदि से प्राप्त हुई। क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है। तालिका राजमार्ग निर्माण कार्यों की तुलना में रेलवे के कार्यों में पिछले तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाती है। रेलवे निर्माण कार्यों से प्रचालनिक आय का अनुपात वर्ष 2008-09 में 55% से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 64% हो गया है, जबकि राजमार्ग क्षेत्र में यह अनुपात 2008-09 में 35% से घटकर 2010-11 में 29% हो गया है। विद्युतीय परियोजनाओं तथा उप-स्टेशनों (जो कि 'अन्यों' का भाग है) से आय के भाग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 55% की भी कमी हुई है।

(₹ करोड़ में)

	2008-09		2009-10		2010-11	
	प्रचालन आय	**%**	**प्रचालन आय**	**%**	**प्रचालन आय**	**%**
रेलवे	1449	55	1801	57	2033	64
राजमार्ग	934	35	1004	32	935	29
भवन	60	2	27	1	61	2
अन्य*	211	8	321	10	146	5
कुल	**2654**		**3153**		**3175**	

*विद्युतीय परियोजनाओं से आय सहित (वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 177 करोड़, 2009-10 के दौरान ₹ 285 करोड़ तथा 2010-11 के दौरान ₹ 128 करोड़)

वर्ष 2010-11 के दौरान विदेशी परियोजनाओं में आय के अनुपात में वृद्धि का रुझान जारी रहा। 2010-11 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान 49% है जो कि 2008-09 में 30% तथा 2009-10 में 38% था। 2010-11 के परिणाम दर्शाते हैं कि कुल आय में भारतीय परियोजनाओं का अंशदान 50% रहा जबकि 2009-10 के दौरान यह 61% था और 2008-09 के दौरान यह 68% था।

पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है : **(₹ करोड़ में)**

	2008-09		2009-10		2010-11	
	कुल आय	**%**	**कुल आय**	**%**	**कुल आय**	**%**
विदेशी	831	30	1217	38	1587	49
घरेलू	1867	68	1967	61	1613	50
अनावंटित	42	2	33	1	54	1
जोड़	**2740**		**3217**		**3254**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं विशाल वित्त व्यवस्था (निरंतर लाभ प्रदत्ता तथा कम्पनी के तुलनपत्र से प्रदर्शित होता है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, विशेष रूप से रेलवे सेक्टर में पिछले दो वर्षों में अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पुनःजागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है। रेलवे तथा राजमार्ग क्षेत्र में बीओटी परियोजनाएं तथा रियल एस्टेट कंपनी की वित्तीय शक्ति का प्रयोग करने के लिए अत्यंत आकर्षक अवसर उपलब्ध कराता है।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। विदेशी प्रतियोगियों के पास आसान ऋण की उपलब्धता तथा निजी निवेशकों के पास प्रापण तथा प्रचालन का लचीलापन जैसे कुछ अन्य कारक हैं। सरकार के दिशा-निर्देश कंपनी की इक्विटी निवेश शक्तियों का (कंपनी कानून द्वारा प्रदान) प्रतिबंधित करता है जो कि तत्काल नए व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा खड़ी करता है।

रणनीति

अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे, हाईवे, रेल विद्युतीकरण तथा वाणिज्यिक परिसरों को समेकित और उन्नत किया जा रहा है और सामरिक गठजोड़ों व सहायक कंपनियों के माध्यम से मेट्रो, तथा जल आपूर्ति व निकासी, ट्रांसमिशन लाइन आदि तथा हाईड्रो इलैक्ट्रिक ऊर्जा में प्रवेश की संभावनाओं का पता लगाने के नए क्षेत्रों में सक्षमता को विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

अगस्त 2007 से एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क उपलब्ध है। कम्पनी में पूर्णकालीन निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर की एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है। दायित्वों से मुक्त भूमि की निरंतर गैर उपलब्धता के कारण इरकॉन को एनएचएआई की अधिकतर परियोजनाओं में घाटा हुआ है।

जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं को जोखिम उठाना पड़ता है और यहाँ जोखिम की सम्भावना रहती है तथा कर्मचारियों की जान, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। बहरहाल, कम्पनी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में गर्व का अनुभव करती है। कम्पनी ने सरकार की मदद से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बीमा आदि जैसे उपाय किए है। कंपनी में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण नीति और प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग के रूप में एक सुरक्षा नीति विद्यमान है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-।। मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनलाइसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'सीएआरई एएए' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए 'पीआर 1+' रेंटिंग प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा फरवरी-मार्च, 2011 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनः पुष्टि की है।

विदेशी परियोजनाओं में कंपनी के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं। विदेशों में अस्थाई रोकड़ प्रवाह असमानता से निपटने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से प्रचालनिक उद्देश्यों हेतु विदेशी बैंको में निधियाँ रखनी पड़ती है। इस प्रकार की निधियों का संचय, विदेशी मुद्रा पर उच्चावचन से प्रभावित होता है। इस जोखिम को न्यूनतम बनाने के लिए विदेशी मुद्रा की चाल की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है तथा लागू कानूनों के अनुसार इन अतिरिक्त निधियों को भारत में लाया जाता है। विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो की मैचिंग के दौरान प्राकृतिक व्यवस्था को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। पारदर्शी तथा सुव्यवस्थित तरीके से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं हेतु निवेश दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका को उचित रूप से संशोधित किया गया है और उसमें आंतरिक लेखपरीक्षकों के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त दिए गए हैं।

प्रमुख निष्पादन सूचकांकों को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से गहन मानीटरिंग की जाती है। मार्जिन से नीचे चल रही परियोजनाओं के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी व वितीय लेखापरीक्षा व नियंत्रण की एक प्रणाली आरम्भ की गई है।

आंतरिक नियंत्रण तथा लेखपरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। कंपनी अनुपूरक विसल ब्लोवर नीति सहित जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति को अंतिम रुप दे रही है।

मानव संसाधन

कंपनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। कंपनी सही युवा प्रतिभा को नियुक्त करने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है।

संवर्धन तथा स्तरोन्नयन के उपकरण के रूप में नए रूप से भर्ती कर्मचारियों को भर्ती प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ संगठन के भीतर व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास मानव संसाधन प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

दूसरे वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की तर्ज पर सभी परियोजनाओं और कार्यों के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करके सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा सेवानिवृत्ति पश्चात एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से अंतरण चिकित्सा लाभों के मौजूदा लाभों के अतिरिक्त अधिवर्षिता लाभों के भाग के रुप में पेंशन योजना के निर्माण के लिए कंपनी दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर पहल कर रही है।

संलग्नक - 'ख'

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

(स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 के संलग्नक 1 सी के अनुसार)

1. कार्पोरेट शासन तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कंपनी के विचार।

कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है "व्यावसायिक, लाभकारी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना"

निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के आधारभूत मूल्य हैं :-

1. रचनात्मक दृष्टिकोण
2. एक टीम के रूप में कार्यरत
3. कार्य में उत्कृष्टता
4. कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा
5. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में सात निदेशक हैं जिनमें एक स्वतंत्र निदेशक, चार पूर्णकालीन निदेशक (प्रबंध निदेशक, निदेशक निर्माण, निदेशक वित्त तथा निदेशक परियोजना) तथा अध्यक्ष सहित दो सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालीन-सरकारी) निदेशक हैं।

वर्ष 1998 में मिनी रत्न बनने के पश्चात 1999 से कंपनी के निदेशक मंडल की सामान्य संख्या 10 है जिसमें 4 पूर्णकालीन निदेशक (5 साल के कार्यकाल या अधिवर्षिता तक, जो कोई भी पहले हो), प्रशासनिक मंत्रालय से 2 अंशकालीन (सरकारी) निदेशक, तथा 4 स्वतंत्र निदेशक जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है।

सभी 4 स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल वर्ष 2005 में पूरा हो गया है। कंपनी में अक्तूबर, 2007 से केवल 2 स्वतंत्र निदेशक, श्री आर. सुब्रमणयम तथा श्री एन. पार्थसारथी थे और दोनों का कार्यकाल 2010 को समाप्त हो गया है (क्रमशः 28 जून, 2010 तथा 30 सितम्बर, 2010)। आज की तारीख को दिनांक 08 अक्तूबर, 2010 से कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक, डॉ0 जी.वी. राव हैं।

अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की तीव्र नियुक्ति के लिए विशेष अनुरोध के साथ रेल मंत्रालय को बोर्ड स्तर पर रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती है।

2.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी/ अंशकालिक गैर सरकारी	प्राईवेट कंपनियों में निदेशक पद को छोड़कर अन्य सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्य इरकॉन को मिलाकर	इरकॉन समेत (प्राईवेट कम्पनियों को छोड़कर) समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
ए.पी. मिश्रा (27.10.2010(पू.) से)	अध्यक्ष-अंशकालीन (सरकारी)	3 (आरवीएनएल, डीएमआरसी तथा केआरसीएल)	शून्य	शून्य
मोहन तिवारी	प्रबंध निदेशक-पूर्णकालीन	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	1 (इरकॉन की लेखा परीक्षा समिति)
के.के. गर्ग	निदेशक वित्त - पूर्णकालीन	2 (इरकॉन आईएसएल तथा सीसीएफबी)	शून्य	1 (इरकॉन की एसआईजी समिति)

दीपक सबलोक (16.04.2010(पू.) से)	निदेशक परियोजना - पूर्णकालीन	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	1 (इरकॉन की एसआईजी समिति)
हितेश खन्ना (07.03.2011(पू.) से)	निदेशक निर्माण- पूर्णकालीन	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	शून्य
जी वी राव (08.10.2010(पू.) से)	स्वतंत्र निदेशक - अंशकालीन (गैर सरकारी)	शून्य (इरकॉन आईएसएल)	1 (इरकॉन की लेखा परीक्षा समिति)	शून्य
बी एन राजशेखर (25.10.2010(पू.) से)	अंशकालीन (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	1 (इरकॉन की एसआईजी समिति)	2 (इरकॉन तथा एमआरवीसी की लेखा परीक्षा समिति)

टिप्पणियाँ :

1. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त "पूर्णकालिक निदेशक" पद का आशय प्रकार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
2. इस रिपोर्ट में "अंशकालिक निदेशक" पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।
3. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिया है, किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।
4. निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 275-278 में उल्लिखित पंद्रह (15) की अधिकतम सीमा के भीतर है।
5. सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ग) (2) के स्पष्टीकरण (2) के अनुसार समितियों का अर्थ यहाँ लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निदेशक शिकायत (एसआईजी) समिति से है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता/अध्यक्षता संख्या सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ग) (2) में विहित कुल 10 (दस) सदस्यता जिसमें 5 (पाँच) अध्यक्ष पद शामिल हैं कि अधिकतम सीमा के भीतर है।
7. 'सरकारी' शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।
8. शब्द "गैर-सरकारी स्वतंत्र" उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।
9. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

क)	एमआरवीसी -	मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड
ख)	आरवीएनएल -	रेल विकास निगम लिमिटेड
ग)	डीएमआरसी -	दिल्ली मेट्रो निगम लिमिटेड
घ)	केआरसीएल -	कोंकण रेल निगम लिमिटेड
ड.)	सीसीएफबी -	कंपैनिया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा मोजाम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी
च)	इरकॉन आईएसएल -	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपना

पदमुक्त हुए निदेशक

(वर्ष 2010-11 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)

इरकॉन के निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक सरकारी/ अंशकालिक गैर सरकारी	प्राईवेट कंपनियों में निदेशक पद को छोड़कर अन्य सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्य इरकॉन को मिलाकर	इरकॉन समेत (प्राईवेट कम्पनियों को छोड़कर) समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप	सदस्य के रूप में
सुरेन्द्र सिंह खुराना (16.03.2009 (पू) से 31.05.2010 (अ)तक पद पर रहे। अधिवार्षिता पर पदमुक्त हुए।	अध्यक्ष - अंशकालीन (सरकारी)	1	शून्य	शून्य

आर. सुब्रमणयन (29.06.2007 (पू.) से 28.06.2010 (अ.) तक पद पर रहे। कार्यकाल पूरा होने पर पदमुक्त हुए।	अंशकालीन (स्वतंत्र)	1	2	शून्य
ए.के तिवारी (19.01.2009 (पू.) से 31.08.2010 (अ.) तक पद पर रहे। अधिवर्षिता पर पदमुक्त हुए।	अंशकालीन (सरकारी)	1	1	1
राकेश चोपड़ा (11.06.2010 (पू.) से 30.09.2010 (अ.) तक पद पर रहे। अधिवर्षिता पर पदमुक्त हुए।	अध्यक्ष अंशकालीन (सरकारी)	3	—	—
एन. पार्थसारथी (01.10.2007 (पू.) से 30.09.2010 (अ.) तक पद पर रहे। कार्यकाल पूरा होने पर पदमुक्त हुए।	अंशकालीन (स्वतंत्र)	शून्य	1	शून्य
मदन लाल (23.04.2007 (पू.) से 31.12.2010 (अ) तक पद पर रहे। अधिवार्षिता पर पदमुक्त हुए।	निदेशक निर्माण-पूर्णकालीन	1	शून्य	1

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध में नहीं होगा। केवल दो अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों (अध्यक्ष सहित) में जो प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी होंगे और इस प्रकार सूचीकरण करार के खंड-49 (I)(क)(ii) के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रमोटरों से संबंधित हैं। चूंकि अंशकालीन निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्त सरकार द्वारा की जाती है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के खंड-255 से 257 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक आम बैठक के नोटिस में मद को रखना सभंव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है। निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वास्तविक सेवानिवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 255 से 257 लागू नहीं होती है। सरकार कंपनी की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी पर अधिकार नहीं रखती है।

कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान न तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और न ही कोई प्रोस्पैक्टस जारी किया है।

3.1 अंशकालीन/पूर्णकालीन निदेशक के रुप में बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

(i) श्री आदित्य प्रकाश मिश्रा, अध्यक्ष, इरकॉन
(27.10.2010 (पूर्वाह्न) से)

इनका जन्म 03.01.1953 को हुआ और इन्होंने वर्ष 1973 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक के तत्काल पश्चात इन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्य किया। इन्होंने दिनांक 01.10.1975 को भारतीय रेल में अपना कार्यभार ग्रहण किया।

इन्हें रेल पथ आधुनिकीकरण, राजधानी मार्ग के अनुरक्षण की देखरेख आदि सहित भारतीय रेल में विभिन्न क्षमताओं पर कार्य का 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने राइट्स लिमिटेड के माध्यम से सेकेन्डमेंट पर अल्जीरिया में विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया था।

इन्होंने वर्ष 2002-03 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर परियोजना निदेशक, मलेशिया के रुप में भी कार्य किया था। वर्तमान में, ये 08.10.2000 से सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड के रुप में कार्यरत हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी 26.10.2010 के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार श्री मिश्रा 27.10.2010 से इरकॉन के अंशकालीन अध्यक्ष हैं।

(ii) **श्री गुडा वेंटकप्पा राव**
(08.10.2010 (पूर्वाह्न) से)

डॉ0 जी.वी. राव, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में सिविल इंजीनियरिंग के अवैतनिक प्रोफेसर थे और उन्होंने रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 17.09.2010 के राष्ट्रपति आदेश के अंतर्गत 08.10.2010 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में इरकॉन के निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण किया है।

इनका जन्म 18.05.1945 को हुआ और इन्होंने वर्ष 1962 में आंध्र विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री, वर्ष 1965 में बीआईटी, पिलानी से बी.ई. (सिविल); 1968 में आई.आई.एससी, बंगलुरु से एम.ई. तथा 1973 में आई.आई.एससी., बंगलुरु से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉ0 राव ने वर्ष 1975 में आई.आई.टी. दिल्ली से अपना करियर आरंभ किया और वे 1985 में अपने विभाग के सबसे युवा प्रोफेसर बने। इन्हें अध्यापन, अनुसंधान एवं विकास, परामर्श के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

डॉ0 राव ने गुणवत्ता परीक्षण तथा मानकीकरण के लिए प्रथम तथा अपनी किस्म की एकमात्र जीओसिंथेटिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय फैब्रिक संघ (आईएफएआई) द्वारा व्यक्तियों का एक विश्वव्यापी संकलन '142 नेम्स जीओ' में भाग लेने वाले यह एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने जीओसिंथेटिक एरिना को प्रभावित किया और निरंतर प्रभावित कर रहे हैं।

डॉ0 राव एनएचएआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एचसीसी आदि की टर्नकी परियोनाओं के लिए अग्रणी परामर्शदाता हैं। ये पर्यावरण संबंधी मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख सलाहकार तथा गुणवत्ता नियंत्रण के मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख सलाहकार हैं।

डॉ0 राव ने 200 से अधिक अनुसंधान लेखों के अतिरिक्त 10 संदर्भ पुस्तकें, अनेक मानक पाठ्यक्रम पुस्तकें तथा मैनुअलों का लेखन कार्य किया है। इन्होंने 100 से अधिक एम टेक शोध निबंधों तथा 20 पीएचडी थीसिस को गाइड किया है। ये संपूर्ण देश भर में भू-सुधार, जीओ सिंथेटिक्स के कार्य में शामिल हैं। इन्हें जल संसाधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीबीआईपी - जवाहरलाल नेहरु जन्म शताब्दी पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय जीओ सिंथेटिक सोसाइटी - नेतृत्व तथा अभिज्ञान पुरस्कार (2008) सहित 25 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

डॉ0 राव ने आईआईटी, दिल्ली में परिवहन इंजीनियरिंग पर प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम विकसित तथा आरंभ किया है।

वर्तमान में इनके ध्यानाकर्षण का केन्द्र सड़कों के लिए नये प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण सड़कों के लिए जूट/क्वायर जीओ टेक्सटाइल तथा लाइन-फ्लाई ऐश स्टेब्लाइजेशन, फ्लाई ऐश, ऐश पॉंड, स्वच्छता तथा हानिकारक अपशिष्ट क्षेत्रों, सड़क निर्माण कार्यों, पुलों तथा फ्लाईओवरों के लिए तीसरा पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण है।

(iii) **श्री बंदकोडीगेहल्ली नारासप्पा राजशेखर**
(25.10.2010 (पूर्वाह्न) से)

इनका जन्म 09.08.1953 को हुआ और इन्होंने 1973 में बंगलुरु विश्वविद्यालय से बी.ई. (मैकेनिकल) और वर्ष 1975 में भारतीय विज्ञान संस्थान से एम.ई. की डिग्री प्राप्त की है। ये 1974 बैच के भारतीय रेल सेवा के यांत्रिक इंजीनियर (आईआरएसएमई) के अधिकारी हैं जिन्होंने अक्तूबर, 1975 में भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण किया।

इन्हें भारतीय रेल में विभिन्न पदों पर कार्य का 35 वर्ष से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। एक प्रमुख कर निर्धारक के रुप में योग्यता प्राप्त करने के अतिरिक्त इन्होंने पहिया व धुरा संयंत्र (डब्ल्यूएपी) के आईएसओ : 9001 प्रमाणन, रेल पहिया एवं धुरा के लिए समवर्ती नयाचार को तैयार करने, डब्ल्यूएपी में समवर्ती 2 उत्पाद कास्टिंग की पद्धति आरंभ करने, बी.जी. ट्रालियों पर एम.जी. कोचों को कारखाने तक पारवहन के लिए सृजनात्मक तकनीकों को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ये रेल कोच फैक्ट्री के अभिकल्प तथा विकास गतिविधियों, वेंडर विकास, मूल्यांकन आदि के साथ-साथ इंजनों तथा अन्य चल स्टॉक के अनुरक्षण, कारखानों की कार्यप्रणाली, दुर्घटना के दौरान प्रचालन बहाली तथा बचाव प्रबंधन, संवर्ग प्रबंधन तथा सामान्य प्रचालन के लिए उत्तरदायी थी। इन्होंने मॉडल रैक रिफर्निसिंग संविदा को भी अंतिम रुप दिया। मुख्य कार्मिक अधिकारी, दक्षिण रेल के रुप में अपने कार्यकाल के दौरान ये कार्मिक संबंधी मामलों तथा औद्योगिक संबंधों के लिए उत्तरदायी थे।

श्री राजशेखर दिनांक 18.10.2010 से रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य (योजना) के पद पर कार्यरत हैं और रेलवे बोर्ड में नियोजन तथा निवेश निर्णयों के लिए उत्तरदायी हैं। श्री राजशेखर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी 18.10.2010 के अपने राष्ट्रपति आदेशों के अंतर्गत दिनांक 25.10.2010 से अंशकालीन निदेशक (कार्यालय) के पद पर कार्यरत हैं।

(iv) **श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना, इरकॉन**
(16.04.2010 (पू) से)

श्री दीपक सबलोक का जन्म 31.10.1959 को हुआ तथा वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भोपाल से बी.ई. (सिविल) (ऑनर्स) में स्वर्ण पदक विजेता हैं और वे भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) के 1982 बैच के अधिकारी हैं। भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने 1-1/2 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सिविल इंजीनियरिंग स्कंध में सहायक इंजीनियर (सिविल) पर कार्य किया। इन्होंने 16.06.1984 को भारतीय रेल में पदभार ग्रहण किया। इन्हें रेल निर्माण तथा संविदा प्रबंधन, तथा रेलपथ अनुरक्षण तथा अनुषंगी कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में 26 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे प्रतिष्ठित रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला के निर्माण चरण के दौरान इससे सक्रिय रूप से संबंधित थे।

इन्होंने प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन में लगभग 5-1/2 वर्षों के लिए महाप्रबंधक (निर्माण) तथा महाप्रबंधक (विपणन) (फरवरी, 2003 से अक्तूबर, 2008 तक) के पद पर कार्य किया। इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने इरकॉन के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों का समन्वय कार्य किया और वे घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के उत्तरदायी रहे। वे निगमित कार्यालय में इरकॉन के परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली कक्ष के प्रमुख भी रहे। 16 अप्रैल, 2010 को इरकॉन में निदेशक परियोजना के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे दक्षिण पूर्वी रेल में मुख्य इंजीनियर (रेलपथ मशीन) के पद पर कार्यरत थे।

(v) **श्री हितेश खन्ना, निदेशक, निर्माण कार्य, इरकॉन**
(07.03.2011 (पू) से)

इनका जन्म 07.10.1959 को हुआ और इन्होंने वर्ष 1981 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बी.एससी (सिविल इंजीनियरिंग) में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की और ये 1981 बैच के भारतीय रेल इंजीनियर सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं। वर्ष 1983 में भारतीय रेल में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने 2 वर्ष के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी कार्य किया था।

अपने 30 वर्ष लंबे कार्यकाल के दौरान इन्होंने 20 वर्षों के लिए भारतीय रेल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। इस अवधि के दौरान वर्ष 1995 में इन्होंने ट्रांसमार्क, डर्बी, यू.के. में 'रेल पथ मशीनों का अनुरक्षण तथा ओवरहॉलिंग' विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और संगोष्ठियों में अनेक तकनीकी लेख प्रस्तुत किए हैं। इन्हें महाप्रबंधक पुरस्कार (अप्रैल, 1997 में) तथा के.सी. सूद मेमोरियल पदक (जनवरी, 1999) प्राप्त हैं। इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में आधुनिक रेल पथ प्रौद्योगिकी सहित रेल पथ अनुरक्षण, नवीकरण तथा निर्माण के क्षेत्र शामिल हैं।

इन्होंने मार्च, 2003 में महाप्रबंधक के रुप में प्रतिनियुक्ति आधार पर इरकॉन में अपना कार्यभार ग्रहण किया और इन्हें नवम्बर, 2007 तक मलेशिया में महाप्रबंधक/अभिकल्प का कार्यभार सौंपा, जहां उन्होंने मलेशिया में एक बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सबसे बड़े रेल पथ परियोजना को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने फरवरी, 2007 में इरकॉन में आमेलन प्राप्त किया और नवम्बर, 2007 में इन्हें कार्यपालक निदेशक/जम्मू-कश्मीर के पद पर पदोन्नत किया गया। कार्यपालक निदेशक/जम्मू और कश्मीर के अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीर घाटी में 2600 करोड़ रुपए की काजीगुंडा-बारामूला रेल संपर्क परियोजना आरंभ की गई थी। ये धरम काजीगुंडा रेल लिंक, इरकॉन का भाग कटरा-काजीगुंडा रेल संपर्क परियोजना के लिए समन्वयकर्ता भी थे और इस परियोजना की अनुमानित लागत 5600 करोड़ रुपए थी।

कार्यपालक निदेशक/निर्माण (17.05.2010 से 06.03.2011 तक) के रुप में इनका उत्तरदायित्व मलेशिया में इरकॉन की दोहरी रेल पथ परियोजना तथा गंगा नदी के ऊपर प्रमुख रेल-सह-सड़क पुल, सड़क निर्माण कार्य, तथा बिहार राज्य में सड़क ऊपरी पुल सहित भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में सिविल कार्यों की निगरानी की थी। इन्होंने 07.03.2011 को निदेशक, निर्माण के रुप में कार्यभार ग्रहण किया।

(vi) **श्री राकेश चोपड़ा, अध्यक्ष, इरकॉन**
(11.06.2010 (पू) से)

श्री राकेश चोपड़ा का जन्म 21.09.1950 को हुआ तथा ये 1973 बैच के आईआरएफई अधिकारी हैं। इन्होंने 1971 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग); 1973 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से एम.टेक (स्ट्रक्चर); 1992 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एम.फिल (सामाजिक विज्ञान); तथा 1992 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से मास्टर डिप्लोमा (लोक प्रशासन) की शिक्षा ग्रहण की।

इन्हें भारतीय रेल में 37 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त है जिसमें न केवल इंजीनियरिंग क्षेत्र शामिल हैं बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र भी शामिल हैं।

अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2010 तक सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड तथा पदेन सचिव, भारत सरकार के पद पर प्रशासनिक अनुभवों में भारतीय रेल के लिए समग्र इंजीनियरिंग गतिविधियां, भूमि प्रबंधन आदि तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय

परियोजनाओं साहित अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्यक्रम निर्धारण, बजटिंग, नीति निर्धारण तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग शामिल हैं। वे 11.06.2010 से 30.09.2010 से इरकॉन के अंशकालीन निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10 बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रुप में अंशकालीन (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। इस प्राधिकार का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल ने 26 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 10,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।.

4.1 2010-11 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(₹ में)

क्र. सं0	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन*	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस/ कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	श्री मोहन तिवारी प्रबंध निदेशक (2010-11 में वर्ष भर)	18,48,409	4,90,545	8,60,578	1,67,182	-	-	33,66,715
2	श्री मदन लाल निदेशक निर्माण (31.12.2010 तक)	14,32,092	7,74,399	6,27,074	10,08,609	-	-	38,42,174**
3	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त (2010-11 में वर्ष भर)	17,18,863	2,81,436	3,475	1,49,642	-	-	21,53,416
4	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (16.04.2010 से)	14,36,302	2,52,826	-	1,30,293	-	-	18,19,421
5	श्री हितेश खन्ना, निदेशक निर्माण (07.03.2011 से)	1,26,922	17,366	-	10,486	-	-	1,54,774

**वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 से संबंधित*

***इसमें भविष्य निधि से भुगतान के ₹ 24,26,111 शामिल नहीं हैं।*

4.2 वर्ष 2010-11 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

(₹ में)

क्रम सं0	अंशकालीन स्वतंत्र निदेशक/ गैर सरकारी निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1	श्री आर. सुब्रमणयन (28.06.2010 तक)	20,000	20,000	40,000
2	श्री एन. पार्थसारथी (30.09.2010 तक)	40,000	30,000	70,000
3	डॉ0 जी.वी. राव (08.10.2010 से)	40,000	30,000	70,000

5. मंडल (बोर्ड) की कार्यप्रणाली

वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल ने 06 अप्रैल 2010, 30 अप्रैल 2010, 30 जुलाई, 2010, 06 अगस्त, 2010, 02 नवम्बर, 2010, 30 दिसम्बर, 2010, 03 फरवरी 2011 तथा 24 मार्च, 2011 को 8 बैठकों में भाग लिया।

कंम्पनी अधिनियम की धारा 283 (1) (छ) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

निदेशक	2010-11 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्याकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
एस.एस. खुराना	2	2	लागू नहीं
राकेश चोपड़ा	2	2	नहीं
ए.पी. मिश्रा	4	2	लागू नहीं
मोहन तिवारी	8	8	हां
मदन लाल	6	6	हां
हितेश खन्ना	1	शून्य	लागू नहीं
के.के. गर्ग	8	8	हां
दीपक सबलोक	7	7	हां
आर. सुब्रमणयन	2	2	लागू नहीं
एन पार्थसारथी	4	4	हां
जी.वी. राव	4	4	लागू नहीं
ए.के. तिवारी	4	3	लागू नहीं
बी.एन. राजशेखर	4	3	लागू नहीं

सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) ने 2010-11 में आयोजित सभी बोर्ड बैठकों में भाग लिया।

6. कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रंबधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य (खण्ड 491 (डी))

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशकों, अपर महाप्रबंधक व उपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहित तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी तथा इन्हें वेबसाइट www.ircon.org में भी शामिल किया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित घोषणा संलग्नक सी-1 पर उपलब्ध है।

7. लेखापरीक्षा समिति

7.1 सन्दर्भ शर्तें

निदेशक मंडल के निर्धारितानुसार तथा सूत्रीकरण करार के खण्ड 49 (ii) (घ) तथा (ड.) में उल्लिखित भूमिका के अनुसार लेखपरीक्षा समिति के सामान्य विचारार्थ विषय निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हैं :-

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।

2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से-

   क) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन व इसके कारण।

   ख) वित्तीय विवरणों से संबधित सूचीकरण एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।

   ग) लेखांकन मानकों तथा निदेशक की रिपोर्ट के प्रकटीकरण के अनुपालन से संबंधित मुद्दे।

   घ) संबंधित पक्षों के संव्यवहार।

   ड) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

6) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7) सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, प्रतिस्थापन, आदि तथा लेखापरीक्षकों द्वारा किन्हीं अन्य अनुमेय सेवाओं के लिए शुल्क की स्वीकृति सहित उनके लेखापरीक्षा शुल्क की सिफारिशों की समीक्षा करना।

8) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एंव पारिश्रमिक की समीक्षा।

9) जोखिम आकलन तथा जोखिम कम करने, आदि के संबंध में जोखिम नीति और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक लेखों की स्वीकृति दिए जाने से पूर्व खण्ड 49 ii (घ) तथा (ड.) अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा की।

7.2 लेखापरीक्षा समिति - वर्ष 2010-11 के दौरान गठन व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखापरीक्षा समिति का गठन मूलत: 28.4.2000 को कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुनस्थापना की जाती है।

जून, 2010 तथा सितम्बर, 2010 (अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति भी) में दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात केवल एक शेष स्वतंत्र निदेशक (अक्तूबर, 2010 को नियुक्त) की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रुप में एक अंशकालीन (सरकारी) निदेशक, तथा एक पूर्णकालीन निदेशक हैं। सरकार द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक सूचीकरण करार के खंड-49 के पूर्ण अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सकता है। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

श्री जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री बी.एन. राजशेखर, अंशकालीन सरकारी निदेशक	-	सदस्य
श्री मोहन तिवारी, प्रबंध निदेशक	-	सदस्य

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 29 अप्रैल, 2010, 05 अगस्त, 2010, 02 नवम्बर, 2010, 03 फरवरी, 2011 को लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित हुईं।

वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
आर सुब्रमणयन	अध्यक्ष	1	1
एन पार्थासारथी	सदस्य	2	2
जी वी राव	अध्यक्ष	2	2
ए के तिवारी	सदस्य	2	शून्य
बी एन राजशेखर	सदस्य	2	1
मोहन तिवारी	सदस्य	3	3

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) समिति की सचिव हैं और इन्होंने वर्ष 2010-11 के दौरान सभी बैठकों में भाग लिया है।

8. पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय-पे पुल तथा कार्यपालकों व गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए नीति का निर्धारण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों के खंड-5.1 का अनुसरण करते हुए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। इसमें एक स्वतंत्र निदेशक (समिति के अध्यक्ष) तथा सदस्य के रुप में दो अंशकालीन (सरकारी) निदेशक हैं। समिति का वर्तमान स्वरुप इस प्रकार है:

श्री जी.वी. राव, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री ए.पी. मिश्रा, अंशकालीन (सरकारी) अध्यक्ष - सदस्य

श्री बी.एन. राजशेखर, अंशकालीन सरकारी निदेशक - सदस्य

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पारिश्रमिक समिति की केवल 1 बैठक 30 दिसम्बर, 2010 को आयोजित की गई थीं।

वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (उनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकों में भाग लिया
श्री जी.वी. राव	अध्यक्ष	1	1
श्री ए.पी. मिश्रा	सदस्य	1	शून्य
श्री बी.एन. राजशेखर	सदस्य	1	1

कम्पनी सचिव सुश्री ललिता गुप्ता एवं महाप्रबंधक (विधि) पारिश्रमिक समिति की सचिव हैं और उन्होंने वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित उक्त बैठक में भाग लिया।

9. शेयरधारक शिकायत समिति

कम्पनी ने 6 जून 2001 को निदेशकों की एक शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निदेशकों के पदों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है :-

श्री बी.एन. राजशेखर, अंशकालीन सरकारी निदेशक अध्यक्ष

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त सदस्य

श्री दीपक सभलोक, निदेशक परियोजना सदस्य

सुश्री ललिता गुप्ता, कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) अनुपालन अधिकारी हैं। अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा हस्तांतरण के लिए कोई शेयर लंबित नहीं है।

10. सहायक कंपनी

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल), इरकॉन की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था तथा कम्पनी का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं, अवसंरचना निर्माण कार्य, भारतीय रेल के लिए बहु उद्देशीय परियोजनाओं, रियल इस्टेट संबंधी विषयों और सहायक क्षेत्रों में कार्य करना है। यह चूकीकरण करार के खंड 49(III) के अनुसार "सामग्रीगत गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी" नहीं है।

इरकॉन आईएसएल द्वारा सभी महत्वपूर्ण समव्यवहारों तथा व्यवस्थाओं के विवरण सहित इरकॉन आईएसएल के निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त, अध्यक्ष द्वारा विधिवत रुप से स्वीकृत तथा हस्ताक्षरित, इरकॉन के निदेशक मंडल के समक्ष तत्काल रखा गया है।

11. वार्षिक आम बैठक

क. आयोजित की गई अंतिम 3(तीन) वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान
2009-10	22 सितम्बर 2010	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2008-09	4 सितम्बर 2009	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2007-08	17 सितम्बर 2008	5 बजे अपराह्न	कपंनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

ग. सेबी (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियमन, 2009 के अनुपालन तथा संगत स्टॉक एक्सचेंजों की स्वीकृति के मद्देनजर प्रमोटर (रेल मंत्रालय) के कहने पर दिल्ली तथा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज से इरकॉन के इक्विटी शेयरों के विसूचीकरण के प्रस्ताव के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से एक विशेष संकल्प पारित किया गया था।

कंपनी (पोस्टल बैलेट द्वारा संकल्प को पारित करना) नियम, 2001 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192क तथा सेबी (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियमन, 2009 के विनियम 8(1) (ख) के अनुसरण में दिनांक 20.08.2010 का पोस्टल बैलेट नोटिस सभी शेयरधारकों को जारी किया गया था।

22 सितम्बर, 2010 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में संवीक्षक रिपोर्ट के आधार पर विशेष संकल्प जारी किया गया था।

मतदान के पैटर्न से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है :

विवरण	पोस्टल बैलेट फार्मों की संख्या	वोटों की संख्या (इक्विटी शेयर)	मान्य वोटों का प्रतिशत
प्राप्त मान्य पोस्टल बैलेट फार्मों की संख्या	12	9897800	100
संकल्प के पक्ष में वोट	12	9897800	100
संकल्प के विरोध में वोट	शून्य	शून्य	0
प्राप्त मान्य पोस्टल बैलेट फॉर्मों की संख्या	शून्य	शून्य	0

घ. कंपनी ने मैसर्स एम. बांगिया एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के पूर्णकालीन सेवारत कंपनी सचिव श्री मनोज बांगिया को पोस्टल बैलेट के उद्देश्य से संवीक्षक नियुक्त किया गया था।

ड. कंपनी ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया आयोजित करने के लिए कंपनी (पोस्टल बैलेट द्वारा संकल्प को पारित करना) नियम, 2010 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192क के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

च. आगामी वार्षिक आम बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

12. प्रकटन

क. सूचीकरण करार के खण्ड 49 iV (ए) के अधीन ऐसे भौतिक प्रकृति के संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे, जिसका कम्पनी के हित में संभाव्य विरोध था।

ख. कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीटयूट ऑफ एकाउंटेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। इराक देय राशियों पर संचित ब्याज तथा ब्याज और बैंक-टू-बैंक आधार पर उप ठेकेदार के ब्याज के लिए प्रावधान का संबंध है, इसे लेखांकन मानक 1 के अनुसार भारत सरकार के साथ अंतिम समायोजन दर (यथा 1 अमेरीकी डालर = 35.802 रूपए) के रूप में अनुदित किया गया है ना कि लेखांकन मानक 11 के अनुसार 31 मार्च 2010 को बन्द होने वाली मुद्रा दर पर। यह टिप्पणी कम्पनी के लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट के पैरा 4 (ए) में की गई। कम्पनी यह परम्परागत पद्धति लम्बे समय से लम्बित देयों की उगाही के समय के संबंध में अनिश्चितता के दृष्टिगत मामले के सच्चे व सही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इस पर एक स्ववर्णित नोट के अन्तर्गत अनुसूची ट के पैरा 12 में लेखा नोट के भाग के रूप में तथा "प्रचालन निष्पादन" (पैरा ज) उप-शीर्षक के अन्तर्गत निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है ।

ग. कम्पनी हर तिमाही में बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबधित जोखिमों के सबंध में सूचित करती है। वर्तमान प्रबंधन ढाँचे में शामिल है:-

परामर्शदाता, क्रिसिल द्वारा तैयार एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (आरएमएफ) अगस्त, 2007 से विद्यमान है। जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कंपनी में दो स्तरीय दल भी हैं- जोखिम प्रबंधन समिति जिसमें पूर्णकालीन निदेशक हैं तथा त्वरित कार्यदल (आरएी) जिसमें कंपनी के कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर के नीचे) हैं।

त्वरित कार्यदल तथा ोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियायें तथा चुनिंदा परियोजनाओं के लिए एमआईएस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए हैं। ऑडिट समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में इनकी समीक्षा की जाती है तथा इन्हें सुचारु बनाया जाता है। कुछ विवरण जोखिम तथा चिंता' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विवरण तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी एक अनुपूरक विसल ब्लोअर नीति के साथ धोखाधड़ी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

घ लेखा परीक्षा समिति के किसी कार्मिक को सहयोग प्रदान न करने का अभी तक कोई प्रश्न नहीं उठा है।

ड. किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

च. प्रबंधन : प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के उस व्यावसायिक वातावरण को स्पष्ट करती है जिसमें कम्पनी प्रचालन करती है, उसके विजन, लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्रचालन निष्पादन, शक्तियाँ व अवसर बाधाएं, जोखिम, नीति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, मानव संसाधन को निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

छ. कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिए गए विवरण तथा लेखों संबंधी नोट के अनुसूची-आर के पैरा 10 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

ज कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालयों व्ययों का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारणों को नीचे दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	वृद्धि के कारण
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय	59.79	61.42	
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	12.43	14.15	
कुल व्यय	2952.91	2852.90	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय	2.02%	2.15%	इसमें वृद्धि आंशिक है और यह वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष के दौरान टर्नओवर तथा इन्फ्लेशन में वृद्धि के कारण है।
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय	0.42%	0.50%	

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त विभाग के कार्यकारी प्रमुख द्वारा खण्ड-49(V) के उप खण्ड (क) से (घ) के अनुपालन को लिखित रूप में प्रमाणित करते हैं जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है (यह रिपोर्ट में संलग्नक-सी-2 पर उपलब्ध है)

14. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

सम्प्रेषण के माध्यम

- त्रैमासिक परिणाम प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों यथा-हिन्दुस्तान टाइम्स/एक्सप्रेस ग्रुप (अंग्रेजी) तथा हिन्दुस्तान/जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किए जाते है। खंड-49 iv जी (ii) के अनुसार लेखापरीक्षित वार्षिक परिणामों के साथ-साथ अलेखापरीक्षित तिमाही परिणामों को कंपनी के वेबसाइट www.ircon.org पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
- कम्पनी के शेयरधारण पैटर्न को भी कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।
- खण्ड 47 (च) के अनुसार अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आई डी वेबसाइट में "इन्वेस्टर कार्नर" शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता लाई जा सके।

35वीं वार्षिक आम बैठक

तारीख : 27 सितम्बर, 2011

समय: शाम 5.00 बजे

स्थान: कम्पनी के सम्मेलन कक्ष, पंजीकृत कार्यालय: प्लाट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110007

वित्त वर्ष 2010-11 से संबधित विषयों के अनुमोदन के लिए वास्तविक कैलेंडर :

पहली तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	06 अगस्त, 2010
दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	02 नवम्बर, 2010
तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	03 फरवरी, 2011
चौथी तिमाही तथा वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	10 मई, 2011
निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन	10 अगस्त, 2011
शेयरधारकों द्वारा वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करना	27 सितम्बर, 2011

सामान्य रूप में वित्तीय कैलेंडर :

पहली तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	14 अगस्त तक या उससे पूर्व
दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	14 नवम्बर तक या उससे पूर्व
तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	14 फरवरी तक या उससे पूर्व
चौथी तिमाही तथा वर्ष के लिए रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	15 मई तक या उससे पूर्व
निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट (अलेखापरीक्षित)	15 अगस्त तक या उससे पूर्व
शेयरधारकों द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करना	30 सितम्बर तक या उससे पूर्व

बही बंद करने की तारीखें

सदस्यों का रजिस्टर तथा स्थानांतरण बही **22.09.2011 से 27.09.2011** (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद रहेगी।

लाभांश अदायगी की तारीख

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कम्पनी ने अपने को ₹ 9.898 करोड़ (₹ 10 प्रति के 98,98,000 इक्विटी शेयर) की प्रदत्त शेयर पूंजी के ₹ 26 प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। ₹ 24 प्रति शेयर की दर से निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2010-11 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान मंगलवार, 27 सितम्बर, 2011 को होने वाली वार्षिक आम सभा में घोषित किए जाने पर की जाने की आशा है। वर्ष के लिए कुल लाभांश ₹ 49.49 करोड़ है।

शेयर बाजारों पर सूचीकरण

1 मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई-400001.

2. दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोशिएशन लिमिटेड
डीएसई हाउस, 3/1, आसफ अली रोड़,
नई दिल्ली -110002.

शेयरों को न तो उद्धत किया गया और न ही उनका लेन-देन किया गया। अद्यतन सूचीकरण फीस अदा कर दी गई है।

कम्पनी का स्टॉक कूट (कोड)

शेयर बाजार	स्टॉक कूट
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	523596
दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	09048

शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति व सरकारी नामितों के नाम पर केन्द्र सरकार को	98,71,200	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	24,400	0.247%
बैंक आफ इंडिया	2,400	0.024%
कुल	**98,98,000**	**100.000%**

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कंपनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के 15 से अधिक राज्यों तथा 7 देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां नियंत्रण हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की बेवसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

पंजीकृत कार्यालय (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) के साथ पत्राचार का पता निम्न है :

कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली-110007
टेलीफोन: 91-11-26545265/26530456
फैक्स :91-11-26522000/26854000
ई-मेल :lalitha.gupta@ircon.org

15. गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं-सूचीकरण करार का अनुलग्नक 1 डी

1. **बोर्ड :** निदेशकों का कार्यकाल एवं पूर्णकालिक निदेशकों के वेतनमान सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कम्पनी का अंशकालीन अध्यक्ष एक सरकारी अधिकारी होता है। बहरहाल, कंपनी के पास अध्यक्ष तथा अन्य अंशकालीन निदेशकों के प्रयोग हेतु प्रत्येक के लिए एक कक्ष निर्धारित है।

2. **शेयरधारकों को सूचना :** वार्षिक आम बैठक से पूर्व शेयर धारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने के अतिरिक्त पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय कार्य निष्पादन के लक्ष्यों सहित कम्पनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिर्पोट प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार (कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी की 99.729% की शेयरधारक) को भेजी जाती हैं।

3. **अपात्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट:** कंपनी अपात्र वित्तीय विवरणों के कार्यकाल की ओर बढ़ रही है। 2004-05 से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हुई है।

4. **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :** सामान्य पद्धति के अनुसार निदेशक के बोर्ड में शामिल होने पर उन्हें दस्तावेजों/बुकलेट का एक सेट उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कम्पनी का ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अद्यतन अलेखापरीक्षित वितीय परिणाम तथा एम ओ यू लक्ष्य व उपलब्धियां, सहयोग ज्ञापन, सहयोग अनुच्छेद, सूचीकरण करार के खण्ड 49 सहित कॉर्पोरेट शासन प्रावधान "मूल्य व शासन पर एक पत्र (सीवीसी द्वारा परिदृश्य)" निदेशकों के कर्तव्य, अधिकार, भूमिका दायित्वों पर बुकलेट सहित कंपनी के संबंध में आंकडे उपलब्ध होते हैं। जब स्वतंत्र निदेशकों के सभी रिक्त पद भर जायेंगे तब निदेशकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है। जब कभी स्कोप कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो निदेशकों को उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।

   स्वतंत्र निदेशकों ने स्वतंत्र निदेशकों पर वे विशेष ध्यान देने के लिए सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों व निदेशकों हेतु निगमित शासन पर हैदराबाद में 28 तथा 29 जून, 2011 को स्कोप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया।

5. **बोर्ड के सदस्यों का मूल्यांकन :** बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने तक अंशकालीन निदेशकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की कार्यविधि को स्थगित रखा गया है।

6. **विसिल ब्लोवर नीति :** कंपनी ने अभी तक ऐसी नीति नहीं बनाई है।

7. **पारिश्रमिक समिति:** इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट के पैरा-8 पर उपलब्ध है।

16. अनुपालन प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है। इसमें खण्ड 49 के संलग्नक 1 सी में विनिर्दिष्ट के रूप में सुझाई गई मदें शामिल हैं। गैर-आज्ञापक, जैसा कि खण्ड 49 के संलग्नक 1 डी में विनिर्दिष्ट किया है, को भी उस स्तर तक रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिस स्तर तक इसे कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है। खण्ड 49 द्वारा अपेक्षितानुसार विभिन्न मुद्दों पर सूचना निदेशक मंडल के समक्ष हर तिमाही में रखी जाती है। खण्ड 49 में निर्धारितानुसार कार्पेरेट शासन आवश्यकताओं सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिन के भीतर स्टाक एक्सचेंज को भेज दी जाती है। सूचीकरण करार के खण्ड 49 (vii) में अनुबंधित कार्पेरेट शासन की शर्तों का अनुपालन संबंधी प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक सी-3 पर उपलब्ध है। इस प्रमाण पत्र को कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों को अग्रेषित किया जाएगा।

संलग्नक - ख 1

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2011

संलग्नक - ख 2

प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय विवरणों एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

1. इन विवरणों में किसी प्रकार की सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है;
2. ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा नियमनों के अनुपालन में है ;
3. हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाघड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लघंन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है;
4. हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लखेापरीक्षा समिति को बताया है और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों जिनके बारे में हम जानते हैं;
5. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति के साथ इन विषयों पर विचार विमर्श किया
   (क) वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण पर महत्वपूर्ण परिवर्तन/संभावित परिवर्तन;
   (ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में भी प्रकट किया गया है;
6 हमारी जानकारी में किसी बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10.08.2011

अनुलग्न - ख 3

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

टेली : 91-11-4162 5462
टेली फैक्स : 91-11-2644 9882
मोबाइल : 98102-26246
ई-मेल : m_bangia@hotmail.com
बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV
नई दिल्ली-110 024

सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,

नई दिल्ली,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में दिल्ली तथा मुम्बई शेयर बाजारों के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में निर्धारितानुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिर्पोट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एंव दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते है कि कंपनी ने तथ्यात्मक दृष्टि से उपर्युक्त सूचीकरण करार के खण्ड 49 में अनुबंधित कार्पोरेट शासन की सभी शर्तो का अनुपालन किया है तथा कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है, जो हमारी समझ से सरकार द्वारा की गई है तथा जो खण्ड 49 की आवश्यकताओं के अनुरूप व मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों की अनुरूप प्रगति पर है। 08 अक्तूबर, 2010 से केवल एक स्वतंत्र निदेशक कार्यरत हैं।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं0-3655

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10 अगस्त, 2011

अनुबंध ख-4
निगमित शासन रिपोर्ट का

निगमित शासन रिपोर्ट पर परिशिष्ट

वार्षिक साधारण बैठक की तारीख में परिवर्तन के परिणामस्वरुप निगमित शासन रिपोर्ट में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	मौजूदा	यथा संशोधित
1.	पैरा 14 " शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना"	
(i)	''35वीं वार्षिक साधारण बैठक तारीख : 27 सितंबर 2011 समय : शाम 5:00''	''35वीं वार्षिक साधारण बैठक तारीख : **20 सितंबर 2011** समय : **दोपहर 12:30** ''
(ii)	''वित्त वर्ष 2010-11 से संबंधित मुद्दों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वास्तविक कलैंडर : "शेयरधारकों द्वारा लेखापरीक्षित :27 सितम्बर, 2011 वार्षिक लेखों को स्वीकार किया जाना ''	'' वित्त वर्ष 2010-11 से संबंधित मुद्दों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए वास्तविक कलैंडर : "शेयरधारकों द्वारा लेखापरीक्षित : **20 सितम्बर, 2011** वार्षिक लेखों को स्वीकार किया ाना "
(iii)	''लाभांश भुगतान तारीख ...24 रुपए प्रति शेयर की दर से निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष" 2010-11 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान मंगलवार, 27 सितंबर 2011 को आयोाित होने वाली वार्षिक साधारण बैठक में इसकी घोषणा के पश्चात किए ाने की आशा है...."	''लाभांश भुगतान तारीख ...24 रुपए प्रति शेयर की दर से निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2010-11 के लिए अंतिम लाभांश का प्रेषण **मंगलवार, 20 सितंबर 2011** को आयोाित होने वाली वार्षिक साधारण बैठक में इसकी घोषणा के पश्चात **15 अक्तूबर 2011 को** या उसके पश्चात किन्तु **18 अक्तूबर 2011** से पूर्व किए ाने की आशा है...."

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

के.के. गर्ग
निदेशक वित

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09.09.2011

पुरस्कार और प्रमाण

संस्थान/प्राधिकरण से	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग	राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार * (भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया गया) 'उत्कृष्टता के लिए परस्कार' अग्रणीय कम्पनी अंतरराष्ट्रीय रेल एवं सड़क निर्माण कंपनी के रूप में निष्पादन हेतु	1982-83, 1983-84 1990-91 तथा 1992-93* 1987-88
पूर्व में ईईपीसी इंडिया इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) (प्रारम्भ से कुल 22 पुरस्कार)	1. निर्यात में उत्कृटता के लिए अखिल भारतीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड 2. क्षेत्रीय सर्वोच्च निर्यातक शील्ड सिविल इंजीनियरी संविदाकर्ता 3. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड 4. अधिकतम निर्यातों के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर-एसएसआई) 5. 'शीर्ष निर्यातकों' की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के लिए अखिल भारतीय शील्ड 6. परियोजना निर्यात के क्षेत्र में बड़े उद्यमी के रूप में उत्कृष्ट निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड 7. इंजीनियरिंग निर्यात में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यम स्तर के उद्यमों में सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों के लिए रजत ट्रॉफी 8. 'मर्चेंट निर्यातकों के रूप में शीर्ष निर्यातकों' की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों के लिए स्वर्ण ट्रॉफी 9. अखिल भारतीय निर्यातक पुरस्कार	1985-86 से 1992-93, 1994-95 तथा 1995-96 1993-94, 1996-97 1996-97 1997-98 1998-99 से 2001-02, 2003-04 व 2006-07 2004-05 2005-06 2007-08 2008-09
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद् (पीईपीसी) (पूर्वत भारतीय समुद्रपार निर्यात परिषद्)(ओसीसीआई) के नाम से प्रसिद्ध (प्रारम्भ से कुल 45 पुरस्कार)	1. विदेशों में निर्माण ठेकों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन 2. विदेशों में निर्माण ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन 3. विदेशों में निर्माण परियोजनाओं से सर्वाधिक टर्नओवर 4. विदेशी परियोजनाओं से लाभ अर्जन में द्वितीय सर्वश्रेष्ठ निष्पादन 5. निर्माण ठेकों के नए क्षेत्रों में सर्वाधिक विदेशी निर्माण कार्य प्राप्त करने हेतु 6. सर्वाधिक विदेशी व्यापार के प्रयास 7. विदेशों में सेवा ठेकों से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन 8. विदेशों में निर्माण व इंजीनियरिंग ठेकों से द्वितीय सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन व भारत में प्रत्यावर्तन	1984-85, 1988-89 से 1992-93, 1994-95, 1996-97, 1999-2000 2001-02 तथा 2003-04 1993-94, 2000-01, 2002-03 तथा 2004-05 1984-85 से 1988-89, 1991-92 से 1993-94 1995-96 1998-99, 2000-01 तथा 2001-02 1989-90, 1990-91, 1994-95 तथा 1999-2000 1994-95, 1995-96, 1999-2000 तथा 2000-01 1994-95 से 1997-98, 2001-2002 तथा 2003-04 2000-01 तथा 2002-03 2005-06 तथा 2006-07
कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड	'भारत की सर्वाधिक उत्कृष्ट निर्माण कंपनियों में से एक'	2008-09
एस्सार स्टील एवं ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेलवे श्रेणी में 'अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार'	2008-09
टीयूवी प्रबंधन सेवा जीएमबीएच, म्यूनिख, जर्मनी	रेलवे ट्रैक, राजमार्ग, पुलों, सुरंगों, कारखानों, विमान हैंगर, एमएस भवन, रेल विद्युतीकरण, एस एंड टी, निर्माण व परियोजना प्रबंधन व सेवा के लिए इरकॉन की गुणवत्ता प्रणाली के लिए आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणन	2008-11
दैनिक भास्कर तथा दैनिक समाचार विशलेषण (डी.एन.ए.) द्वारा स्थापित 'भातीय गौरव पुरूस्कार'	परिवहन के केन्द्रीय सा.क्षे.उ. में सर्वश्रेष्ठता हेतु रजत ट्रॉफी	2010

वित्तीय विशेषताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	923.55	809.40	792.24	1014.40	1112.79	1543.21	2093.11	2739.46	3216.91	3254.15
2	व्यय (स्टाक में कमी/वृद्धि सहित)	756.25	677.55	701.69	892.50	981.85	1407.98	1891.48	2507.61	2911.63	2815.99
3	प्रचालन मार्जिन	167.30	131.85	90.55	121.90	130.94	135.23	201.63	231.85	305.28	438.16
4	ब्याज व्यय	3.21	0.19	0.12	--	--	--	--	--	--	--
5	मूल्यह्रास	40.09	16.02	11.80	14.14	20.05	24.24	41.17	44.19	41.27	36.91
6	करपूर्व लाभ	127.21	115.83	78.75	107.76	110.89	110.99	160.47	187.66	264.01	401.25
7	करपश्चात् लाभ	103.70	87.06	61.61	88.83	80.66	75.69	113.80	140.18	182.18	240.51
8	लाभांश	17.32	18.81	18.81	20.29	25.74	25.74	29.69	29.69	36.62	49.49
9	विदेशी परियोजना निधि	66.57	60.57	57.57	44.48	44.28	33.10	30.40	27.90	2.90	--
10	सामान्य आरक्षित निधि	532.93	604.27	647.46	721.14	767.71	824.33	903.18	1011.62	1181.76	1372.41
11	अन्य आरक्षित निधि	1.70	2.20	2.35	7.15	7.41	7.15	5.45	25.32	4.80	--
12	आरक्षित तथा सरप्लस	601.20	667.04	707.38	772.77	819.40	864.58	939.03	1064.84	1189.46	1372.41
13	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	60.20	62.25	123.43	135.96	160.10	260.22	279.46	260.05	236.19	244.00
14	माल सूचियाँ	73.60	66.60	58.94	41.37	42.35	89.43	159.01	430.52	373.36	300.46
15	विदेशी मुद्रा आय	284.00	189.88	113.72	72.79	55.97	51.05	37.35	95.58	264.14	427.61
16	शेयर पूंजी	4.95	4.95	4.95	4.95	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
17	प्रयुक्त पूँजी	631.20	671.99	712.33	778.17	829.53	875.68	951.05	1078.05	1204.65	1382.31
18	सरकारी निवेश (इरकॉन द्वारा)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	निवल सम्पति	606.15	671.99	712.33	777.72	829.30	874.48	948.93	1074.74	1199.36	1382.31
20	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ' *	20.15	17.24	11.05	13.85	13.37	12.68	16.87	17.41	21.92	29.03
21	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालन मार्जिन *	26.51	19.62	12.71	15.67	15.78	15.44	21.20	21.51	25.34	31.70
22	शेयर पूंजी पर कर पश्चात् लाभ' *	2095.31	1759.04	1244.80	1794.93	814.93	764.73	1149.71	1416.27	1840.60	2429.39
23	आय पर व्यय'*	81.88	83.71	88.57	87.98	88.23	91.24	90.37	91.54	90.51	86.54
24	कर्मचारियों की संख्या'**	1797	1553	1609	1652	1723	1830	1978	1964	1751	1678
25	प्रति कर्मचारी आय	0.51	0.52	0.49	0.61	0.65	0.84	1.06	1.40	1.84	1.94
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय आय	0.16	0.12	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.15	0.25
27	वर्तमान अनुपात**	1.75	1.94	1.79	1.54	1.41	1.25	1.21	1.24	1.31	1.23
28	ऋण/इक्विटी अनुपात**	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	निवेश	65.73	65.58	122.41	200.11	213.29	234.38	245.57	234.50	129.94	185.37

टिप्पणी *20 से 23 प्रतिशत में

****24, 27 और 28 रूपए में नहीं हैं।**

बहु - उद्देश्यीय परिसर - निर्माणाधीन

ग्वालियर

हुबली

हरिद्वार

कन्नौर

उदयपुर

रायपुर

मदुरई

जबलपुर

वार्षिक लेखे
2010-11

विषय-सूची

तुलन पत्र

31 मार्च 2011 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	31मार्च 2011 को		31मार्च 2010 को	
निधियों का स्रोत					
शेयरधारकों की निधियां					
शेयर पूंजी	क	**9.90**		9.90	
आरक्षित निधियां और अधिशेष	ख	**1,372.41**	**1,382.31**	1,189.46	1,199.36
ऋण निधि					
संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में ऋण निधि में कंपनी का हिस्सा					5.29
कुल			**1,382.31**		1,204.65
निधियों का उपयोग					
स्थिर परिसंपतियां :					
सकल ब्लाक	ग	**517.93**		484.15	
घटाएं: मूल्यह्रास अब तक		**277.50**		256.76	
सकल ब्लाक		**240.43**		227.39	
घटाएं: मूल्यह्रास अब तक	घ	**1.77**		1.55	
मार्गस्थ मशीनरी		**-**		5.29	
संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में कंपनी का शेयर		**1.80**		1.96	
			244.00		236.19
निवेश	ड.		**185.37**		129.93
आस्थगित कर (निवल)	च-1 व 2		**131.06**		87.39
चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम					
माल सूचियां	च	**300.46**		373.36	
विविध देनदार	छ	**876.21**		470.72	
रोकड़ और बैंक शेष	ज	**2,036.24**		1,313.70	
अन्य चालू परिसंपतियां	झ	**78.39**		70.81	
ऋण एवं अग्रिम	ट	**1,079.04**		878.52	
संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में कंपनी का अनुपातिक शेयर		**46.29**		46.57	
		4,416.63		3,153.68	
घटाएं - चालू देयताएं प्रावधान					
देयताएं	ठ	**2,559.07**		1,767.83	
प्रावधान	ड	**1,000.98**		597.63	
संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में कम्पनी का आनुपातिक शेयर		**34.70**		37.08	
		3,594.75		2,402.54	
निवल चालू परिसंपत्तियां			**821.88**		751.14
कुल			**1,382.31**		1,204.65
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	ढ		--		--
लेखाओं पर टिप्पणियां	त				
अनुसूची 'क' से 'त' लेखाओं के अंग हैं ।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 2263एन

के.पी.वाही
साझेदार
सदस्यता सं 16164

ललिता गुप्ता
कम्पनी सचिव
एवं म.प्र.विधि

के के गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान नई दिल्ली
तारीख 10.08.2011

लाभ और हानि लेखा

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

((₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	2010-11	2009-10
आय :			
प्रचालन आय	ण	**3,167.89**	3,139.83
संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में आनुपातिक भाग		**7.44**	13.06
कुल प्रचालन आय		**3,175.33**	3,152.89
अन्य आय	ण	**78.82**	64.02
कुल आय		**3,254.15**	3,216.91
व्यय :			
प्रचालन व्यय	ण	**2,561.48**	2,777.21
प्रशासनिक और अन्य व्यय	ण	**61.42**	59.79
मूल्यह्रास	ग	**36.91**	41.27
प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	ठ	**190.11**	66.72
संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में कंपनी का शेयर		**0.83**	10.79
कुल व्यय		**2,850.75**	2,955.78
पूर्व अवधि समायोजन/असाधारण मदों के पूर्व लाभ		**403.40**	261.13
पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें	थ	**(2.15)**	2.87
कर-पूर्व लाभ		**401.25**	264.00
कर के लिए प्रावधान			
वर्तमान कर			
- वर्ष के लिए		**179.82**	108.70
- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		**24.59**	(0.75)
-आस्थगित कर (निवल)	ड-1 व 2	**(43.67)**	(26.13)
		160.74	81.82
कर पश्चात् लाभ		**240.51**	182.18
जोड़े : आवासीय परियोजनाएं आरक्षित पश्चलिखित		**4.80**	0.15
जोड़े : पश्चलिखित विदेशी परियोजना आरक्षित		**2.90**	25.00
निधि विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**248.21**	207.33
विनियोजन			
अंतरिम लाभांश		**25.73**	20.98
अंतरिम लाभांश पर कर		**4.28**	3.56
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		**23.76**	15.64
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर		**3.79**	2.66
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित शेष		**190.65**	164.49
आमदनियां प्रति शेयर-आधार व विलेचित (₹ में)		**242.99**	184.06

अनुसूची 'क' से 'त' लेखाओं के अंग हैं

हमारी समसख्यक रिपोर्ट कं अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 2263एन

के.पी.वाही
साझेदार
सदस्यता सं 16164

ललिता गुप्ता
कम्पनी सचिव
एवं म.प्र.विधि

के के गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान नई दिल्ली
तारीख 10.08.2011

अनुसूची 'क'

शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2011 को	31मार्च 2010 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10.	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
98,98,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10-पूर्णत प्रदत्त	**9.90**	9.90
कुल	**9.90**	9.90

अनुसूची 'ख'

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2011 को		31मार्च 2010 को	
सामान्य आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**1,181.76**		1,011.62	
जोड़े : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**190.65**		164.49	
जोड़े : विदेशी मुद्र उच्चावचन आरक्षित निधि से अंतरित	**-**		5.65	
		1,372.41		1,181.76
विदेशी विनिमय उच्चावन आरक्षित निधि				
अधिशेष			20.37	
वर्ष के दौरान जोड़			-	
घटाएँ : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित			5.65	
शेष विनियोजन लाभ में अंतरित		-	14.72	-
विदेशी परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**2.90**		27.90	
घटाएँ : लाभ हानि लेखे से अंतरित	**2.90**		25.00	
		-		2.90
आवास परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**4.80**		4.95	
घटाएँ : लाभ हानि लेखे से अंतरित	**4.80**		0.15	
		-		4.80
कुल		**1,372.41**		1,189.46

अनुसूची 'ग'

31 मार्च, 2011 को स्थिर परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.4.2010 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31.3.2011 को	31.3.2010 तक	वर्ष के लिए (नोट-4)	बिकी/ समायोजन	31.3.2011 तक	31.3.2011 तक	31.3.2010 तक
स्वामित्व भूमि	3.45	-	-	**3.45**	-	-	-	-	3.45	3.45
पट्टे की भूमि (1 व 6)	36.40	-	-	**36.40**	0.14	0.01	-	0.15	36.25	36.26
पट्टे के भवन (5)	41.35	0.27	(1.51)	**40.11**	3.37	0.75	(0.51)	3.61	36.50	37.98
पूर्णस्वामित्व भवन/ फ्लैट आवासीय	9.30	-	-	**9.30**	2.74	0.15	-	2.89	6.41	6.56
पूर्णस्वामित्व भवन/ फ्लैट गैर आवासीय	10.64	-	-	**10.64**	0.26	0.17	-	0.43	10.21	10.38
संयंत्र और मशीनरी (2 व 3)	324.81	49.46	(10.68)	**363.59**	204.23	29.96	(9.56)	224.63	138.96	120.58
सर्वेक्षण संयंत्र	4.67	0.16	(0.77)	**4.06**	3.91	0.33	(0.72)	3.52	0.54	0.76
कम्प्यूटर	11.71	0.76	(2.43)	**10.04**	9.28	1.53	(2.39)	8.42	1.62	2.43
कार्यालय उपस्कर	7.82	0.52	(1.00)	**7.34**	6.17	0.79	(0.91)	6.05	1.29	1.65
फर्नीचर, जुड़नार और फर्निशिंग	8.26	0.42	(1.20)	**7.48**	6.77	1.17	(1.19)	6.75	0.73	1.49
कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड	7.70	0.14	(0.74)	**7.10**	7.69	0.10	(0.74)	7.05	0.05	0.01
वाहन	18.06	1.23	(0.85)	**18.44**	12.20	2.56	(0.76)	14.00	4.44	5.86
चालू वर्ष का जोड़	**484.15**	**52.96**	**(19.18)**	**517.93**	**256.76**	**37.52**	**(16.78)**	**277.50**	**240.43**	**227.39**
पिछले वर्ष के आंकड़े	482.62	11.76	(10.23)	**484.15**	225.59	40.99	(9.83)	256.76	227.39	257.03

टिप्पणियाँ :-

1. कसबा -कोलकाता में पट्टे की भूमि के संबंध में पंजीकरण, जिनके लिए सकल ब्लाक ₹ 0.24 करोड़ (₹ 0.24 करोड़) तथा निवल ब्लाक ₹ 2.22 करोड़ (₹ 0.23 करोड़) लंबित हैं। तत्पश्चात् मूल्यह्रास का आकलन अनन्तिम आधार पंजीकरण प्रभार सहित लागत पर किया जाता है। निर्माण कार्य अभी आरंभ किया जाना हैं। पट्टे की अवधि 99 वर्ष है।

2. मरम्मत न किए जाने योग्य व बिकने के लिए तैयार निम्नलिखित परिस्थितियों सहित फिक्स परिसम्पतियाँ (वास्तविक व बुक मूल्य से कम पर) :-

(₹ करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	-	-	0.83	-
कुल	-	-	0.83	-

3. अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित

4. वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2010-11**	2009-10
लाभ और खाता		
चालू	36.91	41.27
पिछली अवधि	0.61	(0.28)
कुल	**37.52**	40.99

5. इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य ₹ 3.79 करोड़) शामिल है जिसक लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

6. पट्टा स्वामित्व भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास (जी एन आई डी. ए.) की भूमि शामिल है, जिस पर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय कक्ष (सी आई सी) का निर्माण किया जाएगा (सकल मूल्य ₹ 0.80 करोड़)। भवन के निर्माण के लिए समयावधि को बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध किया गया है।

अनुसूची 'घ'

पूंजीगत चालू कार्य*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
अधिशेष	**1.55**	0.65
वर्ष के दौरान जमा		
- कार्य संबंधी व्यय	**0.22**	0.90
कुल	**1.77**	1.55

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण**

केंद्रीय निरीक्षण कक्ष(सी आई सी नोएडा)	**1.77**	1.55

अनुसूची 'ड.'

निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को			31 मार्च 2010 को		
	संख्या	**राशि**		संख्या	राशि	
दीर्घकालिक निवेश :						
कोट किया गया (व्यापार से इतर):						
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनाइंस कम्पनी लि. के 6.85% कर मुक्त बांड	**6,000**	**61.27**		1,000	10.14	
घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.20**	**61.07**		0.01	10.13
6.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के कर मुक्त बांड	**5,000**	**50.00**		5,000	50.00	
कोट नहीं किया गया (व्यापार निवेश):			**50.00**			50.00
एकीकृत संयुक्त उपक्रम में निवेश						
सी.सी. एफ. बी. मोजांबिक(1) मैटीशियस 24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी शयेर (2)	**1,25,000**	**5.53**		1,25,000	5.53	
इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि(आईएसटापीएल) (2 क व ख) ₹ 10 प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000 इक्विटी शेयर	**63,870,000**	**63.87**		63,870,000	63.87	
पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी में निवेश						
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसिस लि. ₹ 10 प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 400,000 इक्विटी शेयर	**4,900,000**	**4.90**	**74.30**	4,00,000	0.40	69.80
कुल			**185.37**			129.93

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन :

कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग -	खाता मूल्य	**74.30**	69.80
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग -	खाता मूल्य	**111.07**	60.13
-	बाजार मूल्य	**111.24**	60.21

1. सीसीएफबी के संगम अनुच्छेद के अनुसार कंसेशन की तारीख यथा 9/10 दिसंबर 2005 से 3 वर्षों की अवधि या पुनर्वास कार्य पूरा होने की तारीख तक, जो कोई भी बाद में हो के लिए इन शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हो।
2. मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है ।

2(क) उन आठ बैंकों के कसोर्टियम के साथ प्रतिबद्धता, जिनसे आई एस टी पी एल ने ₹ 450 करोड़ का ऋण लिया है।

2(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) तीन वर्षों के दौरान आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे। पूर्ण वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है। बहरहाल, ₹ 450 करोड़ के लिए ऋणदाता के साथ दिनांक 7 अगस्त 2006 को आइ एफ टी पी एल के चरण करार में गहण के पुनर्भगतान तक यथा 30.9.2018 तक 51% की शेयरधारिता का प्रावधान है।

अनुसूची 'च'

मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
सामग्री एंव भंडार:				
- हाथ में	**56.18**		98.13	
- तृतीय पक्षों के पास	**6.27**		9.38	
- मार्गस्थ	**14.01**		35.04	
		76.46		142.55
संविदागत चालू कार्य				
- लागत पर		**88.46**		80.78
- वसूलनीय मूल्य पर		**135.54**		150.03
कुल		**300.46**		373.36

अनुसूची 'छ'

विविध देनदार*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
अनारक्षित :				
छह महीने से अधिक समय से बकाया ऋण				
-वसूली योग्य	**125.41**		18.13	
-संदिग्ध समझे गए	**10.53**		8.94	
		135.94		27.07
अन्य				
वसूली योग्य	**750.80**		452.59	
		750.80		452.59
		886.74		479.66
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**10.53**		8.94
कुल		**876.21**		470.72

*** सहायक कंपनी से देय राशि सहित :**

विवरण	वर्ष के अंत में शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	
	31.03.2011	31.03.2010	**10-11**	09-10
छह माह से अधिक	-	-	-	-
अन्य	**4.39**	0.75	**4.39**	0.75
कुल	**4.39**	**0.75**	**4.39**	**0.75**

अनुसूची 'ज'

रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
हाथ रोकड़ (1)		**0.71**		0.28
हाथ में चैक/ड्राफ्ट		**45.62**		0.51
अनुसूचित बैंकों में शेष				
चालू खातों में	**321.59**		102.86	
फ्लैक्सी खातों में	**88.60**		132.66	
जमा खातों में (2) और (3)	**1,525.66**		865.98	
		1,935.85		1,101.50
पारगमन में प्रषण		**1.34**		0.90
अन्य बैंकों में शेष (4)				
चालू खातों में	**21.17**		14.30	
मियादी खातों में	**0.02**		-	
फिक्स डिपाजिट में (5)	**31.53**		196.21	
		52.72		210.51
कुल		**2,036.24**		1,313.70

(1) **₹ 0.0005 करोड़** (₹ 0.007 करोड़) के स्टैम्प-इन-हैंड शामिल है।

(2) **₹ 32.23 करोड़** (26.23 करोड़) के इएमडी के प्रति ठेकदारों से प्राप्त एफडीआर

(3) ग्राहकों से अग्रिम के प्रति **₹ 406.00 करोड़** (₹ 248.55 करोड़) सहित एफडीआर जिस पर ग्राहकों को ब्याज दिया जाता है।

(4) विवरण अनुसूची "ज-1".

(5) **₹ 15.22 करोड़** (₹ 72.25 करोड़) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

अनुसूची 'ज-1'

अन्य बैंकों के साथ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

बैंकों का नाम	शेष		अधिकतम शेष	
	31.03.2011	31.03.2010	**2010-11**	2009-10
चालू खाते				
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया यू एस डी खाता	**-**	-		0.01
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया	**-**	-		0.02
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**0.94**	0.20	**2.58**	2.02
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**0.02**	0.18	**0.19**	2.11
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**0.93**	0.10	**54.38**	117.59
स्टेंडर्ड चाटर्ड बैंक, मलेशिया	**0.01**	0.01	**0.01**	0.01
कमर्शियल बैंक आफ इथोपिया	**0.59**	0.68	**1.34**	2.32
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान	**-**	0.06	**0.50**	0.06
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**0.01**	1.86	**1.86**	4.05
नेपाल बैंक लि., इताहरी	**-**	0.14	**0.14**	0.41
नेपाल बैंक लि., लाहान	**-**	0.01	**0.01**	0.10
बी आई एम (मोजांबीक)	**0.11**	1.00	**1.83**	9.47
बी सी आई फोमैटो, मोजांबीक	**5.09**	3.43	**9.09**	10.21
बीएनपी परिबास, एल्जीरिया	**13.11**	6.32	**89.82**	7.10
बीएनए एल्जीरिया	**-**	0.01	**0.01**	0.03
काबुल बैंक, मजर-ए-शरीफ	**0.03**	0.01	**0.15**	0.01
पीपल्स बैंक, गल्ले	**0.28**	0.29	**1.08**	2.27
पीपल्स बैंक, मेडवोच्चिया	**0.05**	-	**0.16**	-
कुल	**21.17**	14.30		
फ्लैक्सी खाता				
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**0.02**	-	**0.17**	-
कुल	**0.02**	-		
जमा खाते				
सी आई एम बी, बरहाद, मलेशिया	**5.02**	7.61	**8.72**	7.61
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**15.22**	175.11	**276.15**	522.52
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**1.38**	1.26	**1.38**	1.26
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**0.53**	2.35	**2.35**	8.44
सी आई एम बी बरहाद, मलेशिया	**-**	-	**-**	5.76
बीएनपी परिबास, हाईड़ा, एल्जीरस	**4.96**	-	**6.08**	-
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**-**	-	**-**	0.12
बी सी आई फोमैटो, मोजांबीक	**4.42**	1.59	**4.42**	1.59
बैनको इंटरनेशनल, मोजांबीक	**-**	7.86	**7.86**	7.86
पीपल्स बैंक, गल्ले	**-**	0.43	**0.43**	2.40
कुल	**31.53**	196.21		

अनुसूची "ण''

अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:				
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		**1.30**		1.35
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**0.34**		0.34
स्थगित देयताएँ (इराक परियोजनाएँ)		**31.82**		31.82
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**1.02**		1.01
निम्न पर जमा व अग्रिम :				
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**28.56**		22.90
अनुसूची बैंकों में जमा	**13.77**		13.10	
गैर-अनुसूची बैंकों में जमा	**0.01**		0.02	
		13.78		13.12
बांड		**1.57**		0.27
कुल		**78.39**		70.81

अनुसूची 'झ'

ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
रक्षित (वसूली योग्य):				
कर्मचारियों को ऋण	**2.50**		2.59	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	**68.84**		64.83	
		71.34		67.42
आरक्षित:				
ब्याज धरित ऋण :				
भारतीय रेल कल्याण संगठन	**-**		0.20	
संयुक्त उद्यम:				
सी. सी. एफ. एन.	**93.24**		91.49	
आईएसपीएल	**10.00**		10.00	
सहायक कपनी:			-	
इरकॉन आईएसएल	**23.20**			
		126.44		101.69
प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए रोकड़ पर प्रकार में वसूलनीय मूल्य				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य प्राधिकरणों में जमा :				
-बिक्री कर	**21.76**		13.14	
-सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य	**10.68**		9.86	
		32.44		23.00
जमा, वसूलनीय दावे एंव प्रतिधारण राशि		**193.91**		170.97
वसूल की जाने वाली राशि :				
संयुक्त उद्यमों:				
सी. सी. एफ. एन.	**1.40**		1.57	
आईएसपीएल	**-**		0.01	
सहायक कंपनी				
इरकॉन आईएसएल	**0.26**		0.04	
		1.66		1.62
अग्रिम :				
- ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता तथा अन्य	**174.03**		143.45	
- स्टाफ	**3.11**		1.90	
- बिक्रीकर (टीडीएस सहित)	**34.58**		39.91	
- मूल्य संवर्धित कर (शुद्ध)	**47.96**		20.77	
- आयकर (टीडीएस सहित)	**401.87**		301.74	
₹ 0.11करोड़ (₹ 0.12 करोड़ की सम्पति कर सहित)		**661.55**		507.77
पूर्ववत व्यय		**9.21**		22.54
कुल		**1,096.55**		895.01
सुरक्षित वसूली योग्य		**71.34**		67.42
असुरक्षित वसूली योग्य		**1,007.70**		811.10
असुरक्षित वसूली योग्य		**17.51**		16.49
		1,096.55		895.01
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**17.51**		16.49
कुल		**1,079.04**		878.52

निदेशकों से देय राशि का विवरण

चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
0.021	**0.077**	शून्य	0.032

अनुसूची 'ट'

वर्तमान देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
विविध लेनदार		
-लघु उद्योग/उपक्रम	**-**	-
-अन्य	**460.30**	508.91
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (1 तथा 3)	**963.56**	497.09
प्राप्त अग्रिम कार्य	**779.30**	456.93
जमा व प्रतिधारण राशि (2)	**296.21**	258.90
रिकॉन को देय राशि	**11.08**	3.48
बुक ओवरड्राफ्ट	**3.42**	1.19
अन्य देयताएं	**45.20**	41.33
कुल	**2559.07**	1767.83

1 इसमें ₹ **5.49 करोड़** (₹ 61.98 करोड़) का खाता ओवरड्रफ्ट शामिल हैं।

2 ईएमडी क प्रति ठेकेदार से प्राप्त एफडाआर ₹ **32.23 करोड़** (₹ 26.23 करोड़) शामिल हैं।

3 इसमें कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन आईएसएल से ₹ **2.72 करोड़** की अग्रिम राशि शामिल है।

अनुसूची 'ठ'

प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.4.2010 को अधिशेष	2010-11 के दौरान			31.3.2011 को अंत शेष
		योग	पश्चलिखित'	उपयोग	
प्रावधान :					
उपदान	37.66	8.83	-	1.88	**44.61**
घटा : एल आई सी उपदान के दावे	4.11	-	-	-	**4.07**
	33.55	**8.83**	-	**1.88**	**40.54**
छुट्टी वेतन के लिए	38.18	18.16	-	2.32	**54.02**
सेवानिवृत्ति पर भुगतान भत्तों के लिए	1.29	0.16	-	-	**1.45**
पेंशन	-	9.20	-	-	**9.20**
सेवानिवृत्ति लाभों का योग	**73.02**	**36.35**	-	**4.20**	**105.21**
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	21.54	11.50	4.92	5.01	**23.11**
संदिग्ध ऋण के लिए	8.94	1.85	0.26	-	**10.53**
संदिग्ध अग्रिम के लिए	16.49	1.92	0.87	0.03	**17.51**
विसंग्रहण के लिए	9.61	6.60	0.48	0.25	**15.48**
अनुरक्षण के लिए	22.06	19.32	0.68	3.28	**37.42**
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	29.91	13.66	10.29	13.10	**20.18**
अभिकल्प गारंटी	-	129.69	-	-	**129.69**
निगमित सामाजिक दायित्व	-	1.61	-	0.83	**0.78**
देयताएं (विधि मामले)	24.49	16.09	0.06	10.62	**29.90**
अन्य व्यय	60.65	13.67	1.66	3.39	**69.27**
अन्य कर, फ्रिंज लाभों व सम्पति कर के लिए	338.05	212.24	7.84	0.12	**542.33**
प्रस्तावित व अन्तिम लाभांश के लिए	15.64	49.49	-	41.37	**23.76**
प्रस्तवित व अन्तिम लभांश पर कर के लिए	2.66	8.07	-	6.88	**3.85**
कुल (क)	**623.06**	**522.06**	**27.06**	**89.08**	**1,029.02**
समयोजन:					
अनुसूची 'छ' में विचारित संदिग्ध ऋण के लिए	8.94				**10.53**
अनुसूची 'झ' में विचारित संदिग्ध आग्रीम के लिए	16.49				**17.51**
सेवानिवृति लाभ (उपर्युक्त क)		36.35	-	4.20	
वेतन भत्तों और लाभों सहित पी आर पी (उपर्युक्त ख)		11.50	4.92	5.01	
आयकर के लिए अलग से प्रदत्त/विचारित लाभांश *		212.24	7.84	0.12	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं		49.49	-	41.37	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं पर निगमित कर		8.07	-	6.88	
कुल (ख)	**25.43**	**317.65**	**12.76**	**57.58**	**28.04**
निवल : चालू वर्ष (क-ख)	**597.63**	**204.41**	**14.30**	**31.50**	**1,000.98**
पूर्व वर्ष	419.30	92.41	12.51	25.96	597.63

नोट:	**चालू वर्ष**	पिछला वर्ष
सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे मे शामिल किये गए	**190.11**	66.72
अनुसूची-ठ क अन्तर्गत सेवानिवृति लाभ	**32.15**	15.23
अनुसूची-ठ क अन्तर्गत वेतन संबंधी कार्य निष्पादन	**1.57**	13.19
अनुसूची-ठ से लिए गए प्रावधान (उपयोग)	**31.50**	25.96

अनुसूची 'ड-1'

आस्थगित कर परिसम्पतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2010 को	2010-11 के दौरान योग (लोप)	31.03.2011 को
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	7.62	6.35	**13.97**
- भावी हानियां	9.94	(3.39)	**6.55**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	8.10	1.00	**9.10**
- उपदान के लिए	12.51	1.96	**14.47**
- विधिक मामलों के लिए	5.05	4.65	**9.70**
- अभिकल्प गारंटी	-	32.42	**32.42**
- अन्य	27.30	2.93	**30.23**
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.11	(0.05)	**0.06**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	13.80	7.07	**20.87**
कुल	**84.43**	**52.94**	**137.37**

अनुसूची 'ड-2'

आस्थगित कर देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	01-04-2010 को	2010-11 के दौरान योग (लोप)	31-03-2011 को
मूल्यह्रास	(2.96)	9.27	6.31
कुल	**(2.96)**	**9.27**	**6.31**
आस्थगित कर(सकल)	87.39	**43.67**	**131.06**

अनुसूची 'ढ'

आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2009-10	
प्रचालन आय				
संविदा प्राप्तियाँ	**3,140.13**		3,109.51	
लोको पट्टा	**26.20**		23.66	
मशीनरी किराया प्रभार	**1.56**		6.66	
		3,167.89		3,139.83
अन्य आय				
बांडों पर ब्याज (सकल) (1)	**5.41**		0.60	
बैंक ब्याज सकल (2)	**57.89**		47.79	
घटा: ग्राहकों को वापस किया गया ब्याज	**15.70**	**42.19**	18.07	29.72
आयकर की प्राप्त वापसी पर ब्याज	-		0.96	
अग्रिमों पर ब्याज	**8.11**		9.91	
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	**0.26**		0.34	
परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ	**5.15**		0.50	
विविध प्राप्तियाँ (3)	**17.70**		21.99	
		78.82		64.02
कुल		**3,246.71**		3,203.85

(1) स्त्रोत पर काटा गया ₹ **शून्य करोड़** (₹ 0.01 करोड़) शामिल हैं।

(2) स्त्रोत पर काटा गया ₹ **5.20 करोड़** (₹ 5.08 करोड़) शामिल हैं।

(3) दावा न किए गए बटटा खाते के ₹ **1.86 करोड़** (₹ 1.32 करोड़) शामिल हैं।

अनुसूची 'ण'

व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10
1 व्यय					
कार्य व्यय		**1,639.28**	1,803.87	**-**	-
		-	-	**-**	-
कार्य व्यय का योग		**1,639.28**	1,803.87	**-**	-
2 प्रगतिरत कार्य मे कम/(वृद्धि)		**(7.67)**	10.87	**-**	-
3 उपयोग की गई समग्री व भंडारण					
आरम्भिक शेष		**107.50**	165.07	**-**	-
जोड़े : वर्ष के दौरान खरीदे		**477.16**	588.23	**-**	-
		584.66	753.30	**-**	-
घटाएं : रोकड़ बाकी		**62.45**	107.50	**-**	-
सामग्री व भंडार उपयोग का जोड़		**522.21**	645.80	**-**	-
4 कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ (1)					
वेतन, मजदूरी, बोनस एवं भते		**97.71**	105.17	**25.67**	27.52
भविष्य व अन्य निधियों में अंशदान		**5.30**	6.86	**1.96**	2.43
विदेश सेवा अंशदान		**0.57**	0.52	**0.50**	0.53
सेवानिवृति लाभ		**32.15**	15.23	**-**	-
वी आर एस व्यय		**-**	-	**0.03**	0.10
स्टाफ कल्याण		**1.94**	2.82	**0.36**	0.55
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ का जोड़		**137.67**	130.60	**28.52**	31.13
5 अन्य व्यय					
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		**151.03**	62.00	**-**	-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		**1.98**	1.55	**-**	-
विनिमय उच्चावचन हानि	**27.86**		52.23	**-**	-
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	**3.81**		21.61	**-**	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		**24.06**	30.72	**-**	-
किराया-गैर आवासीय		**3.57**	3.07	**0.42**	0.22
दर एवं कर		**39.54**	18.10	**1.37**	0.19
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		**12.85**	16.37	**0.77**	0.71
मरम्मत और रखरखाव					
-मशीन		**17.02**	22.73	**-**	-
- भवन		**0.26**	0.32	**0.45**	0.39
- कार्यालय तथा अन्य		**1.88**	3.42	**1.94**	1.51
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		**3.34**	2.42	**1.18**	1.03
मशीनरी का किराया प्रभार		**12.00**	15.03	**-**	-
बीमा		**9.55**	8.86	**0.03**	0.02
यात्रा और वाहन		**9.10**	8.51	**2.26**	2.44
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		**1.94**	2.17	**0.89**	1.05
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		**1.97**	2.65	**0.63**	0.62
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		**2.44**	3.56	**1.24**	2.38
सुरक्षा सेवाएं		**4.56**	3.42	**0.27**	0.21
व्यवसाय संर्वधन		**0.95**	0.64	**0.09**	0.24
परिसंपति बट्टा खाता		**0.01**	0.02	**-**	-
परिसंपति तथा भंडार की बिक्री से हानि		**-**	-	**0.14**	0.01
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन		**-**	-	**0.20**	0.02
बैंक और अन्य वित प्रभाव		**-**	-	**14.15**	12.43
लेखापरीक्षकों की फीस		**-**	-	**0.02**	0.03
चंदा		**-**	-	**0.03**	0.15
लेखापरीक्षकों की फीस (2)		**-**	-	**0.60**	0.42
विज्ञापन और प्रसार		**-**	-	**4.40**	3.44
प्रशिक्षण और भर्ती		**-**	-	**0.30**	0.17
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व				**0.83**	-
विवित व्यय		**3.44**	6.47	**0.69**	0.98
		301.49	212.03	**32.90**	28.66
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (3)		**31.50**	25.96	**-**	28.66
अन्य व्यय का जोड़		**269.99**	186.07	**32.90**	
कुल		**2,561.48**	2,777.21	**61.42**	59.79

(1) ₹ 0.23 करोड़ (₹ 0.42) करोड़ अनुलब्धियों पर आयकर शामिल है।

(2)

सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	**2010-11**	2009-10
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.20**	0.19
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.05**	0.05
(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.06**	0.06
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	**0.26**	0.07
- विदेशी	**0.03**	0.05
जोड़	**0.60**	0.42

(3) अनुसूची ण में विवरण दिया गया है

अनूसूची 'त'

पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2009-10	
पूर्व अवधि मदें:				
आय :				
कार्य प्राप्तियाँ	**(4.15)**		(0.16)	
जमा/ऋणों पर ब्याज आय	**-**		4.14	
विविध प्राप्तियाँ	**0.50**		0.05	
		(3.65)		4.03
व्यय :				
कार्य व्यय	**(2.47)**		0.18	
प्रशासनिक व्यय	**-**		0.05	
मूल्यह्रास	**0.61**		(0.28)	
अन्य	**0.36**		1.21	
		(1.50)		1.16
कुल		**(2.15)**		2.87

अनुसूची 'थ'

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुतः के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य ₹ करोड़ (10 मिलियन) के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

2. अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. विदेशी मुद्रा सौदे

क) देश के भीतर सौदे

देश के भीतर मुद्रा सौदों को रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है।

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित तार अंतरण (टीटी) क्रय दर पर किया जाता है।
2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद तार अंतरण क्रय दर पर किया जाता है।
4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

1) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में प्रारम्भिक और अंतिम तार अंतरण क्रय दर की मासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।
2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।
4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयागे करके परिवतिर्त की जाती हैं।
5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयोग करके परिवतिर्त किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम तार अंतरण क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।
2) आय और व्यय मदों को आरंभिक व अंतिम तार अंतरण क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।
3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

4. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

5. निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

6. मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

I) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

7. रोकड़ एवं रोकड़ समान

तुलन पत्र में रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद तथा मांग जमा तथा उपलब्ध चेक शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

8. प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

I) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजना के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

9. संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

10. संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।
2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

11. पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

12. निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

13. अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

14. संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

15. मूल्यह्रास

I) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XVi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई है :-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ङ.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ii) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 15(i)में बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती है तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

iii) ₹ 25 लाख से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

iv) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

v) वर्ष के दौरान अधिग्रहित ₹ 5000 तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में ₹ 5000 तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

16. उधार लागतें

I) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

17. सेवानिवृति लाभ

I) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ii) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

18. पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

I) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में ₹ 50000 से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

19. कर

I) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

20. खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालनों पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

21. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है

अनूसूची 'द'

प्रकटनों सहित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. प्रासंगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

क) कम्पनी के विरुद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है ₹ 349.18 करोड़ (₹ 273.65 करोड़) है। इसके विपरीत, कम्पनी ने ₹ 61.79 करोड़ (₹ 101.42 करोड़) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरुद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो ₹ 143.24 करोड़ (₹102.89 करोड़) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

ख) कम्पनी के विरुद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है ₹ 114.27 करोड़ (₹ 132.03 करोड़) हैं। जिनमें से ₹ 29.31 करोड़ (₹ 31.44 करोड़) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) ग्राहकों द्वारा समय बढ़ाने हेतु आवेदन के लम्बित मामलों के निपटान के लिए कंपनी ₹ 0.03 करोड़ (₹ 6.11 करोड़) के स्तर तक निर्णीत व्यक्तियों को भुगतान किए जाने के लिए आकस्मिक रूप से बाध्य है।

ड) फ्लैटों के लिए सी आई डी सी ओ को बकाया बैंक गारण्टी के ₹ 0.15 करोड़ (₹ 0.15 करोड़) है।

च) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर द्वारा ₹ 1.75 करोड़ (₹ 1.75 करोड़) के दावे।

2. वित्त वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक की अवधि के लिए रेलवे से संविदागत कार्यों के रुप में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उत्पन्न कर देयताएं व उन पर ब्याज पर जम्मू और कश्मीर कर विभाग द्वारा ₹ 55.23 करोड़ की मांग की गई है। बहरहाल, मांग की गई बिक्री कर की ₹ 16.67 करोड़ (₹ 12.58 करोड़) की राशि का भुगतान विरोध के साथ विभाग को किया गया है। इस राशि को व्यय के रूप में प्रभारित किया गया और बिल ग्राहक को दिया गया है। कंपनी ने सम्पूर्ण आकलन के लिए उपायुक्त, बिक्री कर (अपील) के समक्ष अपनी अपील दायर की है और यह मामला लंबित है। कंपनी का मत है कि इस लेखे के प्रति कोई अतिरिक्त देयता नहीं होनी चाहिए, इसलिए, खाता बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बहरहाल, शेष राशि को आकस्मिक देयता का रूप में लिया गया है। वित्त वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए विभाग द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

3. अंग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि ₹ 0.22 करोड़ (₹ 0.57 करोड़)है।

4. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर(टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्वनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

5. क. विदेशी मुद्रा में आय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2010-11**	2009-10
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**1528.64**	1225.59
बैंक ब्याज	**8.18**	10.13
अन्य ब्याज	**0.14**	0.07
विदेशी मुद्रा घट/बढ़ लाभ	**3.50**	21.61
अन्य	**4.67**	3.64
कुल	**1545.13**	1261.04

ख. विदेशी मुद्रा में आय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रचालन व्यय	**728.21**	782.07
परामर्शदात्री प्रभार	**12.83**	14.94
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि	**28.75**	52.33
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**347.73**	147.56
कुल	**1117.52**	996.89

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
पूंजीगत माल	**-**	-
सामग्री	**17.76**	11.76
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**0.23**	-
कुल	**17.99**	11.76

6. पट्टे संबधित प्रकटन

1. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी ने 31.03.2011 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है। वर्तमान में, पट्टा की वैधता 31.12.2011 तक है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	**20.13** (13)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)
देय	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

(₹ करोड़ में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2011 को	31.03.2010 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**24.82**	24.82
संचित मूल्यह्रास	**8.82**	6.39
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**2.43**	1.26

2. हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा

कम्पनी ने पांच (पांच) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए है। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	**0.06** (0.07)	**0.04** (0.09)	(शून्य) **(शून्य)**

3. परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय अनुसूची में ₹ 5.15 करोड़ (₹ 6.31 करोड़) शामिल है। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान ₹ 3.99 करोड़ (₹ 3.29 करोड़) को अनुसूची 'ठ' में दर्शाया गया है।

7. **खण्ड रिपोर्टिंग :**

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	10-11	**09-10**	**10-11**	**09-10**	**10-11**	**09-10**	**10-11**	**09-10**
क. आवर्त्त								
प्रचालन आय	**1576.54**	1196.25	**1595.42**	1952.25	**3.37**	4.38	**3175.33**	3152.88
अन्य आय	**10.73**	20.56	**17.88**	14.82	**50.21**	28.65	**78.82**	64.03
अंत खण्ड	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**1587.27**	1216.81	**1613.30**	1967.07	**53.58**	33.03	**3254.15**	3216.91
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**542.60**	240.02	**66.12**	119.63	**19.55**	25.53	**628.27**	385.18
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**158.41**	8.93	**30.22**	53.61	**1.48**	17.37	**190.11**	79.91
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**16.51**	16.82	**16.02**	19.51	**4.38**	4.94	**36.91**	41.27
ब्याज	-	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कर पूर्व लाभ	**367.68**	214.27	**19.88**	46.51	**13.69**	3.23	**401.25**	264.01
कर के प्रावधान	**131.70**	57.45	**17.67**	22.80	**11.37**	1.58	**160.74**	81.83
कर पश्चात् लाभ	**235.98**	156.82	**2.21**	23.71	**2.32**	1.65	**240.51**	182.18
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**2114.50**	1158.14	**1190.00**	1021.16	**1672.56**	1427.89	**4977.06**	3607.19
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**99.84**	65.87	**59.12**	85.27	**85.04**	85.05	**244.00**	236.19
देयताएं	**1876.17**	973.87	**1152.63**	958.74	**565.95**	469.93	**3594.75**	2402.54
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	**50.71**	3.39	**1.13**	6.50	**1.12**	1.87	**52.96**	11.76

**अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।*

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में बठौतरी	
	2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10
निर्माण आदि	**3149.13**	3129.23	**4956.41**	3564.93	**52.85**	11.51
पट्टा और प्रचालन	**26.20**	23.65	**20.65**	42.26	**0.11**	0.25
जोड़	**3175.33**	3152.88	**4977.06**	3607.19	**52.96**	11.76

8) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) संयुक्त उद्यमों की सूची

i) प्रचालनरत :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2011	2010
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइट्स, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
3	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इनफ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
4	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल@	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
5	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कंट्रेक्टर (आइएमसीसी) (05.03.06 को कार्य पूरा हो गया है)	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत		29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
6	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एम टी जी) (07.04.10 को कार्य पूरा हो गया है)	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि., भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

(ii) बंद संयुक्त उद्यम :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2011	2010
1	इरकॉन कोबरा- इलियोप (15.06.07 को कार्य पूरा हो गया है)	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
2	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स (परियोजना बंद हो गई है, भुगतान अभी प्राप्त किया जाना है।)	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
3	एसएमजे-इरकॉन (परियोजना बंद हो गई है, अंतिम निपटान अभी किया जाना है।)	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
4	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम (कार्य पूरा हो गया है)	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00

ख) संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व हित का प्रतिशत	
			2011 को	2010 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि.इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00

@दिनांक 01.05.2008 से संयुक्त उद्यम साझेदारों ने संयुक्त उद्यम प्रचालन की प्रकृति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार शेष कार्य के स्कोप को पूर्ववर्ती संयुक्त नियंत्रण के विपरीत आपस मे विघटित कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरुप संयुक्त उद्यम की प्रकृति संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई (जेईसी) से परिवर्तित होकर अब संयुक्त नियंत्रित प्रचालन (जेसीओ) हो गई है। लेखाकरण नीति संख्या 10(ii) के अनुसार 30.04.2008 तक अनुपातिक समेकन पद्धति का अनुसरण किया गया है और तत्पश्चात जेसीओ के संबंध में कंपनी की अनुसूची फ के लेखाकरण नीति संख्या 10 (ii) के अनुसार स्वतंत्र ठेकों के रुप मे लेखांकित किया गया है।

ग) जेसीई के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसा		एमटीजी		कुल	
		2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10
1.	आय	**-**	-	**2.83**	3.99	**0.19**	0.02	**4.43**	9.03	**7.44**	13.06
2.	व्यय	**-**	-	**0.97**	2.27	**0.09**	0.02	**(0.23)**	8.50	**0.83**	10.79
3.	नियत परिसंपत्तियां	**1.79**	1.79	**-**	-	**-**	-	**0.004**	0.17	**1.80**	1.96
4.	चालू परिसंपत्तियां	**21.07**	22.98	**12.95**	12.44	**4.89**	4.61	**7.38**	6.55	**46.29**	46.57
5.	चालू देयताएं	**24.24**	24.77	**4.06**	5.41	**4.61**	1.39	**1.79**	5.49	**34.70**	37.08
6.	ऋण निधि	-	-	**-**	5.29	**-**	-	**-**	-	**-**	5.29

घ) 31.3.2011 को आई एम सी सी के मामले में आकस्मिक दयेता के प्रति इंडैमनिटी बांड में कम्पनी का शेयर ₹ 1.24 करोड़ (₹ 1.24 करोड़) है।

ड.) 31.3.2011 को आई एम सी सी के मामले में बिक्री कर देयता का समानुपातिक शेयर ₹ 4.25 करोड़ (₹ 4.25 करोड़) है और सेवा कर ₹ 1.01 करोड़ (₹ 1.01 करोड़) है।

च) 31.3.2010 को एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी के कम्पनी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 2.32 करोड़ (₹ 4.69 करोड़) है।

छ) 31.3.2011 को एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 1.54 करोड़ (₹ 1.54 करोड़) है ।

ज) 31.03.2011 को इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैक गारंटी के कम्पनी के शेयर के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 0.91 करोड़ (₹ 0.91 करोड़) है।

झ) कंपनी ने वर्ष के दौरान आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋण के 50% के रूप में ₹ 30 करोड़ की निगमित गारंटी प्रदान की है।

ट) 31.3.2011 को आयकर देयता के संबंध में आईआईएमएम(संयुक्त उद्यम) के मामले में कंपनी की भागीदारी के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 5.29 करोड़ (₹ 3.25 करोड़) है।

9. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त क्रम सं. 8(क) की सूची के समान।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त क्रम सं8(ख) की सूची के समान।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी: इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड(इरकॉन आईएसएल)

ख. प्रमुख प्रबन्ध निदेशक

निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग तथा दीपक सभलोक (16.04.2010 से नियुक्त),मदन लाल (31.12.2010 को सेवानिवृत) तथा हितेश खन्ना(07.03.2011 से नियुक्त)।

ग. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2010-11	2009-10	**31.03.2011 को**	31.03.2010 को
प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों को पारिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख')तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-10 के अनुसार		**शून्य**	शून्य
उन उद्यमों से सेवाएं जहां निदेशकों का हित विद्यमान है	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल में निवेश	**4.5**	0.40	**74.30**	69.80
सीसाएपबी/आईएसटीपीएल/आईआईएसएल को ऋण	**41.52***	(4.45)	**126.44**	101.69
सीसाएफबी/आईआईएसएल/आईएसटीपीएल/ रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	**(0.05)**	0.68	**1.66**	10.84
रिकॉन/आईआईएसएल को देय राशि	**10.32**	2.99	**13.79**	3.48
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल/ आईआईएसएल से आय	**38.38**	77.10	**7.53**	58.95
सेवाओं/वस्तुओं की खरीद की प्राप्ति	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

**सीसीएफबी को ऋण पर संचित ब्याज (प्रथम ऋण पर 31.12.2010 तक ब्याज तथा दूसरे ऋण पर 31.12.2011 तक ब्याज) से संबंधित ₹ 18.32 करोड़ शामिल हैं, जिसे ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के आधार पर ताकि ऋण के पुनःविवरणीकरण के आधार पर मूल में परिवर्तित कर दिया गया है।*

10. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	**2010-11**	2009-10
I	वेतन और भत्ते	**0.78**	0.53
II	भविष्य निधि और अंशदान	**0.06**	0.06
III	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**0.09**	0.05
IV	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.01**	0.02
V	बैठक फीस	**0.02**	0.03
VI	अन्य हित लाभ	**0.18**	0.14
	जोड़	**1.14**	0.83

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

11) कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । कोई ह्रास हानि (शून्य रुपए) नहीं हुई है।

12 क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोजनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईरान में निर्यातकों की परियोजनाओं को बेलआउट किया था।

आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ

इराक ने इक्जिम बैंक को ₹ 0.89 करोड़ (एक अमरीकी डालर = ₹ 35.802 की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित ₹ 31.82 करोड़ के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, जिसके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 0.42 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = ₹ 35.802 की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित ₹ 15.04 करोड़ के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ख) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा 1 अमरीकी डालर = ₹ 35.802 पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2010 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य चालू परिसम्पत्तियां ₹ 85.88 करोड़ (₹ 7.49 करोड़ की वृद्धि) तथा प्रावधान 1004.52 (₹ 3.54 करोड़ की वृद्धि) और कर पूर्व लाभ ₹ 405.20 करोड़ (₹ 3.95 करोड़ की वृद्धि) होती ।

13) विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेश अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लागे का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपूर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।.

14) कंपनी ने सामूहिक उपदान योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा (एल आई सी) से एक पॉलिसी ली थी तथा एक उपदान ट्रस्ट की स्थापना की थी। भारतीय जीवन बीमा को वित वर्ष 2003-04 तक अंशदान किया गया था। तत्पश्चात अंशदान नहीं किया जा सका था, क्योंकि एल आई सी की मांग पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। भारतीय जीवन बीमा द्वारा दिनांक 31.3.2011 को निर्धारित ₹ 4.07 करोड़ (₹ 4.11 करोड़) की निधि के ब्याज सहित समेकित शेष को एल आई सी से वसूली जाने वाली राशि के रूप में चालू सम्पतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है । लेखांकन नीति सं 17 (i) अनुसूची-ठ की शर्तों के अनुसार उपदान के लिए कंपनी के दायित्व और पूर्ण प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान एलआईसी से ₹ 4.07 करोड़ प्राप्त किए गए हैं।

15 क) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्णय परियोजनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । कुछ आकलन वर्षों के लिए छूट के लिए सी आई टी (अपील) द्वारा नामंजूरी नहीं दी गई गया है। । हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। आकलन वर्ष 2010-2011 तक कटौती ₹ 509.50 करोड़ (₹ 443.44 करोड़) है । यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

16) एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार अपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्या कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान ₹ 12 करोड़ के एक मुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निवेशों से लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि अपेक्षित राशि से अधिक है ।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खाते, तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	37.66 (29.56)	38.18 (29.80)	1.29 (10.19)
ब्याज लागत	2.82 (2.22)	2.86 (2.23)	0.09 (0.76)
चालू सेवा लागत	2.53 (2.31)	3.92 (3.37)	0.07 (0.72)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.01) ((1.71))	(2.47) ((1.62))	- ((0.22))
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.61 (5.28)	11.52 (4.39)	(.01) (5.49)
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.02 (38.18)	1.45 (16.96)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.11 (3.77)	- (-)	- (23.69)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	0.36 (0.33)	- (-)	- (2.07)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(0.13) (-)	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.26) (-)	- (-)	- (1.88)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.07 (4.11)	- (-)	- (23.89)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ*
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.11 (3.77)	- (-)	- (23.69)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	0.09 (0.33)	- (-)	- (0.19)
प्रदत्त लाभ	(0.13) (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.07 (4.11)	- (-)	- (23.89)
वित्तपोषित स्थिति	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) (6.93)
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	(0.26) (-)	- (-)	- ((1.88))

**इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट की समेकित निधि ₹ 26.32 करोड़ है।*

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(3.61) ((5.27))	(11.52) ((4.39))	0.01 ((5.49))
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	0.26 (-)	- (-)	- ((1.88))
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	3.87 (5.28)	11.52 (4.39)	(0.01) (7.37)
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	3.87 (5.28)	11.52 (4.39)	(0.01) (7.37)

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.02 (38.18)	1.45 (16.96)
31.03.2010 को योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	4.07 (4.11)	- (-)	- (23.89)
वित्तपोषण स्थिति	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) ((6.93))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	(0.26) -	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) ((6.93))

vi) **लाभ हानि खाते में मान्य व्यय**

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
चालू सेवा लागत	2.53 (2.31)	3.92 (3.37)	0.07 (0.72)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	2.82 (2.22)	2.86 (2.24)	0.09 (0.76)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	(0.36) ((0.33))	- (-)	- (2.07)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	3.87 (5.28)	11.52 (4.39)	(0.01) (7.37)
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	8.87 (9.47)	18.31 (9.99)	0.16 (6.79)

vii) **चालू अवधि के लिए राशि**

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.02 (38.18)	1.45 (16.96)
योजना परिसम्पतियां	4.07 (4.10)	(-) (-)	(-) (23.89)
सरप्लस(डैफिसेट)	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) ((6.93))
योजना देयतओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(3.61) (5.28)	(11.52) ((4.39))	0.01 ((5.49))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(0.26) (0.33)	- (-)	- ((1.88))

viii) **वास्तविक अनुमान**

I)	प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii)	रियायत दर	7.50%
iii)	उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की दर-उपदान	8.75%
v)	सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	14.16 वर्ष
vi)	लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	14.16 वर्ष

17) **प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन***

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	**31.03.11 तक**
(क)	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	**10531.77**
		31.03.11 को
(ख)	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	**1650.33**
(ग)	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	**332.93**

**31.3.2011 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर ।*

18) (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिमियम) के अधीन नहीं आते हैं । इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2011 तक कोई देय नहीं है।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औद्यौगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2011 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औद्यौगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि ₹ शून्य (₹ शून्य) है ।

19) पूर्व अवधि/पूर्वप्रदत्त वस्तुओं के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है ओर इसकी राशि को ₹ 5000 से बढा कर ₹ 50000 कर दिया गया हैं ।

20) अनुरक्षण अवधि के पश्चात अभिकल्प गारंटी के लिए कंपनी की मौजूदा नीति के अनुसार, प्रत्येक ऐसी परियोजना के लिए ₹ 10 लाख का टोकन प्रावधान किया गया है। प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के अधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान करने हेतु वर्ष के दौरान इस नीति में परिवर्तन किया गया है बशर्ते यह न्यूनतम ₹ 50 लाख हो तथा ग्राहक के साथ किए गए संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी अधिकतम राशि के बराबर हो। इस नीति में परिवर्तन के कारण मलेशिया परियोजना में ₹ 129.69 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए लाभ में ₹ 129.69 करोड़ की कमी हुई है।

21) वर्ष के दौरान कंपनी ने अभिकल्प, आरेखण, व्यावसाय विकास तथा परामर्श प्रभारों पर व्यय से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। यह अब सेवाओं की पावती के आधार पर है; इससे पूर्व यह व्यय संविदागत राजस्व निर्धारण के आधार पर था। इस परिवर्तन के कारण, टर्नओवर ₹ 118 करोड़ बढ़ गया है, कर पूर्व लाभ ₹ 34.94 करोड़ बढ़ गया है, चालू देयताएं ₹ 47.73 करोड़ कम हो गई हैं तथा वर्तमान परिसंपति का मूल्य ₹ 12.79 करोड़ कम हो गया है।

22) प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के ₹ 240.51 करोड़ को (9,898,000) पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

23) कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कही आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

के.पी. वाही	**ललिता गुप्ता**	**के.के. गर्ग**	**मोहन तिवारी**
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक/वित	प्रबन्ध निदेशक
स.सं.16164	एवं म.प्र(विधि)		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त 2011

तुलन पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

1. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या	8171	राज्य कोड	55
तुलन पत्र तारीख	31.03.2011		

2. वर्ष के दौरान इकट्ठी की गई पूंजी : *(₹ करोड़ में)*

पब्लिक इशु	शून्य	राइट इशु	शून्य
बोनस इशु	शून्य	निजी स्थानन	शून्य

3. निधियों के जुटाव और उपयोग की स्थिति :

कुल देयताएं	4977.06	कुल परिसंपतियाँ	4977.06
निधियों के स्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	9.90	रिजर्व और अधिशेष	1372.41
रक्षित ऋण	शून्य	गैर आरक्षित ऋण	शून्य
		अस्थगित कर देयता	शून्य
निधियों का उपयोग :			
निवल स्थिर परिसंपतियाँ	244.00	निवेश	185.37
निवल चालू परिसंपत्तियां	821.88	आस्थगित कर परिसंपतियाँ	131.06
विविध व्यय	शून्य	संचित हानियां	शून्य

4. कंपनी का निष्पादन (₹ करोड़ में)

आवर्त्त	3254.15	कुल व्यय	2852.90
कर पूर्व लाभ	401.25	कर पश्चात् लाभ	240.51
प्रति शेयर आय रू.	242.99	लाभांश दर	500%

5. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों के जातिवाचक नाम (मौद्रिक रूप में)

उत्पाद विवरण	अन्य परियोजनाएं :	टर्नकी निर्माण

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

ललिता गुप्ता	**के.के. गर्ग**	**मोहन तिवारी**
कंपनी सचिव	निदेशक/वित्त	प्रबन्ध निदेशक
एवं म.प्र.(विधि)		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2011

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		2010-11	2009-10
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		403.40	261.13
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास		37.52	40.99
निवेश की किश्तों पर छूट		0.20	0.02
परिसंपतियों(निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(5.01)	(0.49)
ब्याज आय		(55.97)	(41.53)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		190.11	66.72
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		24.06	30.72
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**594.31**	**357.56**
निम्न के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		(606.01)	(204.28)
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		72.90	57.16
विविध देनदारों में (कमी)/वृद्धि		790.76	61.42
जेसीई चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		0.28	7.44
जेसीई चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		(2.38)	(2.56)
	(2)	**255.55**	**(80.82)**
प्रचालन से सृजित रोकड़	**(1-2)**	**849.86**	**276.74**
पूर्व अवधि व असाधारण मदों से पूर्व रोकड़ प्रवाह		849.86	276.74
विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि		-	(14.72)
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		(2.15)	2.87
निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह	**(क)**	**847.71**	**264.89**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(47.89)	(17.94)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		7.41	0.89
प्राप्त ब्याज		48.38	41.54
परिपक्कव निवेश (बिक्री पर लाभ सहित)		-	160.08
		(55.63)	(55.54)
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		0.16	0.41
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**(47.57)**	**129.44**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(48.25)	(35.77)
जेसीई ऋण निधि में (कमी)/वृद्धि		(5.29)	1.99
वित्तपोषण गतिवधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**(53.54)**	**(33.78)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		**(24.06)**	**(30.72)**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ग)**	**722.54**	**329.82**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(घ)	1,313.70	983.87
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(ड.)	2,036.24	1,313.70
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(घ+ड.)**	**722.54**	**329.83**

नोट :
1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ₹ **15.22 करोड़** (72.25) के एफडीआर शामिल हैं।
5. ईएमडी क प्रति ठेकदारों से प्राप्त नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ₹ **32.23 करोड़** (₹ 26.23 करोड़) की मार्जिन मनी शामिल हैं तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति ₹ **406.00 करोड़** (₹ 248.55 करोड़) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 2263एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

(के.पी.वाही)	**(ललिता गुप्ता)**	**के के गर्ग)**	**मोहन तिवारी**
साझेदार	कम्पनी सचिव	निदेशक/वित्त	प्रबन्ध निदेशक
सदस्यता सं 16164	**एवं म.प्र.विधि**		

स्थान नई दिल्ली
तारीख 10.08.2011

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग, 5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ लगे उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित अल्जीरिया, मोजांबिक, इथोपिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, कानपुर तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों की परियोजनाओं के लेखे शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा विधिवत रूप से नियुक्त सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों ने की है और जिनकी रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है।

   इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।

2. हमने लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वितीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227(4क) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

4. इस अनुसूची 'ध' में लेखा नोटों तथा अनुसूची 'क्यू' में महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

   (क) नोट सं 12(ख): वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2011 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, अन्य चालू परिसम्पतियां ₹ 7.49 करोड़ तक कम, प्रावधान ₹ 3.54 करोड़ तक कम तथा लाभ ₹ 3.95 करोड़ तक कम हो गए हैं।

   ख. नोट सं0-20: वर्ष के दौरान कंपनी ने ''अनुरक्षण अवधि के पश्चात अभिकल्प गारंटी के लिए प्रावधान'' हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए लाभ ₹ 129.69 करोड़ तक कम हो गया है और चालू देयता तथा प्रावधान ₹ 129.69 करोड़ ज्यादा हो गए हैं।

   ग. नोट सं0-21 : वर्ष के दौरान कंपनी ने आरेखन, अभिकल्प तथा परामर्श व्ययों की प्रक्रिया में परिवर्तन किए हैं। पहले इन्हें टर्नओवर आधार पर प्रभारित किया जा रहा था जबकि अब इन्हें प्रदान की गई सेवा के आधार पर प्रभारित किया जा रहा है। इस परिवर्तन के कारण कंपनी के टर्नओवर में इस वर्ष ₹ 118 करोड़ की वृद्धि हुई है, आरेखन, अभिकल्प तथा परामर्श व्ययों में ₹ 83.06 करोड़ की वृद्धि हुई है, लाभ में ₹ 34.94 करोड़ की वृद्धि हुई है। चालू देयताओं में ₹ 47.73 करोड़ की कमी हुई है और चालू परिसंपत्तियों में ₹ 12.79 करोड़ की कमी हुई है।

5 उपयुक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त तथा पैरा (4) के खण्ड-(क) के मद्देनजर उल्लेखनीय है कि -

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बहीखातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा बहीखातों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा व रोकड़ प्रवाह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) में दिए गए लेखाकरण मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप है सिवाय अन्यथा उल्लेख किया जाए।

   (ड.) सरकारी कंपनी होने के नाते भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 829 (ई) तारीख 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) खंड (छ) के निबंधन कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (च) उपर्युक्त पैरा 6 में और उपयुक्त उल्लिखित संलग्नक के अधीन रहते हुए हम सूचित करते हैं कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखे महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-द) के साथ गठित कम्पनी अधिनियम 1956 में अपेक्षित ढंग से सूचना प्रदान करते हैं और निम्नलिखित के मामले में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप सही और उचित अवलोकन प्रस्तुत करते हैं:

      1) तुलनपत्र के मामले में 31.03.2011 को कम्पनी के कार्यकलापों की स्थिति,

      2) लाभ-हानि के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ के बारे में, और

      3) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नगदी प्रवाह के बारे में।

कृते वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(के.पी. वाही)
भागीदार
सदस्यता सं. 16164

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 अगस्त, 2011

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

(उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट)

1. (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

   (ग) वर्ष के दौरान कम्पनी की किसी स्थिर परिसम्पत्ति का पर्याप्त निपटारा नहीं किया गया है जिससे इसकी प्रगतिशील प्रतिदान स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

2. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रूप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

   (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।

   (ग) हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रूप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है ।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए कम्पनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदेश 2003 के पैरा 4 (iii) (ख) से (घ) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

4. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री को देखते हुए पर्याप्त आंरम्भिक नियंत्रण प्रक्रियाएं है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवश्कयता है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच के अनुसार कोई ऐसे लेन-देन नहीं है, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में दर्ज किये जाने की आवश्यकता हो।

6. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58-क और 58कक या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

7. हमारी आय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कम्पनी में युक्तियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

8. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत कम्पनी के लिये लागत अभिलेखों के रखरखाव को विहित नहीं किया है।

9. क) कम्पनी सामान्यतः उपयकुत प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा कम्पनी पर लागू नहीं होती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.03.2011 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है । बशर्ते, ओएफसी बंगलौर परियोजना की अविभाजित बिक्री कर देयता के ₹ 0.08 करोड़ 06 महीने से अधिक समय के लिए बकाया है।

   ख) 31.03.2011 को कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में देय राशियों का विवरण निम्नप्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

राशि का प्रकार	राशि (₹ मिलियन में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय जहां मामला लम्बित है
बिक्री कर	1.99	1995-96	महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिकरण, मुम्बई
बिक्री कर	1.53	1996-97	
रॉयल्टी	0.02	1984-85 तथा 1985-86	उच्च न्यायालय/इलाहाबाद
बिक्री कर	0.99	2002-03	आयुक्त, बिक्री कर, उड़ीसा
बिक्री कर	0.03	1993-94	उच्च न्यायालय, म.प्र.
बिक्री कर	0.87	1997-2002	सहायक आयुक्त(बिक्री कर),बेहाला
बिक्री कर	0.71	2003-04 तथा 2004-05	
बिक्री कर	1.75	1987-88 से 1994-95	बिहार,बिक्री कर अधिकरण
बिक्री कर	1.50	2009-10	उपायुक्त अपील, अजमेर
वैट	8.35	2001-02	विशेष सचिव, खनन विभाग, राजस्थान
बिक्री कर	0.21	1997-98	राजस्व बोर्ड, ग्वालियर
बिक्री कर	0.56	2007-08	उच्च न्यायालय/इलाहाबाद
बिक्री कर	0.52	2010-11	उपायुक्त बिक्री कर, नोएडा
बिक्री कर	1.19	2006-07	उपायुक्त (बिक्री कर) अपील, पंजाब
भविष्य निधि	1.75	2003-04 से 2006-07	भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
बिक्री कर	55.23*	2001-02 से 2006-07	उपायुक्त (बिक्री कर) अपील, जम्मू और कश्मीर
प्रवेश कर	0.07	2007-08	डीसी (अपील)झांसी
यूपीटीटी	1.45	2007-08	आयुक्त, बिक्री कर, उड़ीसा
प्रवेश कर	0.03	2009-10	उपायुक्त (बिक्री कर) अपील, लखनऊ
बिक्री कर	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय/इलाहाबाद
बिक्री कर	0.28	2002-03	
बिक्री कर	0.18	2003-04	
बिक्री कर	0.41	2004-05	
प्रवेश कर	0.15	2006-07	डीसी (अपील)झांसी
यूपीटीटी	0.43	2006-07	
बिक्री कर	0.06	1995-96 से 2000-01	तमिलनाडु बिक्री कर अपील अधिकरण, चेन्नई
बिक्री कर	0.08	1982-83, 1987-88 तथा 1989-90	डीसी (अपील) झांसी
सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमा शुल्क), मुम्बई

बहरहाल, ₹ 16.67 करोड़ की राशि विरोध के रूप में विभाग में जमा करा दी गई थी।

10. हमारी लेखापरीक्षा अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानियां नहीं हुई है न ही इस अवधि में किसी प्रकार की संचित हानियां हुई हैं।

11. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए वित्त संस्था, बैंक या डिवेंचेर धारकों को बकाया की अदायगी में चूक का प्रश्न ही नहीं है ।

12. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा रिकोर्डों की जांच के अनुसार कम्पनी नें शेयरों, डिवेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण और अग्रिमों की अदायगी नहीं की है।

13. हमारी राय में कम्पनी चिट फंड या निधि म्युचुअल हितलाभ फंड/सोसाइटी नहीं है । इसलिए कम्पनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट)आदेश 2003 के खंड 4(13) के उपंबध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

14. हमारी राय में कम्पनी शेयरों प्रतिभूतियों, डिवेंचरों और अन्य निवेशों में लेनदेन या व्यापार नहीं करती है। तदनुसार कम्पनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट, आदेश 2003 की धारा 4 (14) के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते।

15. हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गारंटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

16. कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए आवधिक ऋण जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था उसका उपयोग कम्पनी ने किया है उसका प्रश्न नहीं उठता।

17. चूंकि कम्पनी ऋण मुक्त कम्पनी है, इसलिए अल्पकालीन निधियों का प्रयोग दीर्घकालीन निवेशों तथा निदान के लिये किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

18. हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध पक्षों और कम्पनियों को शेयरों का अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिवेंचर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए पैसे की उगाही नहीं की है।

21. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(के.पी. वाही)
भागीदार
सदस्यता सं. 16164

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 अगस्त, 2010

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखों पर कम्पनी अधिनियम के खंड 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.08.2011 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (3) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेाों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

जॉन के.सैलेटे
प्रधान निदेशक, वाणियिक लेखापरीक्षक
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 06.09.2011

कंपनी अधिनियम,
1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी (इरकॉन आईएसएल) की वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय विशेषताएँ (समेकित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	कुल आय (अन्य आय सहित)	923.55	809.40	792.24	1014.40	1112.79	1543.21	2093.11	2739.46	3216.19	3225.94
2	व्यय (स्टाक में कमी/वृद्धि सहित)	756.25	677.55	701.69	892.50	981.85	1407.98	1891.48	2507.61	2910.99	2791.02
3	प्रचालन मार्जिन	167.30	131.85	90.55	121.90	130.94	135.23	201.63	231.85	305.20	434.92
4	ब्याज व्यय	3.21	0.19	0.12	--	--	--	--	--	--	--
5	मूल्यह्रास	40.09	16.02	11.80	14.14	20.05	24.24	41.17	44.19	41.27	36.90
6	करपूर्व लाभ	127.21	115.83	78.75	107.76	110.89	110.99	160.47	187.66	263.93	398.02
7	करपश्चात् लाभ	103.70	87.06	61.61	88.83	80.66	75.69	113.80	140.18	182.10	237.26
8	लाभांश	17.32	18.81	18.81	20.29	25.74	25.74	29.69	29.69	36.62	49.49
9	विदेशी परियोजना निधि	66.57	60.57	57.57	44.48	44.28	33.10	30.40	27.90	2.90	--
10	सामान्य आरक्षित निधि	532.93	604.27	647.46	721.14	767.71	824.33	903.18	1011.62	1181.68	1369.08
11	अन्य आरक्षित निधि	1.70	2.20	2.35	7.15	7.41	7.15	5.45	25.32	4.80	--
12	आरक्षित तथा सरप्लस	601.20	667.04	707.38	772.77	819.40	864.58	939.03	1064.84	1189.38	1369.08
13	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	60.20	62.25	123.43	135.96	160.10	260.22	279.46	260.05	236.90	271.08
14	माल सूचियाँ	73.60	66.60	58.94	41.37	42.35	89.43	159.01	430.52	373.36	300.46
15	विदेशी मुद्रा आय	284.00	189.88	113.72	72.79	55.97	51.05	37.35	95.58	264.14	427.61
16	शेयर पूंजी	4.95	4.95	4.95	4.95	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
17	प्रयुक्त पूँजी	631.20	671.99	712.33	778.17	829.53	875.68	951.05	1078.05	1204.57	1378.98
18	सरकारी निवेश (इरकॉन द्वारा)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	निवल सम्पति	606.15	671.99	712.33	777.72	829.30	874.48	948.93	1074.74	1199.28	1378.98
20	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ' *	20.15	17.24	11.05	13.85	13.37	12.68	16.87	17.41	21.91	28.86
21	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालन मार्जिन *	26.51	19.62	12.71	15.67	15.78	15.44	21.20	21.51	25.34	31.54
22	शेयर पूंजी पर कर पश्चात् लाभ' *	2095.31	1759.04	1244.80	1794.93	814.93	764.73	1149.71	1416.27	1839.79	2396.57
23	आय पर व्यय'*	81.88	83.71	88.57	87.98	88.23	91.24	90.37	91.54	90.51	86.52
24	कर्मचारियों की संख्या'**	1797	1553	1609	1652	1723	1830	1978	1964	1751	1678
25	प्रति कर्मचारी आय	0.51	0.52	0.49	0.61	0.65	0.84	1.06	1.40	1.84	1.92
26	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय आय	0.16	0.12	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.15	0.25
27	वर्तमान अनुपात**	1.75	1.94	1.79	1.54	1.41	1.25	1.21	1.24	1.31	1.22
28	ऋण/इक्विटी अनुपात**	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	निवेश	65.73	65.58	122.41	200.11	213.29	234.38	245.57	234.50	129.54	180.47

टिप्पणी ***20 से 23 प्रतिशत में***

****24, 27 और 28 रूपए में नहीं हैं।***

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2011 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची	31मार्च 2011 को		31मार्च 2010 को	
निधियों का स्रोत					
शेयरधारकों की निधियां					
शेयर पूंजी	क	**9.90**		9.90	
आरक्षित निधियां और अधिशेष	ख	**1,369.08**	**1,378.98**	1,189.38	1,199.28
ऋण निधि					
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में ऋण निधि में कंपनी का हिस्सा					5.29
कुल			**1,378.98**		1,204.57
निधियों का उपयोग					
स्थिर परिसंपतियां :					
सकल ब्लाक	ग	**517.93**		484.15	
घटाएं: मूल्यह्रास अब तक		**277.50**		256.76	
सकल ब्लाक		**240.43**		227.39	
घटाएं: मूल्यहह्रास अब तक	घ	**28.85**		2.26	
मार्गस्थ मशीनरी		**-**		5.29	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कंपनी का शेयर		**1.80**		1.96	
			271.08		236.90
निवेश	ड.		**180.47**		129.53
आस्थगित कर (निवल)	च-1 व 2		131.09		87.39
चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम					
माल सूचियां	छ	**300.46**		373.36	
विविध देनदार	ज	**847.35**		470.01	
रोकड़ और बैंक शेष	झ	**2,036.33**		1,314.02	
अन्य चालू परिसंपतियां	ट	**77.84**		70.81	
ऋण एवं अग्रिम	ठ	**1,055.58**		878.48	
संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई में कंपनी का अनुपातिक शेयर		**46.29**		46.57	
		4,390.85		3,153.25	
घटाएं - चालू देयताएं प्रावधान					
देयताएं	ड	**2,558.78**		1,767.85	
प्रावधान	ढ	**1,001.03**		597.63	
संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में कम्पनी का आनुपातिक शेयर		**34.70**		37.08	
		3,594.51	**796.34**	2,402.56	750.69
निवल चालू परिसंपत्तियां					
विविध व्यय(बट्टे खाते क स्तर तक)	ण		**-**		0.06
कुल			**1,378.98**		1,204.57
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	त		**--**		--
लेखों पर टिप्पणियां	थ				
अनुसूची 'क' से 'थ' लेखाओं के अंग हैं ।					

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 2263एन

के.पी.वाही	**ललिता गुप्ता**	**के के गर्ग**	**मोहन तिवारी**
साझेदार	कम्पनी सचिव	निदेशक/वित्त	प्रबन्ध निदेशक
सदस्यता सं 16164	**एवं म.प्र(विधि)**		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10.08.2011

समेकित लाभ और हानि लेखा

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा **(₹ करोड़ में)**

विवरण	अनुसूची	2010-11	2009-10
आय :			
प्रचालन आय	ण	**3,140.27**	3,139.11
संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में आनुपातिक भाग		**7.44**	13.06
कुल प्रचालन आय		**3,147.71**	3,152.17
अन्य आय	ण	**78.23**	64.02
कुल आय		**3,225.94**	3,216.19
व्यय :			
प्रचालन व्यय	ण	**2,536.46**	2,776.55
प्रशासनिक और अन्य व्यय	ण	**61.45**	59.80
मूल्यह्रास	ग	**36.90**	41.27
प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	ठ	**190.11**	66.72
संयुक्त रूप से नियंत्रिक इकाई हेतु निर्माण कार्य में कंपनी का शेयर		**0.83**	10.79
कुल व्यय		**2,825.75**	2,955.13
पूर्व अवधि समायोजन/असाधारण मदों के पूर्व लाभ		**400.19**	261.06
पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें	थ	**(2.17)**	2.87
कर-पूर्व लाभ		**398.02**	263.93
कर के लिए प्रावधान			
वर्तमान कर			
- वर्ष के लिए		**179.87**	108.70
- पिछले वर्षों के लिए (निवल)		**24.59**	(0.75)
- आस्थगित कर (निवल)	ड-1व 2	**(43.70)**	(26.13)
		160.76	81.82
कर पश्चात् लाभ		**237.26**	182.11
जोड़े : आवासीय परियोजनाएं आरक्षित पश्चलिखित		**4.80**	0.15
जोड़े : पश्चलिखित विदेशी परियोजना आरक्षित		**2.90**	25.00
निधि विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**244.96**	207.26
विनियोजन			
अंतरिम लाभांश		**25.73**	20.98
अंतरिम लाभांश पर कर		**4.28**	3.57
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		**23.76**	15.64
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर		**3.79**	2.66
सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित शेष		**187.40**	164.41
आमदनियां प्रति शेयर-आधार व विलेचित (रूपए में)		**239.70**	183.99

अनुसूची क से प लेखों का अभिन्न अंग है

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 2263एन

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

के.पी.वाही	**ललिता गुप्ता**	**के के गर्ग**	**मोहन तिवारी**
साझेदार	कम्पनी सचिव व म.प्र (विधि)	निदेशक/वित्त	प्रबन्ध निदेशक
सदस्यता सं. 16020			

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10.08.2011

अनुसूची 'क'

शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2011 को	31मार्च 2010 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
98,98,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 - पूर्णतः प्रदत्त	**9.90**	9.90
कुल	**9.90**	9.90

अनुसूची 'ख'

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
सामान्य आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**1,181.68**		1,011.62	
जोड़े : लाभ और हानि लेखे से अंतरित	**187.40**		164.41	
जोड़े : विदेशी मुद्र उच्चावचन आरक्षित निधि से अंतरित	**-**		5.65	
		1,369.08		1,181.68
विदेशी विनिमय उच्चावचन आरक्षित निधि				
अधिशेष			20.37	
वर्ष के दौरान जोड़			-	
घटाएँ : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित			5.65	
शेष विनियोजन लाभ में अंतरित			14.72	
		-		-
विदेशी परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**2.90**		27.90	
घटाएँ : लाभ हानि लेखे से अंतरित	**2.90**		25.00	
		-		2.90
आवास परियोजना आरक्षित निधि :				
अधिशेष	**4.80**		4.95	
घटाएँ : लाभ हानि लेखे से अंतरित	**4.80**		0.15	
		-		4.80
कुल		**1,369.08**		1,189.38

अनुसूची 'ग'

31 मार्च, 2011 को स्थित परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	01.4.2010 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31.03.2011 को	31.03.2010 तक	वर्ष के लिए (नोट-4)	बिक्री/ समायोजन	31.03.2011 तक	31.03.11 तक	31.03.10 तक
स्वामित्व भूमि	3.45	-	-	**3.45**	-	-	-	**-**	3.45	3.45
पट्टे की भूमि (1 व 6)	36.40	-	-	**36.40**	0.14	0.01	-	**0.15**	36.25	36.26
पट्टे के भवन (5)	41.35	0.27	(1.51)	**40.11**	3.37	0.75	(0.51)	**3.61**	36.50	37.98
पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	9.30	-	-	**9.30**	2.74	0.15	-	**2.89**	6.41	6.56
पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर-आवासीय	10.64	-	-	**10.64**	0.26	0.17	-	**0.43**	10.21	10.38
संयंत्र और मशीनरी (2 व 3)	324.81	49.46	(10.68)	**363.59**	204.23	29.96	(9.56)	**224.63**	138.96	120.58
सर्वेक्षण संयंत्र	4.67	0.16	(0.77)	**4.06**	3.91	0.33	(0.72)	**3.52**	0.54	0.76
कम्प्यूटर	11.71	0.76	(2.43)	**10.04**	9.28	1.53	(2.39)	**8.42**	1.62	2.43
कार्यालय उपस्कर	7.82	0.52	(1.00)	**7.34**	6.17	0.79	(0.91)	**6.05**	1.29	1.65
फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग	8.26	0.42	(1.20)	**7.48**	6.77	1.17	(1.19)	**6.75**	0.73	1.49
कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड	7.70	0.14	(0.74)	**7.10**	7.69	0.10	(0.74)	**7.05**	0.05	0.01
वाहन	18.06	1.23	(0.85)	**18.44**	12.20	2.56	(0.76)	**14.00**	4.44	5.86
चालू वर्ष का जोड़	**484.15**	**52.96**	**(19.18)**	**517.93**	**256.76**	**37.52**	**(16.78)**	**277.60**	**240.43**	**227.39**
पिछले वर्ष के आंकडे	482.62	11.76	(10.23)	**484.15**	225.59	40.99	(9.83)	**256.76**	227.39	257.03

टिप्पणियाँ :-

1. कसबा -कोलकाता में पट्टे की भूमि के संबंध में पंजीकरण, जिनके लिए सकल ब्लाक ₹ 0.24 करोड़ (₹ 0.24 करोड़) तथा निवल ब्लाक ₹ 2.22 करोड़ (₹ 0.23 करोड़) लंबित हैं। तत्पश्चात् मूल्यह्रास का आकलन अनन्तिम आधार पंजीकरण प्रभार सहित लागत पर किया जाता है। निर्माण कार्य अभी आरंभ किया जाना हैं।पट्टे की अवधि 99 वर्ष है।

2. मरम्मत न किए जाने योग्य व बिकने के लिए तैयार निम्नलिखित परिस्थितियों सहित फिक्स परिसम्पतियाँ (वास्तविक व बुक मूल्य से कम पर) :-

(₹ करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र मशीनरी	-	-	0.83	-
कुल	-	-	0.83	-

3. अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित

4. वर्ष के लिए मूल्यह्रास का आवंटन निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
लाभ और खाता		
चालू	36.90	41.27
पिछली अवधि	0.61	(0.28)
प्रगति में पूंजी कार्य	0.01	-
कुल	**37.52**	**40.99**

5. इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य ₹ 3.79 करोड़) शामिल है जिसक लिए करार को अंतिम रूप दिया जाना है।

6. पट्टा स्वामित्व भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास (जी एन आई डी. ए.) की भूमि शामिल है, जिस पर कम्पनी द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय कक्ष (सी आई सी) का निर्माण किया जाएगा (सकल मूल्य ₹ 0.80 करोड़)। भवन के निर्माण के लिए समयावधि को बढाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध किया गया है।

अनुसूची 'घ'

पूंजीगत चालू कार्य*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
अधिशेष	**2.26**	0.66
वर्ष के दौरान जमा	**23.89**	1.50
- कार्य संबंधी व्यय	**0.03**	-
- खरीदी व प्रयोग की गई सामग्री	**0.01**	-
- मूल्यह्रास	**1.46**	0.05
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	**0.06**	-
- भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	**0.77**	0.02
- अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास एवं परामर्श प्रभार		
- किराया- गैर-आवासीय	**0.03**	-
- दरें व कर	**0.12**	-
- वाहन प्रचालन व अनुरक्षण	**0.01**	-
- मरम्मत व अनुरक्षण		
- मशीनरी	**0.01**	-
- मशीनरी को किराए पर लेने क प्रभार	**0.01**	-
- यात्रा व्यय	**0.11**	0.01
- मुद्रण व स्टेशनरी		-
- डाक, दूरभाष व टेलेक्स	**0.01**	-
- विधिक व व्यावसायिक प्रभार	**0.01**	-
- व्यवसाय संवर्धन		0.01
- लेखापरीक्षक का पारीश्रमिक	**0.01**	
- विज्ञापन व प्रचार	**0.02**	0.01
- विविध प्रचालन व्यय	**0.03**	-
कुल	**28.85**	2.26

*प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण

1	कंद्रीय निरीक्षण कक्ष(सी आई सी नोएडा)	**1.77**	1.56
2.	बहुउद्देशीय परिसर	**27.08**	0.70

अनुसूची 'ड·'

निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को			31 मार्च, 2010 को		
	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
दीर्घकालिक निवेश :						
कोट किया गया (व्यापार से इतर):						
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के 6.85% करमुक्त बांड	**6,000**	**61.27**		1,000	10.14	
घटाएं: निवेश पर प्रदत्त प्रीमियम		**0.20**	**61.07**		0.01	10.13
6.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. क कर मुक्त बांड	**5,000**	**50.00**		5,000	50.00	
			50.00			50.00
कोट नहीं किया गया (व्यापार निवेश):						
एकीकृत संयुक्त उपक्रम में निवेश						
सी.सी.एफ.बी. मोजांबिक(1) मैटीशियस 24000 प्रत्येक के 1,250,000 इक्विटी शेयर (2)	**1,250,000**	**5.53**		1,250,000	5.53	
इरकॉन सोमा टोलवे प्रा. लि (2 क व ख) ₹ 10 प्रत्येक के पूर्णत प्रदत्त 63,878,000 इक्विटी शेयर	**63,870,000**	**63.87**	**69.40**	63,870,000	63.87	69.40
कुल			**180.47**			129.53

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन :-

कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	-	खाता मूल्य	**69.40**	69.40
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	-	खाता मूल्य	**111.07**	60.13
	-	बाजार मूल्य	**111.24**	60.21

1. सीसीएफबी के संगम अनुच्छदे के अनुसार कंसेशन की तारीख यथा 9/10 दिसंबर 2005 से 3 वर्षों की अवधि या पुनर्वास कार्य पूरा होने की तारीख तक, जो कोई भी बाद में हो के लिए इन शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हो।

2. मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर ₹ 44.27 के बराबर है ।

   (क) उन आठ बैंकों के कसोर्टियम के साथ प्रतिबद्धता, जिनसे आई एस टी पी एल ने ₹ 450 करोड़ का ऋण लिया है।

   (ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) तीन वर्षों के दौरान आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे। पूर्ण वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.10 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है। बहरहाल, ₹ 450 करोड़ के लिए ऋणदाता के साथ दिनांक 7 अगस्त 2006 को आइ एफ टी पी एल के चरण करार में गहण के पुनर्भगतान तक यथा 30.9.2018 तक 51% की शेयरधारिता का प्रावधान है।

अनुसूची 'च'

मालसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2011 को		31 मार्च, 2010 को	
सामग्री एंव भंडार				
- हाथ में	**56.18**		98.13	
- तृतीय पक्षों के पास	**6.27**		9.38	
- मार्गस्थ	**14.01**		35.04	
		76.46		142.55
संविदागत चालू कार्य				
- लागत पर		**88.46**		80.78
- वसूलनीय मूल्य पर		**135.54**		150.03
कुल		**300.46**		373.36

अनुसूची 'छ'

विविध देनदार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
अनारक्षित :				
छह महीने से अधिक समय से बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	**125.41**		18.13	
- घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**10.53**		8.94	
		135.94		27.07
अन्य				
वसूली योग्य	**748.94**		451.88	
		748.94		451.88
		884.88		478.95
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**10.53**		8.94
कुल		**874.35**		470.01

अनुसूची 'ज'

रोकड़ और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
हाथ रोकड़ (1)		**0.71**		0.28
हाथ में चैक/ड्राफ्ट		**45.62**		0.51
अनुसूचित बैंकों में शेष				
चालू खातों में	**321.60**		102.93	
फ्लैक्सी खातों में	**88.60**		132.66	
जमा खातों में (2) और (3)	**1,525.74**		866.23	
		1,935.94		1,101.82
पारगमन में प्रषण		**1.34**		0.90
अन्य बैंकों में शेष (4)				
चालू खातों में	**21.17**		14.30	
मियादी खातों में	**0.02**		-	
फिक्स डिपाजिट में (5)	**31.53**		196.21	
		52.72		210.51
कुल		**2,036.33**		1,314.02

(1) ₹ 0.0005 करोड़ (₹ 0.007 करोड़) के स्टैम्प-इन-हैंड शामिल है।

(2) ₹ 32.23 करोड़ (26.23 करोड़) के इएमडी के प्रति ठेकदारों से प्राप्त एफडीआर

(3) ग्राहकों से अग्रिम के प्रति ₹ 406.00 करोड़ (₹ 248.55 करोड़) सहित एफडीआर जिस पर ग्राहकों को ब्याज दिया जाता है।

(4) विवरण अनुसूची "ज-1".

(5) ₹ 15.22 करोड़ (₹ 72.25 करोड़) मार्जिन मनी/अंडरलियन सम्मिलित हैं।

अनुसूची 'ज-1'

अन्य बैंकों के साथ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

बैंकों का नाम	शेष		अधिकतम शेष	
	31.03.2011	31.03.2010	**2010-11**	2009-10
चालू खाते				
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया, यू एस डी खाता	**-**	-		0.01
बैंक नर्जारा इंडोनेशिया	**-**	-		0.02
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**0.94**	0.20	**2.58**	2.02
सी आई एम बी बैंक, बेरहाद, मलेशिया	**0.02**	0.18	**0.19**	2.11
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**0.93**	0.10	**54.38**	117.59
स्टेंडर्ड चाटर्ड बैंक, मलेशिया	**0.01**	0.01	**0.01**	0.01
कामर्शियल बैंक आफ इथोपिया	**0.59**	0.68	**1.34**	2.32
नेपाल एस बी आई बैंक लि., धरान	**-**	0.06	**0.50**	0.06
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**0.01**	1.86	**1.86**	4.05
नेपाल बैंक लि., इताहरी	**-**	0.14	**0.14**	0.41
नेपाल बैंक लि., लाहान	**-**	0.01	**0.01**	0.10
बी आई एम (मोजांबीक)	**0.11**	1.00	**1.83**	9.47
बी सी आई फोमैटो, मोजांबीक	**5.09**	3.43	**9.09**	10.21
बीएनपी परिबस, एल्जीरिया	**13.11**	6.32	**89.82**	7.10
बीएनए एल्जीरिया	**-**	0.01	**0.01**	0.03
काबुल बैंक, मजर-ए-शरीफ	**0.03**	0.01	**0.15**	0.01
पीपल्स बैंक, गल्ले	**0.28**	0.29	**1.08**	2.27
पीपल्स बैंक, मेडवोच्चिया	**0.05**	-	**0.16**	-
कुल	**21.17**	14.30		
फ्लैक्सी खाता				
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**0.02**	-	**0.17**	-
कुल	**0.02**	-		
जमा खाते				
सी आई एम बी, बरहाद, मलेशिया	**5.02**	7.61	**8.72**	7.61
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**15.22**	175.11	**276.15**	522.52
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**1.38**	1.26	**1.38**	1.26
इ ओ एन बैंक, बरहाद, मलेशिया	**0.53**	2.35	**2.35**	8.44
सी आई एम बी बरहाद, मलेशिया	**-**	-	**-**	5.76
बीएनपी परिबस, एल्जीरिया	**4.96**	-	**6.08**	-
नेपाल एस बी आई बैंक लि., काठमांडु	**-**	-	**-**	0.12
बी सी आई फोमैटो, मोजांबीक	**4.42**	1.59	**4.42**	1.59
बैनको इंटरनेशनल, मोजांबीक	**-**	7.86	**7.86**	7.86
पीपल्स बैंक, गल्ले	**-**	0.43	**0.43**	2.40
कुल	**31.53**	196.21		

अनुसूची "ण"

अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
निम्न पर प्रोदभूत ब्याज				
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		**1.30**		1.35
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**0.34**		0.34
स्थगित देयताएँ (इराक परियोजनाएँ)		**31.82**		31.82
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**1.02**		1.01
निम्न पर जमा व अग्रिम :				
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**28.01**		22.90
अनुसूचित बैंकों में जमा	**13.77**		13.10	
गैर-अनुसूचित बैंकों में जमा	**0.01**		0.02	
गैर-अनुसूचित बैंकों में जमा		**13.78**		13.12
बांड		**1.57**		0.27
कुल		**77.84**		70.81

अनुसूची 'झ'

ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को		31 मार्च 2010 को	
रक्षित (वसूली योग्य):				
कर्मचारियों को ऋण	**2.50**		2.59	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम	**68.84**		64.83	
		71.34		67.42
आरक्षित:				
ब्याज धरित ऋण :				
भारतीय रेल कल्याण संगठन	**-**		0.20	
संयुक्त उद्यम :				
सी. सी. एफ. एन.	**93.24**		91.49	
आईएसपीएल	**10.00**		10.00	
		103.24		101.69
प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए रोकड़ पर प्रकार में वसूलनीय मूल्य				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट तथा अन्य प्राधिकरणों में जमा :				
- बिक्री कर	**21.75**		13.14	
- सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य	**10.68**		9.86	
		32.43		23.00
जमा, वसूलनीय दावे एंव प्रतिधारण राशि		**193.91**		170.97
वसूल की जाने वाली राशि संयुक्त उद्यमों:				
सी. सी. एफ. एन.	**1.40**		1.57	
आईएसपीएल	**-**		0.01	
		1.40		1.58
अग्रिम :				
- ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता तथा अन्य	**174.04**		143.45	
- स्टाफ	**3.11**		1.90	
- बिक्रीकर (टीडीएस सहित)	**34.58**		39.91	
- मूल्य संवर्धित कर (शुद्ध)	**47.96**		20.77	
- आयकर (टीडीएस सहित)	**401.87**		301.74	
₹ 0.11करोड़ (₹ 0.12 करोड़ की सम्पति कर सहित)		**661.56**		507.77
पूर्वप्रदत्त व्यय		**9.21**		22.54
कुल		**1,073.09**		894.97
सुरक्षित वसूली योग्य		**71.34**		67.42
अरक्षित वसूली योग्य		**984.24**		811.06
अरक्षित वसूली योग्य		**17.51**		16.49
		1,073.09		894.97
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**17.51**		16.49
कुल		**1,055.58**		878.48

निदेशकों से देय राशि का विवरण

चालू वर्ष		गत वर्ष	
वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष	वर्ष के अंत में शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष
0.021	**0.077**	शून्य	0.032

अनुसूची 'ट'

वर्तमान देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
विविध लेनदार		
- लघु उद्योग/उपक्रम	**-**	-
- अन्य	**461.06**	508.92
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम (1)	**960.84**	497.09
प्राप्त अग्रिम कार्य	**780.49**	456.93
जमा व प्रतिधारण राशि (2)	**296.30**	258.90
रिकॉन को देय राशि	**11.08**	3.48
बुक ओवरड्राफ्ट	**3.42**	1.19
अन्य देयताएं	**45.59**	41.34
कुल	**2558.78**	1767.85

1. इसमें ₹ 5.49 करोड़ (₹ 61.98 करोड़) का खाता ओवरड्रफ्ट शामिल हैं।
2. ईएमडी क प्रति ठेकेदार से प्राप्त एफडाआर ₹ 33.23 करोड़ (₹ 26.23 करोड़) शामिल हैं।

अनुसूची 'ठ'

प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.4.2010 को अधिशेष	2010-11 के दौरान			31.03.2011 को अंत शेष
		योग	पश्च-लिखित'	उपयोग	
प्रावधान :					
उपदान	37.66	8.83	-	1.88	**44.61**
घटा : एल आई सी उपदान के दावे	4.11	-	-	-	**4.07**
	33.55	**8.83**	-	**1.88**	**40.54**
छुट्टी वेतन के लिए	38.18	18.16	-	2.32	**54.02**
सेवानिवृति पर भुगतान भत्तों के लिए	1.29	0.16	-	-	**1.45**
पेंशन	-	9.20	-	-	**9.20**
सेवानिवृति लाभों का योग (क)	**73.02**	**36.35**	**-**	**4.20**	**105.21**
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (ख)	21.54	11.50	4.92	5.01	**23.11**
संदिग्ध ऋण के लिए	8.94	1.85	0.26	-	**10.53**
संदिग्ध अग्रिम के लिए	16.49	1.92	0.87	0.03	**17.51**
विसंग्रहण के लिए	9.61	6.60	0.48	0.25	**15.48**
अनुरक्षण के लिए	22.06	19.32	0.68	3.28	**37.42**
भावी आकस्मिकताओं के लिए (संविदा)	29.91	13.66	10.29	13.10	**20.18**
अभिकल्प गारंटी	-	129.69	-	-	**129.69**
निगमित सामाजिक दायित्व	-	1.61	-	0.83	**0.78**
देयताएं (विधि मामले)	24.49	16.09	0.06	10.62	**29.90**
अन्य व्यय	60.65	13.67	1.66	3.39	**69.27**
अन्य कर, फ्रिंज लाभों व सम्पति कर के लिए	338.05	212.29	7.84	0.12	**542.38**
प्रस्तावित व अन्तिम लाभांश के लिए	15.64	49.49	-	41.37	**23.76**
प्रस्तवित व अन्तिम लभांश पर कर के लिए	2.66	8.07	-	6.88	**3.85**
कुल (क)	**623.06**	**522.11**	**27.06**	**89.08**	**1,029.07**
समयोजनः					
अनुसूची 'छ' में विचारित संदिग्ध ऋण के लिए	8.94				**10.53**
अनुसूची 'झ' में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	16.49				**17.51**
सेवानिवृति लाभ (उपर्युक्त क)		36.35	-	4.20	
वेतन भत्तों और लाभों सहित पी आर पी (उपर्युक्त ख)		11.50	4.92	5.01	
आयकर के लिए अलग से प्रदत्त/विचारित लाभांश *		212.29	7.84	0.12	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं		49.49	-	41.37	
अलग से प्रदत्त/विचारित लाभाशं पर निगमित कर		8.07	-	6.88	
कुल (ख)	**25.43**	**317.70**	**12.76**	**57.58**	**28.04**
निवल : चालू वर्ष (क-ख)	**597.63**	**204.41**	**14.30**	**31.50**	**1,001.03**
पूर्व वर्ष	419.30	92.41	12.51	25.96	597.64

नोट	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
सकल प्रावधान(जमा/पश्चलिखित)लाभ व हानि लेखे मे शामिल किये गए	**190.11**	66.72
अनुसूची ठ क अन्तर्गत सेवानिवृति लाभ	**32.15**	15.22
अनुसूची ठ क अन्तर्गत वेतन संबंधी कार्य निष्पादन	**1.57**	13.19
अनुसूची ठ से लिए गए प्रावधान (उपयोग)	**31.50**	25.96

अनुसूची 'ड-1'

आस्थगित कर परिसम्पतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2010 को	2010-11 के दौरान योग (लोप)	31.03.2011 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	7.62	**6.35**	**13.97**
- भावी हानियां	9.94	**(3.39)**	**6.55**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	8.10	**1.00**	**9.10**
- उपदान के लिए	12.51	**1.98**	**14.49**
- विधिक मामलों के लिए	5.05	**4.65**	**9.70**
- अभिकल्प गारंटी		**32.42**	**32.42**
- अन्य	27.30	**2.93**	**30.23**
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.11	**(0.05)**	**0.06**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमत, जब प्रदत्त हो	13.80	**7.06**	**20.86**
- प्राथमिक व्ययों को 3/5	-	**0.02**	**0.02**
कुल	**84.43**	**52.97**	**137.40**

अनुसूची 'ड-2'

आस्थगित कर देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	कुल	कुल
	01.04.2010 को	2010-11 के दौरानयोग (लोप)	31.03.2011 को
मूल्यह्रास	(2.96)	9.27	**6.31**
कुल	**(2.96)**	**9.27**	**6.31**
आस्थगित कर(सकल)	87.39	**43.70**	**131.09**

अनुसूची 'ढ'

आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2009-10	
प्रचालन आय				
संविदा प्राप्तियाँ	**3,112.51**		3,108.79	
लोको पट्टा	**26.20**		23.66	
मशीनरी किराया प्रभार	**1.56**		6.66	
		3,140.27		3,139.11
अन्य आय				
बांडों पर ब्याज (सकल) (1)		**5.41**		0.60
बैंक ब्याज सकल (2)	**57.30**		47.79	
घटा: ग्राहकों को वापस किया गया ब्याज	**15.70**	**41.60**	18.07	29.72
आयकर की प्राप्त वापसी पर ब्याज		**-**		0.96
अग्रिमों पर ब्याज		**8.11**		9.91
स्टाफ अगिमों पर ब्याज		**0.26**		0.34
परिसम्पतियों की बिक्री से लाभ		**5.15**		0.50
विविध प्राप्तियाँ (3)		**17.70**		21.99
		78.23		64.02
कुल		**3,218.50**		3,203.13

(1) स्रोत पर काटा गया ₹ **शून्य करोड़** (₹ 0.01 करोड़) शामिल हैं।

(2) स्रोत पर काटा गया ₹ **5.20 करोड़** (₹ 5.20 करोड़ शामिल है।)

(3) दावा न किए गए बटटा खाते के ₹ **1.86 करोड़** (₹ 1.32 करोड़) शामिल हैं।

अनुसूची 'ण'

व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
1 व्यय				
कार्य व्यय	**1,615.97**	1,803.27	**-**	-
	-	-	**-**	-
कार्य व्यय का योग	**1,615.97**	1,803.27	**-**	-
2 प्रगतिरत कार्य मे कम/(वृद्धि)	**(7.68)**	10.87	**-**	-
3 उपयोग की गई सामग्री व भंडारण				
आरम्भिक शेष	**107.50**	165.07	**-**	-
जोड़े : वर्ष के दौरान खरीदे	**477.12**	588.23	**-**	-
	584.62	753.30	**-**	-
घटाएं : रोकड़ बाकी	**62.45**	107.50	**-**	-
सामग्री व भंडार उपयोग का जोड़	**522.17**	645.80	**-**	-
4 कर्मचारियों का पारिश्रमिक और हितलाभ (1)				
वेतन, मजदूरी, बोनस एवं भते	**96.61**	105.16	**25.67**	27.52
भविष्य व अन्य निधियों में अंशदान	**5.27**	6.86	**1.96**	2.43
विदेश सेवा अंशदान	**0.57**	0.52	**0.50**	0.53
सेवानिवृति लाभ	**32.15**	15.22	**-**	-
वी आर एस व्यय	**-**	-	**0.03**	0.10
स्टाफ कल्याण	**1.94**	2.82	**0.36**	0.55
कर्मचारी पारिश्रमिक और हितलाभ का जोड़	**136.54**	130.58	**28.52**	31.13
5 अन्य व्यय				
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच और सर्वक्षण व्यय आदि	**150.73**	61.97	**-**	-
विनिमय उच्चावचन हानि	**1.98**	1.55	**-**	-
			-	
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ	**27.86**	52.33	**-**	-
निवल विनिमय उच्चावचन हानि	**3.81**	21.61	**-**	-
किराया-गैर आवासीय	**24.06**	30.72	**-**	-
दर एवं कर	**3.54**	3.07	**0.42**	0.22
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण	**39.43**	18.10	**1.37**	0.19
मरम्मत और रखरखाव	**12.84**	16.37	**0.77**	0.71
- मशीन	**17.01**	22.73	**-**	-
- भवन	**0.26**	0.32	**0.45**	0.39
- कार्यालय तथा अन्य	**1.88**	3.42	**1.94**	1.51
बिजली, विद्युत व जल प्रसार	**3.34**	2.42	**1.18**	1.03
मशीनरी का किराया प्रभार	**12.00**	15.03	**-**	-
बीमा	**9.55**	8.86	**0.03**	0.02
यात्रा और वाहन	**9.06**	8.51	**2.25**	2.44
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**1.94**	2.17	**0.89**	1.05
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स	**1.96**	2.65	**0.63**	0.66
विधिक और व्यावसायिक प्रसार	**2.44**	3.56	**1.24**	2.38
सुरक्षा सेवाएं	**4.56**	3.42	**0.27**	0.21
व्यवसाय संर्वधन	**0.95**	0.63	**0.09**	0.24
अशोध्य परिसंपति बट्टा खाता	**0.01**	0.02		-
परिसंपति तथा भंडार की बिक्री से हानि	**-**	-	**0.06**	0.02
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन	**-**	-	**0.14**	0.01
बैंक और अन्य वित प्रभाव	**-**	-	**0.20**	0.02
लेखापरीक्षकों की फीस	**-**	-	**14.15**	12.42
चंदा	**-**	-	**0.02**	0.03
लेखापरीक्षकों की फीस (2)	**-**	-	**0.03**	0.15
विज्ञापन और प्रसार	**-**	-	**0.60**	0.42
प्रशिक्षण और भर्ती	**-**	-	**4.38**	3.44
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	**-**	-	**0.30**	0.17
विवित व्यय	**3.42**	6.47	**0.83**	-
	300.96	212.99	**0.69**	0.98
घटाएं-उपयोग किए गए प्रावधान (3)	**31.50**	25.96	**32.93**	28.67
अन्य व्यय का जोड़	**269.46**	186.03	**-**	-
कुल	**2,536.46**	**2,777.65**	**32.93**	28.67
			61.45	**59.80**

(1) ₹ 0.23 करोड़ (₹ 0.42) करोड़ अनुलब्धियों पर आयकर शामिल है।

(2)

सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	**2010-11**	2009-10
(I) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.25**	0.19
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.02**	0.05
(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.60**	0.06
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	**0.04**	0.07
- विदेशी	**0.03**	0.05
कुल	**0.94**	0.42

(3) अनुसूची ण में विवरण दिया गया है

अनूसूची 'त'

पूर्व अवधि समायोजन और असाधारण मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2009-10	
पूर्व अवधि मदें:				
आय :				
कार्य प्राप्तियाँ	**(4.15)**		(0.16)	
जमा/ऋणें पर ब्याज आय	**-**		4.14	
विविध प्राप्तियाँ	**0.50**		0.05	
		(3.65)		4.03
व्यय				
कार्य व्यय	**(2.45)**		0.18	
प्रशासनिक व्यय	**-**		0.05	
मूल्यह्रास	**0.61**		(0.28)	
अन्य	**0.36**		1.21	
		(1.48)		1.16
कुल		**(2.17)**		2.87

अनूसूची 'थ'

विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले जाने के स्तर तक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2010-11**		2009-10	
प्रारम्भिक शेष /वर्ष के दौरान किया गया व्यय	**0.06**		0.08	
बट्टा खाता - प्राथमिक व्यय	**0.06**	**-**	0.02	0.06
कुल		**-**		0.06

अनुसूची 'ध' (समेकित)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. तैयार करने के आधार

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत लेखाकरण सिद्धान्तों की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए (10 मिलियन) के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

2. समेकित वित्तीय विवरण

इरकॉन इंटरनेशलन लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह समव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों की बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

3. अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण नियमों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

3. विदेशी मुद्रा सौदे

क) देश के भीतर सौदे

देश के भीतर मुद्रा सौदों को रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है।

1) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित तार अंतरण (टीटी) क्रय दर पर किया जाता है।

2) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

3) मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य के परिवर्तन प्रचलित बंद तार अंतरण क्रय दर पर किया जाता है।

4) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर अंतरण मूल्य दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

1) राजस्व मदों को भारतीय मुद्रा में प्रारम्भिक और अंतिम तार अंतरण क्रय दर की मासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2) मालसूचियों को प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को तार क्रय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

3) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

4) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं अंतिम क्रय का उपयागे करके परिवतिर्त की जाती हैं।

5) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर क्रय का उपयागे करके परिवतिर्त किया जाता है।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

1) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक दोनों को अंतिम तार अंतरण क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

2) आय और व्यय मदों को आरंभिक व अंतिम तार अंतरण क्रय दर के औसत पर रूपांतरित किया जाता है।

3) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

5. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

क) स्थिर परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल स्थिर परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत किया जाता है।

ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

6. निवेश

क. दीर्घकालिक निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

7. मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

i) प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

8. रोकड़ एवं रोकड़ समान

तुलन पत्र में रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद तथा मांग जमा तथा उपलब्ध चेक शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

9. प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

I) लागत और नियत लाभ ठेकों के मामलों में अनुरक्षण करने की आवश्यकता है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में खराबी/सुधार के लिए कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के मद्देनजर प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के संभावित जोखिम के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है।

ख) विनियोजना के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशाक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाये। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

1) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

2) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

3) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

10. संविदा राजस्व का लेखांकन

"संविदा राजस्व" का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है।

(क) लागत और नियत लाभ ठेकों की प्राप्तियों का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदें और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ख) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुरूपात के रूप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

प्राप्तियों की बिक्रीकर आदि, जैसे लागू हो, सम्मिलित है।

11. संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके :

संयुक्त उद्यम के अधीन निष्पादित ठेके

1. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रचालनों में ठेकों को स्वतंत्र ठेके के रूप में लेखाकरण किया जाता है।
2. संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के द्वारा निष्पादित ठेकों के मामलों में संयुक्त उद्यम में हुए लाभ/हानि को उनके निर्धारण के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

12. पट्टे

1. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।
2. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में लिया गया है।

13. निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

1) वास्तविक रूप से प्रदत्त/वसूले गये निर्णीत हर्जाने को संविदा राजस्व/संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा । संविदागत बाध्यता से उत्पन्न निर्णीत हर्जाने लेकिन वार्ता अधीन और अदा करने योग्य नहीं और ग्राहक से वसूला नहीं गया, को प्रासंगिक देयता के रूप में माना जाता है।

2) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

14. अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय आय को प्रभारित किए जाते हैं।

15. संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

16. मूल्यह्रास

i) भारत में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी लाइन विधि (एसएलएम) से कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XVi में विहित रीति और विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है सिवाय निम्न मामलों में जिनके लिए उपर्युक्त अनुसूची में विहित दरों से अधिक दरें प्रदान की गई है :-

क.	सामान्य निर्माण उपस्कर	19.00%
ख.	कार्यालय उपस्कर	19.00%
ग.	यूपीएस और इनवर्टर सहित कम्प्यूटर	31.67%
घ.	वाहन (भारी वाहनों सहित)	23.75%
ड.	फर्नीचर और जुड़नार	23.75%
च.	स्पीड बोट्स	19.00%

ii) विदेशों में स्थिर परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक काल परियोजना की अवधि आदि को ध्यान में रखकर सीधी लाइन विधि पर किया गया है। तथापि मूल्यह्रास की अपनाई गई दर भारत मे स्थिर परिसम्पतियों के लिए अनुसूची xiv में विनिर्दिष्ट दर से कम नहीं है (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 15(i)मे बताया गया है)। परियोजना के बंद होने पर परिसम्पत्तियां वास्तविक मूल्य के 5% तक कम हो जाती है तथा शेष को वर्ष की समाप्ति में प्रभारित और/या अन्य परियोजना/संयंत्र मशीनरी विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

iii) ₹ 25 लाख से अधिक प्रत्येक साफ्टवेयर लागत को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में समीक्षा करके साफ्टवेयर को सफलतापूर्वक शुरू करने की तारीख से सीधी लाइन विधि आधार पर 36 माह की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

iv) पट्टे की भूमि के संबंध में मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

v) वर्ष के दौरान अधिग्रहित ₹ 5000 तक की लागत वाली परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के आरंभ में ₹ 5000 तक हासिल मूल्य की परिसम्पत्तियों और वर्ष के दौरान उपार्जित कैंपों/करवेनों/अस्थायी शेडों/साजसामान, चाहे मूल्य कुछ भी हो, को वर्ष में पूर्णतः हासिल किया जाता है।

17. उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

18. सेवानिवृति लाभ

i) छुट्टी नकदीकरण, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

ii) भविष्य निधि अंशदान को पीएफ न्यास में प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

19. पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

i) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में ₹ 5000 से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

20. कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

21. खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालनों पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

22. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

1. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या
2. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या
3. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

अनूसूची 'न' (समेकित)

प्रकटनों सहित लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. प्रासंगिक देयताएं जिनका प्रावधान नहीं किया गया है :

   क) कम्पनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है ₹ 349.18 करोड़ (₹ 273.65 करोड़) है। इसके विपरीत, कम्पनी ने ₹ 61.79 करोड़ (₹ 101.42 करोड़) का प्रति दावा किया है। यदि कम्पनी के विरूद्ध दावे कार्यान्वित होते हैं तो ₹ 143.24 करोड़ (₹ 102.89 करोड़) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की जाएगी। निश्चित न किए जाने वाले दावों पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा।

   ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

   ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है ₹ 114.27 करोड़ (₹ 132.03 करोड़) हैं। जिनमें से ₹ 29.31 करोड़ (₹ 31.44 करोड़) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

   घ) ग्राहकों द्वारा समय बढ़ाने हेतु आवेदन के लम्बित मामलों के निपटान के लिए कंपनी ₹ 0.03 करोड़ (₹ 6.11 करोड़) के स्तर तक निर्णीत व्यक्तियों को भुगतान किए जाने के लिए आकस्मिक रूप से बाध्य है।

   ड) फ्लैटों के लिए सी आई डी सी ओ को बकाया बैंक गारण्टी के ₹ 0.15 करोड़ (₹ 0.15 करोड़) है।

   च) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर द्वारा ₹ 1.75 करोड़ (₹ 1.75 करोड़) के दावे।

2. वित्त वर्ष 2001-02 से 2006-07 तक की अवधि के लिए रेलवे से संविदागत कार्यों के रूप में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उत्पन्न कर देयताएं व उन पर ब्याज पर जम्मू और कश्मीर कर विभाग द्वारा ₹ 55.23 करोड़ की मांग की गई है। बहरहाल, मांग की गई बिक्री कर की ₹ 16.67 करोड़ (₹ 12.58 करोड़) की राशि का भुगतान विरोध के साथ विभाग को किया गया है। इस राशि को व्यय के रूप में प्रभारित किया गया और बिल ग्राहक को दिया गया है। कंपनी ने सम्पूर्ण आकलन के लिए उपायुक्त, बिक्री कर (अपील) के समक्ष अपनी अपील दायर की है और यह मामला लंबित है। कंपनी का मत है कि इस लेखे के प्रति कोई अतिरिक्त देयता नहीं होनी चाहिए, इसलिए, खाता बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बहरहाल, शेष राशि को आकस्मिक देयता का रूप में लिया गया है। वित्त वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए विभाग द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

3. क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि ₹ 0.22 करोड़ (₹ 0.57 करोड़)है।

   ख) सहायक कंपनी (इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड) के मामले में संविदा की अनुमानित राशि ₹ 74.79 करोड़ (₹ 104.57 करोड़) हैं

4. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत तीसरे पक्षों के साथ दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/समायोजन के मद्देनजर हैं। कम्पनी उपर शामिल कम्पनियों की पुष्टि के लिए पत्र भेज रही है।

   ख) बिक्री-कर (टीडीएस सहित), मूल्य संवर्धन कर (वीएटी), आयकर (टीडीएस सहित) को पुष्टि/पुनर्वनियोजन/समायोजन, यदि कोई हो के मद्देनजर अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

   ग) प्रबन्धन के मतानुसार वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

5. क. विदेशी मुद्रा में आय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**1528.64**	1225.59
बैंक ब्याज	**8.18**	10.13
अन्य ब्याज	**0.14**	0.07
विदेशी मुद्रा घट/बढ़ लाभ	**3.50**	21.61
अन्य	**4.67**	3.64
कुल	**1545.13**	1261.04

ख. विदेशी मुद्रा में आय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
प्रचालन व्यय	**728.21**	787.07
परामर्शदात्री प्रभार	**12.83**	14.94
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि	**28.75**	52.33
प्रशासनिक और अन्य व्यय	**347.73**	147.56
कुल	**1117.52**	996.89

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
पूंजीगत माल	**-**	-
सामग्री	**17.76**	11.76
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**0.23**	-
कुल	**17.99**	11.76

6. पट्टे संबधित प्रकटन

I. इंजनों के लिए प्रचालन पट्टे

क. कंपनी ने 31.03.2011 को विदेशी क्लाइंट को 25 इंजनों को पट्टे पर दिया गया है। वर्तमान में, पट्टा की वैधता 31.12.2011 तक है।

ख. निम्नलिखित अवधियों के दौरान प्रचालन पट्टा के अधीन भावी निम्नतम पट्टा किराया देय/प्राप्य निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
प्राप्य	**20.13 (13)**	**शून्य (शून्य)**	**शून्य (शून्य)**
देय	**शून्य (शून्य)**	**शून्य (शून्य)**	**शून्य (शून्य)**

ग. वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा व्यवसाय परिसम्पति पर मूल्यह्रास का प्रकटन :-

(₹ करोड़ में)

परिसंपतियों का विवरण	31.03.2011 को	31.03.2010 को
परिसंपतियों की सकल राशि	**24.82**	24.82
संचित मूल्यह्रास	**8.82**	6.39
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**2.43**	1.26

II. हल्के वाहनों के लिए प्रचालन पट्टा

कम्पनी ने पांच (पांच) हल्के वाहनों को प्रयोग के लिए पट्टादाता से खरीदने के दायित्व के बिना प्रचालन पट्टे पर लिए है। भावी न्यूनतम पट्टा किराया देय निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक से पांच वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	**0.06 (0.07)**	**0.04 (0.09)**	**(शून्य) (शून्य)**

III. परिसरों के लिए प्रचालन पट्टे

कम्पनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, गैस्ट हाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संबंध में है। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है, एक वर्ष के लिए है तथा समान्यतः आपसी सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध मे शुद्ध पट्टा भुगतानों के प्रति कर्मचारी वेतन एवं लाभों के अन्तर्गत व्यय अनुसूची में ₹ 5.15 करोड़ (₹ 6.31 करोड़) शामिल हैं। कार्यालय परिसरों, गेस्ट हाऊसों, ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान ₹ 3.99 करोड़ (₹ 3.29 करोड़) को अनुसूची 'ठ' में दर्शाया गया है।

IV. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले मे पट्टा संबंधी प्रकटन

क. रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 के तहत चिन्हित स्थलो पर बहुउद्देशीय परिसरो के विकास की घोषणा की है जिन्हे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा।

ख. तदानुसार इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच 21.08.2009 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 21 अगस्त, 2009 को इरकॉन तथा आरएलडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार बहुउद्देशीय परिसरों के विकास, प्रचारल तथा अनुरक्षण का कार्य इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय परिसरों के लिए आरएलडीए तथा (डब्ल्यूओएस) यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के बीच एक पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		अन्य*		कुल	
	10-11	09-10	**10-11**	09-10	**10-11**	09-10	**10-11**	09-10
क. आवर्त्त								
प्रचालन आय	**1576.54**	1196.25	**1568.36**	1952.25	**2.81**	4.38	**3147.71**	3152.88
अन्य आय	**10.73**	20.56	**17.88**	14.82	**49.62**	28.65	**78.23**	64.03
अंत खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**1587.27**	1216.81	**1586.24**	1967.07	**52.43**	33.03	**3225.94**	3216.91
ख. परिणाम								
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**542.60**	240.02	**64.03**	119.63	**18.40**	25.53	**625.03**	385.18
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**158.41**	8.93	**30.22**	53.61	**1.48**	17.37	**190.11**	79.91
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	**16.51**	16.82	**16.01**	19.51	**4.38**	4.94	**36.90**	41.27
ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**367.68**	214.27	**17.80**	46.51	**12.54**	3.23	**398.02**	264.01
कर के प्रावधान	**131.70**	57.45	**17.69**	22.80	**11.37**	1.58	**160.76**	81.83
कर पश्चात् लाभ	**235.98**	156.82	**0.11**	23.71	**1.17**	1.65	**237.26**	182.18
ग. अन्य सूचना								
परिसंपत्तियां	**2114.50**	1158.14	**1186.43**	1021.16	**1672.56**	1427.89	**4973.49**	3607.19
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**99.84**	65.87	**86.20**	85.27	**85.04**	85.05	**271.08**	236.19
देयताएं	**1876.17**	973.87	**1152.39**	958.74	**565.95**	469.93	**3594.51**	2402.54
पूंजीगत व्यय : स्थिर परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी	**50.71**	3.39	**1.13**	6.50	**1.12**	1.87	**52.96**	11.76

**अन्यों में गैर-आवंटित राजस्व, व्यय, परिसम्पतियां तथा देयताएं शामिल हैं।*

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रचालन आय		खण्ड परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियों में बठौतरी	
	2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10
निर्माण आदि	**3121.51**	3129.23	**4952.84**	3564.93	**52.85**	11.51
पटटा और प्रचालन	**26.20**	23.65	**20.65**	42.26	**0.11**	0.25
जोड़	**3147.71**	3152.88	**4973.49**	3607.19	**52.96**	11.76

8) संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) संयुक्त उद्यमों की सूची :

I) प्रचालनरत:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2011	2010
1	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइट्स, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
3	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इनफ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05
4	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल@	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
5	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कंट्रेक्टर (आइएमसीसी) (05.03.06 को कार्य पूरा हो गया है)	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
6	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एम टी जी) (07.04.10 को कार्य पूरा हो गया है)	दाईविदेग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि., भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50

(ii) बंद संयुक्त उद्यम:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2011	2010
1	इरकॉन कोबरा- इलियोप (15.06.07 को कार्य पूरा हो गया है)	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
2	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स (परियोजना बंद हो गई है, भुगतान अभी प्राप्त किया जाना है।)	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
3	एसएमजे-इरकॉन (परियोजना बंद हो गई है, अंतिम निपटान अभी किया जाना है।)	इरकॉन, भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**25.00** **75.00**	25.00 75.00
4	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम (कार्य पूरा हो गया है)	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00

ख) संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदारी व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का प्रतिशत	
			2011 को	2010 को
1	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2	इरकॉन-सोना टोलवे प्रा. लि.	इरकॉन, भारत सोना इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00

@दिनांक 01.05.2008 से संयुक्त उद्यम साझेदारों ने संयुक्त उद्यम प्रचालन की प्रकृति में परिवर्तन किया है जिसके अनुसार शेष कार्य के स्कोप को पूर्ववर्ती संयुक्त नियंत्रण के विपरीत आपस मे विघटित कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरुप संयुक्त उद्यम की प्रकृति संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाई (जेईसी) से परिवर्तित होकर अब संयुक्त नियंत्रित प्रचालन (जेसीओ) हो गई है। लेखाकरण नीति संख्या 10(ii) के अनुसार 30.04.2008 तक अनुपातिक समेकन पद्धति का अनुसरण किया गया है और तत्पश्चात जेसीओ के संबंध में कंपनी की अनुसूची फ के लेखाकरण नीति संख्या 10 (ii) के अनुसार स्वतंत्र ठेकों के रुप मे लेखांकित किया गया है।

ग) जेसीई के आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	रिकॉन-सीटा-एसएआरएल		रिकॉन		आईएमसीसी		एमटीजी		कुल	
		2010-11	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10	**2010-11**	2009-10
1.	आय	**-**	-	**2.83**	3.99	**0.19**	0.02	**4.43**	9.03	**7.44**	13.06
2.	व्यय	**-**	-	**0.97**	2.27	**0.09**	0.02	**(0.23)**	8.50	**0.83**	10.79
3.	नियत परिसंपत्तियां	**1.79**	1.79	**-**	-	**-**	-	**0.004**	0.17	**1.80**	1.96
4.	चालू परिसंपत्तियां	**21.07**	22.98	**12.95**	12.44	**4.89**	4.61	**7.38**	6.55	**46.29**	46.57
5.	चालू देयताएं	**24.24**	24.77	**4.06**	5.41	**4.61**	1.39	**1.79**	5.49	**34.70**	37.08
6.	ऋण निधि	**-**	-	**-**	5.29	**-**	-	**-**	-	**-**	5.29

घ) 31.3.2011 को आई एम सी सी के मामले में आकस्मिक दयेता के प्रति इंडैमनिटी बांड में कम्पनी का शेयर ₹ 1.24 करोड़ (₹1.24 करोड़) है।

ड.) 31.3.2011 को आई एम सी सी के मामले में बिक्री कर देयता का समानुपातिक शेयर ₹ 4.25 करोड़ (₹ 4.25 करोड़) है और सेवा कर ₹ 1.01 करोड़ (₹ 1.01 करोड़) है।

च) 31.3.2010 को एम टी जी के मामले में बैंक गारन्टी के कम्पनी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 2.32 करोड़ (₹ 4.69 करोड़) है।

छ) 31.3.2011 को एम टी जी के मामले में सेंट्रल एक्साइज को निगमित गारन्टी के भाग के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 1.54 करोड़ (₹1.54 करोड़) है ।

ज) 31.03.2011 को इरकॉन- आरसीएस-पीफ्लिडेरर के मामले में बैक गारंटी के कम्पनी के शेयर के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 0.91 करोड़ (₹ 0.91 करोड़) है।

झ) कंपनी ने वर्ष के दौरान आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋण के 50% के रूप में ₹ 30 करोड़ की निगमित गारंटी प्रदान की है।

ट) 31.3.2011 को आयकर देयता के संबंध में आईआईएमएम (संयुक्त उद्यम) के मामले में कंपनी की भागीदारी के प्रति आकस्मिक देयता ₹ 5.29 करोड़ (₹ 3.25 करोड़) है।

9. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त क्रम सं. 8(क) की सूची के समान।

संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त क्रम सं8(ख) की सूची के समान।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी: इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)

ख. प्रमुख प्रबन्ध निदेशक:

निदेशक : सर्वश्री मोहन तिवारी, के.के. गर्ग तथा दीपक सभलोक (16.04.2010 से नियुक्त),मदन लाल (31.12.2010 को सेवानिवृत) तथा हितेश खन्ना(07.03.2011 से नियुक्त)।

ग. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देनों का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	2010-11	2009-10	**31.3.2011 को**	31.3.2011 को
प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों को परिश्रमिक (उपर्युक्त 'ख')तथा अन्य स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट सं0-10 के अनुसार		**शून्य**	शून्य
उन उद्यमों से सेवाएं जहां निदेशकों का हित विद्यमान है	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
सीसीएफबी/आईएसटीपीएल में निवेश	**शून्य**	शून्य	**69.40**	69.40
सीसाएपबी/आईएसटीपीएल/ को ऋण	**18.32***	(4.45)	103.24	101.69
सीसाएफबी/आईएसटीपीएल/ रिकॉन से वसूली जाने वाली अग्रिम राशि	**(0.16)**	0.25	**1.40**	10.07
रिकॉन को देय राशि	**7.59**	2.99	**11.08**	3.48
सीसीएफबी/रिकॉन/आईएसटीपीएल से आय	**10.20**	76.38	**3.28**	58.95
सेवाओं/वस्तुओं की खरीद की प्राप्ति	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य

*सीसीएफबी को ऋण पर संचित ब्याज(प्रथम ऋण पर 31.12.2010 तक ब्याज तथा दूसरे ऋण पर 31.12.2010 तक ब्याज) से संबंधित ₹ 18.32 करोड़ शामिल हैं, जिसे ऋण करार की शर्तों और निबंधनों के आधार पर ताकि ऋण के पुनःविवरणीकरण के आधार पर मूल में परिवर्तित कर दिया गया है।

घ. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212(8) के अंतर्गत निर्देश के संबंध में प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2010-11**	2009-10
1	पूंजी	**4.90**	0.40
2	आरक्षित निधियां	**0.05**	(0.02)
3	कुल परिसंपत्तियां	**35.88**	1.15
4	कुल देयताएं	**35.88**	1.15
5	निवेश	**शून्य**	शून्य
6	टर्नओवर	**1.10**	शून्य
7	कर पूर्व लाभ	**0.09**	(0.02)
8	कर के लिए प्रावधान	**0.02**	शून्य
9	कर पश्चात लाभ	**0.07**	(0.02)
10	प्रस्तावित लाभांश	**शून्य**	शून्य

10. निदेशकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2010-11**	2009-10
1	वेतन और भत्ते	**0.78**	0.53
2	भविष्य निधि और अंशदान	**0.06**	0.06
3	सेवानिवृति सहित अधिवार्षिता लाभ	**0.09**	0.05
4	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.01**	0.02
5	बैठक फीस	**0.02**	0.03
6	अन्य हित लाभ	**0.18**	0.14
	जोड़	**1.14**	0.83

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

11) कंपनी ने इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी एएस 28 परियोना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । कोई ह्रास हानि (₹ शून्य) नहीं हुई है।

12 क) खाड़ी युद्ध के कारण जब क्लाइंटों (इराक में निष्पादित समावा तथा अल-मुथाना परियोनाओं सहित) से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल (डीपीए) के अंतर्गत इरकॉन सहित ईरान में निर्यातकों की परियोनाओं को बेलआउट किया था।

आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकाल के तहत सितम्बर, 1995 तक सेंट्रल बैंक और इराक द्वारा प्रमाणितानुसार एक्जिम बैंक को देय बकाया शेष राशियों का निपटान भारत सरकार द्वारा 2 चरणों में बांड जारी करके किया गया था। दूसरे चरण के परिणामस्वरुप सेंट्रल बैंक ऑफ इराक ने एक्जिा बैंक को ₹ 0.89 करोड़ (एक अमरीकी डालर = ₹ 35.802 की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित ₹ 31.82 करोड़ के बराबर) की राशि को प्रमाणित (मई, 2000 में एक्जिम बैंक द्वारा पुष्ट) किया था, तथा भारत सरकार द्वारा इसका निपटान प्रतीक्षाधीन है, सिके लिए कंपनी ने दिनांक 26.05.2005 के अपने पत्र के तहत रेल मंत्रालय को अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इन देयों के परिणामस्वरुप बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय 0.42 अमरीकी डालर (एक अमरीकी डालर = ₹ 35.802 की अंतिम सहमत दर पर परिवर्तित ₹ 15.04 करोड़ के बराबर) की ब्याज की राशि का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया है।

ख) आस्थगित इराकी बकाया और उस पर ब्याज व बैक-टू-बैक आधार पर उप ठेकेदारों को देय ब्याज के प्रावधान (आस्थगित भुगतान करार प्रोटोकॉल) को भारत सरकार के साथ तय अंतिम निपटान दर यथा 1 अमरीकी डालर = ₹ 35.802 पर परिवर्तित किया जाता है। यदि बकायों को एस-11 के अनुसार 31.3.2010 को बंद होने वाली विनिमय दर से रूपांतरित किया जाता है तो अन्य चालू परिसम्पत्तियां ₹ 85.88 करोड़ (₹ 7.49 करोड़ की वृद्धि) तथा प्रावधान 1004.52 (₹ 3.54 करोड़ की वृद्धि) और कर पूर्व लाभ ₹ 405.20 करोड़ (₹ 3.95 करोड़ की वृद्धि) होती ।

13) विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेशा अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जों अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। सुदृढ लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए,ऐसे कलपूर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।.

14) कंपनी ने सामूहिक उपदान योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा (एल आई सी) से एक पॉलिसी ली थी तथा एक उपदान ट्रस्ट की स्थापना की थी। भारतीय जीवन बीमा को वित वर्ष 2003-04 तक अंशदान किया गया था। तत्पश्चात अंशदान नहीं किया जा सका था, क्योंकि एल आई सी की मांग पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। भारतीय जीवन बीमा द्वारा दिनांक 31.3.2011 को निर्धारित ₹ 4.07 करोड़ (₹ 4.11 करोड़) की निधि के ब्याा सहित समेकित शेष को एल आई सी से वसूली जाने वाली राशि के रूप में चालू सम्पतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है । लेखांकन नीति सं 17 (i) अनुसूची-ठ की शर्तों के अनुसार उपदान के लिए कंपनी के दायित्व और पूर्ण प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान एलआईसी से ₹ 4.07 करोड़ प्राप्त किए गए हैं।

15 क) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2000-2001 से पात्र निर्णय परियोनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ए के अन्तर्गत छूट का दावा किया है । कुछ आकलन वर्षों के लिए छूट के लिए सी आई टी (अपील) द्वारा नामंजूर नहीं दी गई गया है।। हालांकि, सीआईटी (ए) आकलन वर्ष 2004-05 के लिए हमारे दावे पर विचार किया है, किन्तु आयकर विभाग सीआईटी (ए) के आदेशों के विरुद्ध अधिकरण में गया। आकलन वर्ष 2010-2011 तक कटौती ₹ 509.50 करोड़ (₹ 443.44 करोड़) है । यह मामला अधिकरण के समक्ष लम्बित है ।

ख) कम्पनी ने अपने आयकर रिटर्न में आकलन वर्ष 2007-2008 से आवासीय परियोनाओं के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत छूट का दावा किया है। बिना कटौती कर प्रदान किया गया है । आकलन वर्ष 2009-10 तक अनुमानित कटौती ₹ 13.28 करोड़ (₹ 68.46 करोड़) है ।

16) **एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन**

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है इसलिए किसी और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार अपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्या कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान ₹ 12 करोड़ के एक मुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। बहरहाल, वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निवेशों से लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि अपेक्षित राशि से अधिक है ।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खाते, तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	37.66 (29.56)	38.18 (29.80)	1.29 (10.19)
ब्याज लागत	2.82 (2.22)	2.86 (2.23)	0.09 (0.76)
चालू सेवा लागत	2.53 (2.31)	3.92 (3.37)	0.07 (0.72)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(2.01) ((1.71))	(2.47) ((1.62))	- ((0.22))
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3.61 (5.28)	11.52 (4.39)	(.01) (5.49)
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.02 (38.18)	1.45 (16.96)

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.11 (3.77)	- (-)	- (23.69)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	0.36 (0.33)	- (-)	- (2.07)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(0.13) (-)	- (-)	- (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.26) (-)	- (-)	- (1.88)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.07 (4.11)	- (-)	- (23.89)

iii) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.11 (3.77)	- (-)	- (23.69)
योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक लाभ	0.09 (0.33)	- (-)	- (0.19)
प्रदत्त लाभ	(0.13) (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	4.07 (4.11)	- (-)	- (23.89)
वित्तपोषित स्थिति	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) (6.93)
योजना परिसम्पतियों पर सम्भावित लाभ की तुलना में वास्तविक अधिक	(0.26) (-)	- (-)	- ((1.88))

**इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट की समेकित निधि ₹ 26.32 करोड़ है।*

iv) अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि-दायित्व	(3.61) ((5.27))	(11.52) ((4.39))	0.01 ((5.49))
अवधि के लिए वास्तविक (लाभ)/हानि योजना परिसंपत्ति	0.26 (-)	- (-)	- ((1.88))
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	3.87 (5.28)	11.52 (4.39)	(0.01) (7.37)
अवधि के लिए वास्तविक लाभ/हानि	3.87 (5.28)	11.52 (4.39)	(0.01) (7.37)

v) तुलन पत्र में मान्य राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.02 (38.18)	1.45 (16.96)
31.03.2010 को योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	4.07 (4.11)	- (-)	- (23.89)
वित्तपोषण स्थिति	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) ((6..93))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	(0.26) -		
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) ((6..93))

vi) लाभ हानि खाते में मान्य व्यय

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
चालू सेवा लागत	2.53 (2.31)	3.92 (3.37)	0.07 (0.72)
विगत सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)
ब्याज लागत	2.82 (2.22)	2.86 (2.24)	0.09 (0.76)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	(0.36) ((0.33))	- (-)	- (2.07)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	3.87 (5.28)	11.52 (4.39)	(0.01) (7.37)
लाभ हानि खाते में मान्य व्यय	8.87 (9.47)	18.31 (9.99)	0.16 (6.79)

vii) चालू अवधि के लिए राशि

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	पीआरएमएफ
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	44.61 (37.66)	54.02 (38.18)	1.45 (16.96)
योजना परिसम्पतियां	4.07 (4.10)	(-)	(23.89)
सरप्लस(डैफिसेट)	(40.54) ((33.55))	(54.02) ((38.18))	(1.45) ((6.93))
योजना देयतओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(3.61) (5.28)	(11.52) ((4.39))	0.01 ((5.49))
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन-(लाभ)/हानि	(0.26) (0.33)	- (-)	- ((1.88))

viii वास्तविक अनुमान

i) प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ii) रियायत दर	7.50%
iii) उपभोग स्तर मे वृद्धि की दर	7.50%
iv) योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की दर-उपदान	8.75%
v) सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	14.61 वर्ष
vi) लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	14.61 वर्ष

17) प्रगतिरत संविदा के संबंध में प्रकटन*

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	**31.3.11 तक**
(a)	लगाई गई लागत व निर्धारित लाभों की सम्पूर्ण राशि (घटाः निर्धारित हानियां)	**10531.77**
		31.03.11 का
(b)	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	**1650.33**
(c)	धारण की राशि (ग्राहकों द्वारा)	**332.93**

*31.03.2011 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर।

18) (i) कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिमियम) के अधीन नहीं आते हैं । इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2011 तक कोई देय नहीं है।

(ii) कम्पनी को अपने किसी भी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु औधौगिक इकाई भी है । इस सूचना के आधार पर 31 मार्च 2011 को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लघु औधौगिक इकाई उपक्रम के प्रति देय राशि ₹ शून्य (शून्य) है ।

19) पूर्व अवधि/पूर्वप्रदत्त वस्तुओं के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है ओर इसकी राशि को ₹ 5000 से बढा कर ₹ 50000 कर दिया गया हैं ।

20) अनुरक्षण अवधि के पश्चात अभिकल्प गारंटी के लिए कंपनी की मौजूदा नीति के अनुसार, प्रत्येक ऐसी परियोजना के लिए ₹ 10 लाख का टोकन प्रावधान किया गया है। प्रत्येक संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के अधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित वयय के लिए प्रावधान करने हेतु वर्ष के दौरान इस नीति में परिवर्तन किया गया है बशर्ते यह न्यूनतकम ₹ 50 लाख हो तथा ग्राहक के साथ किए गए संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी अधिकतम राशि के बराबर हो। इस निति में परिवर्तन के कारण मलेशिया परियोजना में ₹ 129.69 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए लाभ में ₹ 129.69 करोड़ की कमी हुई है।

21) वर्ष के दौरान कंपनी ने अभिकल्प, आरेखण, व्यावसाय विकास तथा परामर्श प्रभारों पर व्यय से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। यह अब सेवाओं की पावती के आधार पर है; इससे पूर्व यह व्यय संविदागत राजसव निध्यारण के आधार पर था। इस परिवर्तन के कारण, टर्नआवर 118 करोड़ रुपए बढ़ गया है, कर पूर्व लाभ ₹ 34.94 करोड़ बढ़ गया है, चालू देयताएं ₹47.73 करोड़ कम हो गई हैं तााि वर्तमान परिसंपति का मूल्य ₹ 12.79 करोड़ कम हो गया है।

22) प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के ₹ 240.51 करोड़ को (9,898,000) पूर्ण प्रदत्त ₹ 10 प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

23) कोष्ठक में पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कही आवश्यक हो, पुनःसमूहित, पुनःव्यवस्थित तथा पुनःनिर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 2263एन

के.पी.वाही	**ललिता गुप्ता**	**के के गर्ग**	**मोहन तिवारी**
साझेदार	कम्पनी सचिव	निदेशक/वित्त	प्रबन्ध निदेशक
सदस्यता सं 16164	एवं म.प्र.विधि		

स्थान नई दिल्ली
तारीख 10.08.2011

तुलन पत्र सार और कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

1. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या	8171	राज्य कोड	55
तुलन पत्र तारीख	31.03.2011		

2. वर्ष के दौरान इकट्ठी की गई पूंजी : **(₹ करोड़ में)**

पब्लिक इशु	शून्य	राइट इशु	शून्य
बोनस इशु	शून्य	निजी स्थानन	शून्य

3. निधियों के जुटाव और उपयोग की स्थिति :

कुल देयताएं	4973.49	कुल परिसंपतियाँ	4973.49
निधियों के स्रोत :			
प्रदत्त पूंजी	9.90	रिजर्व और अधिशेष	1369.08
रक्षित ऋण	शून्य	गैर आरक्षित ऋण	शून्य
		अस्थगित कर देयता	शून्य
निधियों का उपयोग :			
निवल स्थिर परिसंपतियाँ	271.08	निवेश	180.47
निवल चालू परिसंपत्तियां	796.34	आस्थगित कर परिसंपतियाँ	131.09
विविध व्यय	शून्य	संचित हानियां	शून्य

4. कंपनी का निष्पादन (₹ रूपयों में)

आवर्त्त	3225.94	कुल व्यय	2827.92
कर पूर्व लाभ	398.02	कर पश्चात् लाभ	237.26
प्रति शेयर आय रू.	239.70	लाभांश दर	500%

5. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों के जातिवाचक नाम (मौद्रिक रूप में)

उत्पाद विवरण	अन्य परियोजनाएं:	टर्नकी निर्माण

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

ललिता गुप्ता
कम्पनी सचिव
एवं म.प्र.विधि

के के गर्ग
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

स्थान :नई दिल्ली
तारीख : 10.08.2011

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

		2010-11	2009-10
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		400.19	261.06
निम्न के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास		37.52	40.99
निवेश की किश्तों पर छूट		0.20	0.02
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता		0.06	0.02
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		(5.01)	(0.49)
ब्याज आय		(55.38)	(41.53)
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		190.11	66.72
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		24.06	30.72
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**591.75**	**357.51**
निम्न के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		(581.44)	(203.53)
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		72.90	57.16
विविध देनदारों में (कमी)/वृद्धि		790.44	61.45
जेसीई चालू परिसम्पतियों में कमी/(वृद्धि)		0.28	7.44
जेसीई चालू देयतांओं में कमी/(वृद्धि)		(2.38)	(2.56)
विविध व्यय(वर्ष के दौरान प्राथमिक व्यय)		-	(0.08)
	(2)	**279.80**	**(80.12)**
प्रचालन से सृजित रोकड़	**(1-2)**	**871.55**	**277.39**
पूर्व अवधि व असाधारण मदों से पूर्व रोकड़ प्रवाह		**871.55**	**277.39**
विदेशी मुद्रा उच्चावचन आरक्षित निधि		-	(14.72)
पूर्व अवधि व असाधारण मदें		(2.17)	2.87
निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह	**(क)**	**869.38**	**265.54**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(74.26)	(18.65)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		7.41	0.89
प्राप्त ब्याज		48.35	41.54
परिपक्कव निवेश (बिक्री पर लाभ सहित)		-	160.08
		(51.13)	(55.14)
जेसीई स्थिर परिसम्पत्तियों में कमी (वृद्धि)		0.16	0.40
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ख)**	**(69.47)**	**129.12**
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(48.25)	(35.78)
जेसीई ऋण निधि में (कमी)/वृद्धि		(5.29)	1.99
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	**(ग)**	**(53.54)**	**(33.79)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		**(24.06)**	**(30.72)**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(क+ख+ग)**	**722.31**	**330.15**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	**(घ)**	1,314.02	983.87
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	**(ङ)**	2,036.33	1,314.02
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	**(घ +ङ)**	**722.31**	**330.15**

नोट :
1. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनः समूहित किए गए हैं।
4. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **₹ 15.22 करोड़** (₹ 72.25) के एफडीआर शामिल हैं।
5. ईएमडी क प्रति ठेकदारों से प्राप्त नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में **₹ 32.23 करोड़** (26.23 कराड़े रु.) की मार्जिन मनी शामिल हैं तथा ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति **₹ 406.00 कराड़े** (₹ 248.55 करोड) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएन 2263एन
के.पी.वाही
साझेदार
सदस्यता सं 16164
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10.08.2011

निदेशक मंडल व निमित्त और उनकी ओर से

(ललिता गुप्ता)
कम्पनी सचिव
एवं म.प्र.विधि

के के गर्ग)
निदेशक/वित्त

मोहन तिवारी
प्रबन्ध निदेशक

विषय-सूची

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग,
5, नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
टेली : 23269921, 23252597

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न समेकित तुलनपत्र और उसके साथ लगे उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और समेकित हानि लेखा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इनके अनुबंधों की लेखापरीक्षा की है, जिन्हें हमने इस रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबन्धन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा लेखापरीक्षित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने की है।
2. हमने लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यत स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की ये अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि जिससे हमें वित्तीय विवरणों के संबंध में यह तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि वे सूचना के यथार्थ कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वितीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों को समर्थन देने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबन्धन द्वारा उपयोग में लाए लेखाकरण नियमों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
3. हमने कंपनी की सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि 31 मार्च, 2011 को कुल परिसंपत्तियां ₹ 35.88 करोड़ की हैं तथा इस तारीख को समाप्त अवधि के लिए कुल राजस्व ₹ 1.10 करोड़ है तथा निवल रोकड़ प्रवाह ₹ 0.23 करोड़ है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में रिपोर्ट में दर्शाई गई राशियां संबंधित विषयों सहित पूर्ण रुप से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
4. हम यह प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21, समेकित वित्तीय विवरणों की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गये हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर है।
5. इस अनुसूची 'ध' में लेखा नोटों तथा अनुसूची 'क्यू' में महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।
   क) नोट सं 12(ख): वर्ष 1995 में भारत सरकार के साथ देयों के विपटन के समय तत्कालीन विनिमय दर पर अग्रशेष तथा एएस (11) के अनुरूप दिनांक 31.03.2011 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, अन्य चालू परिसम्पतियां ₹ 7.49 करोड़ तक कम, प्रावधान ₹ 3.54 करोड़ तक कम तथा लाभ ₹ 3.95 करोड़ तक कम हो गए हैं।
   ख) नोट सं0-20: वर्ष के दौरान कंपनी ने ''अनुरक्षण अवधि के पश्चात अभिकल्प गारंटी के लिए प्रावधान'' हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए लाभ ₹ 129.69 करोड़ तक कम हो गया है और चालू देयता तथा प्रावधान ₹ 129.69 करोड़ ज्यादा हो गए हैं।
   ग) नोट सं0-21 : वर्ष के दौरान कंपनी ने आरेखन, अभिकल्प तथा परामर्श व्ययों की प्रक्रिया में परिवर्तन किए हैं। पहले इन्हें टर्नओवर आधार पर प्रभारित किया जा रहा था जबकि अब इन्हें प्रदान की गई सेवा के आधार पर प्रभारित किया जा रहा है। इस परिवर्तन के कारण कंपनी के टर्नओवर में इस वर्ष ₹ 118 करोड़ की वृद्धि हुई है, आरेखन, अभिकल्प तथा परामर्श व्ययों में ₹ 83.06 करोड़ की वृद्धि हुई है, लाभ में ₹ 34.94 करोड़ की वृद्धि हुई है। चालू देयताओं में ₹ 47.73 करोड़ की कमी हुई है और चालू परिसंपत्तियों में ₹ 12.79 करोड़ की कमी हुई है।
6 उपयुक्त पैरा 5 में हमारी टिप्पणियों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के दृष्टिगत तथा घटकों के अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही व उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं :
   1) 31 मार्च, 2011 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के कार्यकलापों के समेकित तुलनपत्र के मामले में,
   2) इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के प्रचालनों के समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित प्रचालन परिणामों के मामले में,
   3) इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में।

कृते वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
एफआरएम - 2263एन

(के.पी.वाही)
भागीदार
सदस्यता स. 16164

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 अगस्त, 2011